खण्ड-260, अंक-5
शुक्रवार, 19 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(10 सितम्बर, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 260 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८४

अक्षयवर्सिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम , श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोबिन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री

जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलीस अब्बासी, काजी
जसरथसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल बारिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव बाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह श्री
नवलकिशोर, श्री

नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खांन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बैचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन खां, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मैघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री

यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथबार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रामदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामाधीनराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमसिंह, राजा
विजय कुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिसंपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह श्री
शिवचरण, श्री

शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः--वित्त मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार १० सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री वेदराम (जिला एटा) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

[हटा दिये गये ।]

नोन नदी का पुल

*३--श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या यह सच है कि कानपुर में बिठूर के पास गंगा जी और उत्तरी नोन नदी के पास जो पुल है वह इस बार की भयंकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने वाला है ? यदि हां, तो सरकार ने उसे बचाने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--

इस वर्ष उत्तरी नोन नदी पर स्थित पुल के क्षति-ग्रस्त होने की कोई आशंका नहीं है।

एच० टी० सी० के लिए हरिजनों का मनोनयन

*४--श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४ ई० में एच० टी० सी०, गवर्नमेंट नामनी ट्रेनिंग के लिये कितने प्रार्थना-पत्र शिक्षा मंत्री के पास आये थे? उनमें हरिजनों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

३१४५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। मनोनयन हेतु अधिकांश आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से सीधे प्राप्त होते हैं जिनमें प्रायः उनके हरिजन होने का उल्लेख नहीं रहता। अतः उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से हरिजनों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

*५--श्रीमती रामरती--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन उम्मीदवारों में से कितने लिये गये और उन लिये जाने वालों में हरिजन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शासन द्वारा कुल १७०१ उम्मीदवारों का मनोनयन किया गया था। उनमें से हरिजन उम्मीदवारों की संख्या १३१ थी।

श्रीमती रामरती--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ में जो प्रार्थना-पत्र एच० टी० सी० के लिये मांगे गये थे वे जिला परिषद् और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की सिफारिश पर लिये गये थे तो उनमें कितने प्रार्थना-पत्र ऐसे थे जिनमें हरिजन होने का सर्टिफिकेट लगा हुआ था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जैसा मैंने निवेदन किया जिला बोर्ड ने जो प्रार्थना-पत्र दिये उनसे इनका मतलब नहीं है। यह जो माननीय सदस्यों ने दिये, यहां पर आकर लोगों ने दिये, उनके अन्दर की ही मैं बात कर रहा हूं।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सन् १९६४ में जो प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे उनके लिये क्या यह आदेश था कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स और जिला परिषद् की सिफारिश होना जरूरी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह नियम तीसरे वर्ष का था। सन् १९६३ में ऐसा नियम था कि जो जिला परिषद् के द्वारा १५ नाम भेजे जांय उनमें से लिये जांय। उस पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जिलों से जो नाम आते हैं उनमें उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है और बहुत से लोग जिनको वह चाहते हैं वह लोग नहीं आ पाते हैं। इसको देखकर सरकार ने यह तय किया था कि यहां से भी सीधे मनोनीत हो जाया करें और उनको मनोनीत कर दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह निश्चय हो चुका है कि हरिजनों के लिये १०० में से १८ स्थान सुरक्षित रखे जायंगे। तो सरकार की तरफ से जो यह मनोनयन हो रहा है उसमें सुरक्षित न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जहां तक इसका संबंध है कि १०० में से १८ किये जांय वह जिलों में जो लिये जाते हैं उनमें होता है और वह प्रतिशत वहां पर मेन्टेन किया जाता है। अब मैं क्या कहूं जब माननीय सदस्य एवयं ही ऐसा समझते हैं कि यहां से हो ?

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी आइन्दा ऐसी हिदायत जारी करेंगे कि मनोनीत करते समय यदि प्रार्थी जाति लिखकर दे तो हरिजनों को ले लिया जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं तो जिस तरह से माननीय सदस्यों को सुविधा हो उसी हिसाब से करूंगा।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)--

जिस तरह से आप एम० एल० एज० के हिसाब से मनोनीत करते हैं उसी तरह से जितने हरिजन एम० एल० एज० हैं उनके हिसाब से हरिजन लड़कों का औसत पड़ जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैं तो जानता हूं कि बहुत से हरिजन एम० एल० एज० ही मनोनीत करने के लिये लिख कर नहीं देते ।

श्री मंगल देवी (जिला आजमगढ़)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनसे स्पष्ट नहीं होता कि कितने हरिजन हैं, लेकिन वास्तव में हरिजन उम्मीदवार तो अपने को हरिजन लिखते हैं, छंटाई में गलती होती है, तो क्या मंत्री जी ठीक से देख लेंगे कि हरिजन कितने हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हरिजन नहीं लिखा रहता है जो कि माननीय सदस्य नाम देते हैं। केवल नाम और पता लिख कर ही देते हैं, क्वालिफिकेशन भी नहीं लिखते हैं । तो ऐसी स्थिति नहीं है, बाद में देखना पड़ता है ।

श्री सुक्खनलाल--

उन्होंने जवाब दिया है कि ३,१४५ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और हरिजनों की तादाद नहीं मालूम हो सकी, लेकिन प्रश्न संख्या ५ में जवाब दिया गया है कि १,७०१ लिये गये और उनमें १३१ हरिजन हैं, तो किस आधार पर उनको छांट लिया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जब डायरेक्टोरेट में भेजे जाते हैं तो वहां से रिपोर्ट मंगानी पड़ती है, यहां समर्थ नहीं थे, इसीलिये एक बार उसका हम इंटेरिम उत्तर दे चुके हैं कि पूरी सूचना संतोष के लिये नहीं आयी।

श्रीमती रामरती--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जितनी उम्मीदवारों की संख्या थी, उनमें जितने लिये गये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि १८ परसेंट कोटा पूरा नहीं हुआ, तो क्या इस वर्ष पूरा करने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अगर माननीया सदस्या और अन्य सदस्यों ने दिये होंगे तो जरूर हम करेंगे ।

गोरखपुर की राप्ती से सुरक्षा

*६--श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि गोरखपुर शहर को राप्ती नदी से कटाव का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

प्रथम भाग-- गोरखपुर शहर को राप्ती नदी से कटाव का खतरा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थासिंह--

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि राप्ती का जो नया पुल बना है उसके उत्तर की तरफ और जहां शहर को बचाने के लिये ठोकर बनी हुई है उसके दक्षिण की तरफ ठोकर और पुल के बीच में राप्ती नदी शहर की तरफ कटाव कर रही है ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उसको बचाने के लिये क्या-क्या इन्तजाम किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इतनी डिटेल की सूचना तो नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना है कि कटाव से फौरी खतरा नहीं महसूस हो रहा है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

मंत्री जी कृपया उस स्थान पर ध्यान ले जांय जहां उन्होंने पुल का उद्घाटन किया है, वहां जो शहर की तरफ कटाव हो रहा है उसके बचाव की तरफ कदम उठायेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

उस सिलसिले में दो योजनाएं थीं। एक तो पूरी हो चुकी है, दूसरी को स्वीकार हुए कुछ दिन हुए। उसमें कार्य प्रारम्भ हो गया है, लेकिन बरसात की वजह से कार्य रुक गया है। बरसात बाद फिर कार्य प्रारम्भ हो जायगा। उससे पहले कोई खतरा होने वाला नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

लखनऊ शहर पर नदियों के कटाव को रोकने के लिये जितना पैसा खर्च किया जा रहा है और जितना ध्यान दिया जा रहा है क्या सरकार उसी प्रकार का ध्यान और उसी अनुपात में पैसा उन स्थानों पर भी देहातों में खर्च करेगी जहां पर कि नदियों से कटाव हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

कटाव की समस्या को फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड तो देखता ही है, वैसे अगर कहीं के लिये माननीय सदस्य लिख कर देंगे जहां पर कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तो उस पर अवश्य ध्यान दिया जायेगा।

श्री कल्पनार्थासिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक योजना पूरी हो चुकी है और दूसरी बरसात के बाद शुरू को जायेगी और कोई फौरी खतरा नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो योजना पूरी हुई वह क्या है और जो सरकार आगे करने जा रही है वह क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

गोरखपुर में मलौनी बांध के मील ६ व ७ में बन्धे के बचाव के लये कार्य की स्वीकृति दो वर्गों में स्टेट फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में जो २२-७-६३ को हुई थी, दी गयी। कार्य के आगणन का पहले भाग, जिसकी लागत ८.४७ लाख रुपये है, के अन्तर्गत मील ६ फर्लांग ५.६ में ब्लाक कंकड़ पिचिंग और लार्जिचग एप्रन का और मील ६ फर्लांग ७ और ८ तथा मील ७ फर्लांग १.२ में वर्तमान एप्रन की चौड़ाई और गहराई बढ़ाने का कार्य करने का प्राविजन था और भाग दूसरे में मील ७ फर्लांग ४ में ब्लाक कंकड़ पिचिंग और लार्जिचग एप्रन के मील ७ फर्लांग ३, ५, और ६ में वर्तमान एप्रन की चौड़ाई और गहराई बढ़ाने का कार्य करने का प्राविजन है जिसकी अनुमानित लागत ५.४४ लाख रुपये है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

बस्ती जिले के स्कूलों में कृषि-उत्पादन आय

*१—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती ने १९६३-६४ के मार्च महीने में ५ रुपये प्रति प्रसार अध्यापक किसी मद में लिया था? यदि हां, तो वह धन किस विभागीय आदेश या अधिकार के अन्तर्गत लिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बस्ती जिले में मार्च, १९६३-६४, में कोई धन प्रसाराध्यापकों से नहीं लिया गया। आगे का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगर मार्च, १९६४ में यह पैसा नहीं लिया तो क्या १९६३ में लिया, या लिया ही नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सत्य यह है कि प्रसार अध्यापकों से तो कोई पैसा लिया ही नहीं गया। यह तो ५-५ रुपये स्कूलों से आये थे। इसमें जो कुछ बच गया है वह वापस कर दिया जायगा।

श्री श्यामलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल धनराशि कितनी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

३१० रुपये कुल आये थे।

श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

यह रुपये स्कूल के विद्यार्थियों से लिये गये थे या अध्यापकों से?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह न विद्यार्थियों से लिया गया, न मास्टरों से लिया गया बल्कि कृषि उत्पादन से जो आय हुई उसमें से प्रत्येक स्कूल ने भेजा था।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

बहुत से ऐसे चन्दे लिये गये हैं जिनका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया है और मनमाने ढंग से खर्च किया गया है। तो क्या सरकार इसको रोकने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ऐसी शिकायत जब माननीय सदस्य देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मंगलदेव—

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के स्कूलों में गेम फन्ड का रुपया जमा था या नहीं? यदि जमा था, तो अलग से क्यों जरूरत पड़ी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसा कि पहिले ही निवेदन कर चुका हूं, चन्दा होता ही नहीं। यहां ६२ पुनर्व्यवस्थित स्कूल हैं। इनमें पांच २ रुपये आये हैं और छः गये दिखाये गये हैं। उसमें से खर्च हुआ। कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया, न किसी विद्यार्थी से और न स्कूल अध्यापक से।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच रुपये जो प्रत्येक स्कूल से लिये गये ये रुपये किसके आदेश से हर स्कूल से जमा हुए ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, इसके लिये प्राविधान है कि प्रतियोगी विद्यार्थियों के कृषि क्षेत्रों की उपज की नकद बिक्री से एक निश्चित धनराशि का संग्रह जिला केन्द्र पर किया जावेगा। प्रति विद्यालय संग्रह किये जाने वाले धन का निर्धारण मंडलीय उप-शिक्षा निदेशक करेंगे।

श्री श्यामलाल---

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक क्या सक्षम हैं कि वे जितना रुपया चाहें वसूल कर सकते हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जितना इसमें प्राविधान है उन्हीं के अन्दर क्षमता है और वह सब स्पष्ट रूप से पृष्ठ ८ व ९ में दिया गया है। उसको देख लेने का कष्ट करें।

[१० सितम्बर, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

[माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार स्थगित किये गये।]

*४---श्री श्यामलाल---

[हटा दिया गया।]

इन्टर कालेजों के प्रिंसिपल तथा प्राइमरी स्कूलों के हेडमास्टर की पेन्शन

*५---श्री श्यामलाल---

क्या यह सही है कि ऐडेड इण्टर कालेजेज के प्रिंसिपल तथा प्राइमरी स्कूल्स के हेड मास्टर्स क्रम से ६७५ रुपया और ७५ रुपया मासिक वेतन होने पर रिटायरमेंट होते हैं और पेंशन दोनों को ७५ रुपये मासिक दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐडेड इन्टर कालेज के प्रिंसिपलों की पेंशन दर में अपार वृद्धि करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐडेड इंटर कालेज के प्रिंसिपल और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टरों को क्रम से कितना-कितना रुपया मासिक वेतन होने पर कितनी-कितनी पेंशन अलग-अलग दी जाती हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

योजना यह है कि कम से कम १० वर्ष की सर्विस होने पर अन्तिम ३ वर्ष की औसत तनख्वाह का १/१२० प्रति वर्ष के लिये होगा। जैसे ३० वर्ष की सेवा होने पर २८वें, २९वें और ३०वें वर्ष के औसत वेतन का ३०/१२०, यानी चौथाई पेंशन होगी।

श्री श्यामलाल--

हमारा मतलब है कि ये ऐडेड इंटर कालेज .....

श्री अध्यक्ष--

आपका तो मतलब यह है कि जो ७५ रुपये उन्हें रिटायरमेंट पर मिलते हैं उसमें वृद्धि कर दी जाय। यही है न ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

और देख लेंगे ।

गांव समाज, बेलहरी में जमीन पट्टा पर उठाने की जांच

*६--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज बेलहरी, ब्लाक मल्ला, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर, के अधीनस्थ कितने बीघा परती तथा बंजर जमीन थी या है जिसे उसे भूमिहीन लोगों में वितरण करने का अधिकार है या था ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

गांव सभा बेलहरी में ४९३ बीघा १७ बिस्वा १३ विस्वांसी भूमि निहित थी जिसमें से वह ३८२ बीघा १७ बिस्वा १३ विस्वान्सी भूमि पट्टे पर उठा सकती थी।

*७--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार उन व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करेगी मय नाम पता और जमीन के रकबे के जिनको यह जमीन दी गई है तथा किन लोगों के पट्टे तसदीक हुये हैं और किन लोगों की जमीन क. दाखिल खारिज हो चुका है और कौन लोग बाकी हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

†सूचना सदन की मेज पर रखी है ।

*८--श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि यदि उपरोक्त तथा कथित जमीन ग्राम समाज मैनुअल तथा ग्राम समाज प्रस्ताव के विपरीत ग्राम समाज की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले भूमिहीनों को न देकर या अन्य दूर के लोगों को दे दी गई है तो वह सारी कार्यवाही को अवैधानिक करार देकर रद्द करके पुनर्व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यदि इस भूमि के देने में अनियमितता बर्ती गई है तो प्रभावित व्यक्तियों को उसके विरुद्ध आपत्ति परगनाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित करनी चाहिये। कौन सा पट्टा नियमित है, कौन सा अनियमित है, यह न्यायालय तय करेगा। इसलिये सरकार के आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन--

इन ३७ आदमियों को जमीन लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने दी या किसी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी ने दी ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

लैंड मैनेजमेंट कमेटी ने दी ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

क्या यह जमीन देने का कोई आधार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

धारा १९८ में प्रार्याटी के मुताबिक एलाटमेंट होता है।

श्री रियासत हुसैन---

क्या उस गांव के और रहने वाले जमीन के ख्वाहिशमंद नहीं थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सूचना की आवश्यकता है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

उस गांव में ही और भूमि हीन होते हुए बाहर वालों को पट्टे देने का कारण माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन-

एस० डी० ओ० और तहसीलदार के यहां इन्क्वायरी हो रही है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

ये जमीनें कितनी लखनऊ से हैं और लखनऊ-सीतापुर रोड पर तो नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जब उस गांव में भूमिहीन हैं तो बाहर वालों को जमीन देना परगनाधीश ने मान कैसे लिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी माना कहां है ? इन्क्वायरी हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जब सरकार के पास ऐसा उत्तर आवे जो उसी की निगाह में अपूर्ण या गलत हो, तो उसे पूरी और ठीक जानकारी लेकर यहां आना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अदालती इन्क्वायरी हो रही है। उसमें हम दखल नहीं दे सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी जांच करावेंगे कि इस मामले में अनियमितताये हुई हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

एस० डी० एम० की जांच हो रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

भूमि प्रबन्धक समिति ने एस०डी०एम० के आदेश से पट्टे दिये हैं या स्वयं दे दिये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उन्होंने खुद प्रस्ताव किया था ।

श्री रियासत हुसैन--

बाहर के लोगों को जो जमीन दी गई है वह खेती के लिये दी गई है या दूसरे कामों के लिए ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मेरा खयाल है कि खेती के लिये दी गई है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका क्या कहना है (श्री रियासत हुसैन से), आप बतलाइये किस लिये दी गई है ?

श्री रियासत हुसैन--

मेरी सूचना है कि बाहर के लोगों को खेती के लिए नहीं, बल्कि दूसरे कामों के लिये दी गई है, जैसे मकान बनाना, इत्यादि । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जांच करके उन सब पट्टों को रद्द करके कायदे के मुताबिक पट्टे कराने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह तो मैंने कह दिया कि जो कायदे में होगा वही होगा और यह भी आदेश हैं कि अगर एजेंसी ने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको निकाल दिया जायगा ।

*९--११--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[८ सितम्बर, १९६५ को उत्तर दिया गया ।]

घाघरा के पेटे की भूमि

*१२--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थिति)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तेलियाखादर, भूसाडोही (देवरिया) तथा आजमगढ़ के घाघरा के पेटे की भूमि के विवाद के संबंध में जून, १९६५ के अंतिम सप्ताह में जिलाधीश देवरिया ने क्षेत्रीय आयुक्त गोरखपुर को कोई रपट भेजी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां ।

*१३--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री उक्त रपट को सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं, ऐसा करना जनहित में न होगा ।

*१४--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश की रपट पर कौन कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

रिपोर्ट पर विचार होकर राजस्व परिषद् द्वारा आदेश दिया जा चुका है ।

परीक्षार्थियों द्वारा नकल

*१५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा १९६५ में कितने-कितने परीक्षार्थी नकल करने के आरोप में पकड़े गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

हाई स्कूल तथा इंटरमीडियेट परीक्षा, १९६५ में क्रमशः १,६२९ तथा २,५७५ परीक्षार्थी नकल करने के आरोप में पकड़े गये ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि १९६४ की परीक्षा में कितने विद्यार्थी पकड़े गये थे और उनकी संख्या १९६५ से कम है अथवा अधिक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री मुकंदीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस नकलबाजी में पकड़े गये विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थियों के साथ परसेंटेज क्या है और इन विद्यार्थियों को सजा दी गयी है या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इनका करीब १ प्रतिशत के हुआ करता है । जो पकड़े गये हैं, उनकी इंक्वायरी हो रही है, कुछ के मामले पर विचार हो रहा है । इनमें तीन तरह के केसेज हैं ।

श्री बलवन्तसिंह--

क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना अमेरिका के समान है जिसमें साप्ताहिक और मासिक परीक्षा लेकर, विद्यार्थी के काम को देखकर उसको आगे बढ़ाया जाता है, जिससे यह भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो ठीक है कि कोई इस प्रकार की योजना होनी चाहिये लेकिन इस प्रकार की कोई चीज इस समय संभव नहीं प्रतीत होती ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी के नोटिस में कोई ऐसे केसेज भी आये हैं जिनमें प्रिंसिपल और इनविजिलेटर्स की सहायता से सामूहिक रूप से नकल करायी गयी है ? क्या उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सामूहिक रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग की शिकायतें भी मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष--

वे पूछते हैं कि क्या प्रिंसिपल और इनविजिलेटर्स के खिलाफ कोई ऐक्शन लिया गया ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अभी तो जांच हो रही है। जांच हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

६५ से पूर्व ऐसे अध्यापकों को डिबार कर दिया जाता था तो क्या ६५ में जिन अध्यापकों ने नकल करायी है उनके खिलाफ कोई ऐक्शन लिया जा रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जहां इस प्रकार से सामूहिक रूप से कार्यवाही की गयी है, उनके खिलाफ जहां तक संभव हो सकेगा, ऐक्शन लेने का प्रयास किया जायगा ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक जो नकल हो चुकी वह तो हो चुकी लेकिन आइंदा के लिये यह नकल न हो वह क्या करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह सजेशन आप दे दें ।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह लड़के जो नकल करते हुए पकड़े गये वह सेंटरों पर पकड़े गये या एग्जामिनर्स की रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने नकल की है और उसके फलस्वरूप नतीजा रोका गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

दोनों तरह के हैं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

यह देखते हुए कि हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के विरुद्ध यह शिकायत है और उनके केस अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं इससे जो निर्दोष हैं उनका भी साल खराब हो जायगा, तो क्या सरकार जल्द निर्णय लेने की कृपा करेगी ताकि निर्दोष विद्यार्थियों का नुकसान न हो ?

श्री अध्यक्ष--

यह सवाल तो अभी परसों आया था, उन्होंने कह दिया था कि कोशिश कर रहे हैं ।

श्री मुकंदी लाल बैरिस्टर--

क्या सरकार नकल करने वालों की संख्या कम करने के लिये उनके लिये सख्त से सख्त सजा देने का प्रबन्ध करेगी और उन को कई-कई साल तक परीक्षा न दे सकने की सजा पर विचार करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिन पर नकल करने का चार्ज है उन में जो निर्दोष पाये जायेंगे वह छूट जायेंगे और जो दोषी पाये जायेंगे उनको सजा दी जायगी ।

श्री मैनेजरसिंह--

जिस तरह से रेलवे बोर्ड ने जंजीरों का दुरुपयोग होने पर यह निर्णय किया कि डिब्बों से जंजीर ही निकाल दी जाय तो क्या मंत्री जी भी इसी तरह से नकल की अधिक शिकायत होने के कारण परीक्षा ही समाप्त करा देंगे ताकि नकल का प्रश्न ही न रहे ?

श्री अध्यक्ष--

यह क्यों नहीं कहते कि किताबें बांट दी जायं और परीक्षार्थियों से कहा जाय कि उत्तर लिख दो ?

आगरा में चिटफन्ड फाइनेन्स कम्पनियां

*१६—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय आगरा नगर में कितनी 'चिट फंड फाइनेंस' बालक्रीड़ा कम्पनियां चल रही हैं ? इनमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं और कितनी नहीं हैं ?

*१७—इन कम्पनियों के प्रोप्राइटर कौन-कौन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९६--४९७ पर)

प्रधानाचार्य, दीक्षा विद्यालय, गंजडुंडवारा, के विरुद्ध शिकायतें

*१८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नार्मल स्कूल गंजडुंडवारा, जिला एटा, से दिसम्बर, १९६३ से जनवरी, १९६४ तक कितने अध्यापक तथा लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये तथा क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

९ अध्यापकों का।

२ अध्यापकों का स्वयं उनकी प्रार्थना पर तथा शेष का जनहित में।

*१९—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि प्रधानाचार्य राजकीय दीक्षा विद्यालय, गंजडुंडवारा जिला एटा, के विरुद्ध कर्मचारियों, अध्यापकों, छात्राध्यापकों द्वारा मई, ६४ से अक्तूबर, ६४ के बीच कितनी शिकायतें शासन को मिलीं ? मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सात।

विद्यालय के अध्यापकों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना, जातीयतावाद, निम्नकोटि के कर्मचारियों से घरेलू कार्य लेना, राष्ट्रीय झंडे का उपयुक्त ढंग से अभिवादन न करना इत्यादि, इन आरोपों की जांच कराई गई। ठोस प्रमाणों के अभाव में ये पूर्णरूपेण सिद्ध नहीं हुये। परन्तु प्रधानाचार्य को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उचित व्यवहार न करने के लिये लिखित चेतावनी दे दी गयी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

उनके उत्तर से साफ जाहिर है कि वह आरोप सत्य हैं यद्यपि वह पूर्ण रूपेण सिद्ध नहीं हो सके हैं तो वह ठोस शिकायतें क्या थीं और उन पर क्या ऐक्शन लिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जहां तक ठोस शिकायतों के बारे में बात है, कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी जो व्यवहार उन्होंने किया था उसके बारे में इतनी शिकायतों के कारण उनको चेतावनी दे दी गयी।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब ९ अध्यापकों को इसी कारण से वहां से हटा दिया गया तो प्रधानाध्यापक को अभी तक न हटाने का क्या कारण है।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, वहां से हटने के लिये कई लोगों का ट्रांसफर अपने आप ही हो गया लेकिन अगर प्रधानाचार्य का भी ट्रांसफर हो जाता तो कुल के कुल लोग वहां पर नये हो जाते।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन सब बातों की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी, जिन्होंने बताया कि आंशिक रूप से कुछ बातें साबित हुयी हैं। क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-सी बातें थी जो आंशिक रूप से सिद्ध हुयीं?

श्री अध्यक्ष--

आपको तो यह पूछना चाहिये कि जो रिपोर्ट की गयी है वह गलत है। आपका प्रश्न सुसंगत होना चाहिये। उसके संबंध में माननीय राजेन्द्रसिंह ने कुछ नहीं कहा है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी और जो जांच उन्होंने की वह कितने अंश में सही पायी गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टर आफ स्कूल्स ने उसकी जांच की और उस जांच के परिणाम स्वरूप यह साबित नहीं हुयी पर उनकी यह रिकमेन्डेशन थी कि उनका व्यवहार जो है वह जरूर गलत प्रतीत होता है। अतः उनको एक एंट्री दी गयी और बाकी केस में और शेष कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री राजेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, इस अध्यापक के विरुद्ध गंजडुंडवारा के चेयरमैन ने और वहां के सभी सदस्यों ने और छात्रों ने सामूहिक रूप से शिकायतें की तब भी उनको वहां बनाये रखने का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, सूचना की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह--

सभी शिकायतों की बात है कि रोज शिकायतें हुयी हैं, तो समझ में नहीं आता कि नोटिस की क्या आवश्यकता है।

गनवरिया ग्राम में अग्निपीड़ित को सहायता

*२०--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ग्राम गनवरिया, थाना उतरौला, जिला गोंडा, में आग लग जाने से घर आदि जल गये? यदि हां, तो किन-किन लोगों के घर जले और कितनी क्षति हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां, ग्राम गनवरिया में केवल एक घर श्री गनेशी पुत्र गंगादीन का आग लगने से जला था। इस अग्निकांड में श्री गनेशी की पत्नी तथा दो लड़कियां जल कर मर गईं और दो हजार रुपय की क्षति का अनुमान था।

*२१--श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)

क्या क्षतिहीनों को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? और हां, तो कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अग्निपीड़ित श्री गनेशी के पुत्र को २५ रुपया तत्काल खाने पीने के लिये दिया गया । बाद में ७५ रु० और दुर्भिक्ष सहायता दी गई।

नये कर

*२२--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में वह कुछ नए टैक्स लगाने वाले हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यवसाय करने वालों पर ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी हां । कर की मदें अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

अधिग्रहीत भूमि प्रतिकर

*२३--श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में ला० एक्वीजीशन मुआवजे के संबंध में जो कमेटी बैठाई गई उसकी रिपोर्ट क्या है ? और अब किस रेट से मुआवजा दिया जायगा ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

यह तो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा २३ में ही स्पष्टतया निर्धारित है कि प्रतिकर अनिवार्यतः बाजार मूल्य के बराबर हो । यह बाजार मूल्य आंकने के निमित्त जो प्रचलित दरें इस प्रदेश में नियत हैं उनके सम्बन्ध में प्रश्न में प्रसंगति समिति ने सिफारिश की है कि प्रतिकर को बाजार-मूल्य के अनुसार निर्धारित करने के लिये प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अगले पांच वर्षों के लिये प्रत्येक असेसमेंट सर्किल के अन्दर भूमि की किस्मों को तीन वर्गों में बांट कर प्रत्येक ऐसे भूमि वर्ग के लिये बैनामों की जांच कर उनके आधार पर प्रतिकर की दरें निर्धारित कर दी जायं और यह कि प्रतिकर के अतिरिक्त उसके १५ प्रतिशत के बराबर धनराशि भू-स्वामियों को तोषिका (सोलेशियम) के रूप में भी दी जाय । उपर्युक्त विधि से निर्धारित दरों पर भूमिधरों को देय प्रतिकर में से सीरदारों द्वारा देय मालगुजारी की २० गुनी धनराशि काट कर जो धनराशि आवे वह सीरदारों को देय प्रतिकर हो, यह निश्चय लेते हुए सरकार ने समिति की उक्त सिफारिशों को मान लिया है और तदनुसार ही सम्बद्ध नियमों तथा अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिये जाने तथा दरों का निर्धारण हो चुकने के उपरान्त उक्त नई दरों पर प्रतिकर दिया जाने लगेगा ।

श्री कमलासिंह यादव--

माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में जो अन्याय कुछ लोगों के साथ हो गया है उनकी दरख्वास्तें पढ़ने पर क्या माननीय मंत्री जी उन मामलों पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अभी ऐसा तो ख्याल नहीं है ।

श्री मैनेजरसिंह---

१८ साल से उत्तर प्रदेश के किसानों की जो मांग थी उसको माननीय मंत्री जी ने पूरा किया, तो क्या वह ऐसा प्रयत्न करेंगे कि आने वाले दो तीन महीनों में ये नियम लागू हो जायं और जितने भूमि ऐक्वीजीजन के मामले विचाराधीन हैं, जिनका पेमेंट नहीं हुआ है उन सबको इसमें लेने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वक्त मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनावश्यक विलम्ब हम नहीं करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह---

जो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि जो विचाराधीन मामले हैं उन पर भी इसको लागू करने की व्यवस्था करेंगे इसका उत्तर नहीं आया।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह तो देखना पड़ेगा । अभी हम कैसे कह सकते हैं ?

श्री कमलसिंह यादव---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कब से लागू होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जैसे ही तैयार हो जायेंगे वैसे ही लगा देंगे।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---

लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में यह प्राविजन है कि जब दफा ४ का नोटिस ईश्यू हो तो उस वक्त जो जमीन की कीमत हो उस पर कम्पेन्सेशन दिया जायगा लेकिन होता यह है कि दफा ४ का नोटिस अगर आज हुआ तो उसके बाद कई-कई साल तक भूमि का कब्जा नहीं लिया जाता, तो यह तो मार्केट रेट तय किया जायगा आया वह इस दफा ४ के नोटिस होने के वक्त के हिसाब से तय किया जायगा या जब गवर्नमेंट कब्जा लेगी उस हिसाब से तय होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अव्वल तो मेरा जबाव यह है कि मैं समझा नहीं ठीक, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि रूल्स बन जायेंगे तो यह डीटेल्स सब तय हो जायंगे।

श्री बलवानसिंह---

यह ऐसा सवाल है कि हर साल और हर दूसरे तीसरे महीने आता है गाजियाबाद कानपुर का और जितनी टाउन एरियाज वगैरह हैं उन सबका सवाल आता है, तो बावजूद इतने प्रेशर के सरकार ने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनायी जिसकी कि रिपोर्ट आ सके तो आखिरकार इस डिले का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमने कोई देरी नहीं की। मैं गाफिल नहीं रहता। मैंने सब काम कर रखा है।

*२४-२५---श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

[हटा दिये गये।]

छात्राओं की निःशुल्क शिक्षा

*२६--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह राज्य की छात्राओं के लिये इण्टर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

छात्राओं को इण्टर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

हरिजनों को भूमि देने के संबंध में परगनाधीश, बलरामपुर के विरुद्ध शिकायत

*२७--श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पटोहांकोट, पो० बरगदही विकास क्षेत्र तुलसीपुर, जिला गोंडा में पड़ी हुई परती भूमि को वर्षों पूर्व श्री रामपति, श्री गोकुल, श्री नपित आदि १४ भूमिहीनों (हरिजनों) को जो दिये जाने को स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अब तक उन्हें न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

संबंधित गांव की भूमि प्रबन्धक समिति ने एक प्रस्ताव १९६२ में पास किया था कि कुछ भूमि कतिपय बाढ़ पीड़ितों, गांवों के निवासियों को दे दी जाय, किन्तु भूमि के लिये उसी गांव के निवासियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जाने के कारण भूमि स्थानीय लोगों को ही दी गई । कथित १४ व्यक्तियों में से जो एक व्यक्ति पटोहांकोट का था, उसे भूमि दी गई ।

*२८--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि परगनाधीश बलरामपुर, जिला गोंडा ने २३ हजार रुपया घूस लेकर हरिजन भूमिहीनों को जमीन न देकर स्थानीय लोगों को भूमि नायब तहसीलदार को भेज कर पट्टे पर उठवा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी नहीं । भूमि का बन्दोबस्त भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया गया ।

*२९--श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या यह सत्य है कि उक्त मामले के सम्बन्ध में पूर्व श्री रामपति आदि १४ हरिजनों ने बीसों बार हरिजन निदेशक, उत्तर प्रदेश, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं जिलाधीश गोंडा को दिया है ? यदि हां, तो कब -कब और परगनाधीश ने उसके सम्बन्ध में कब-कब क्या उत्तर दिया ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

जी हां । इस सम्बन्ध में मंत्री, हरिजन एवं समाज कल्याण को दो पत्र शून्य तिथि के तथा एक पत्र दिनांक २०-१०-६३ का, सहायक निदेशक, हरिजन विभाग को एक पत्र शून्य तिथि का तथा कलेक्टर, गोंडा को दिनांक ३१-५-६३, ५-६-६३, १०-५-६५, १९-५-६५ तथा एक पत्र शून्य तिथि का प्राप्त हुआ है । इन पर परगनाधीश द्वारा जांच की गई और वस्तु स्थिति से निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को समय-समय पर अवगत करा दिया गया है ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि पहला प्रस्ताव १९६२ में १४ भूमिहीनों को जमीन देने का हुआ था, तो दोबारा कब दूसरी कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि उन लोगों को जमीन न दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इस वक्त तारीख की सूचना नहीं है ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि परगनाधीश, बलरामपुर ने २३ हजार रु० अपने बाबू के द्वारा लेकर उस जमीन को उन्होंने दुबारा अपने नायब तहसीलदार को भेज कर सही किया और अपने सामने दूसरी कमेटी बनवायी है, क्योंकि गांव वह जमीन नहीं चाहते थे, तो इसकी जांच किसके द्वारा करवायी, और जो कहा है आपने कि जी नहीं तो इसकी जांच किसके द्वारा करवायी है ? क्या इसकी जांच सी० आई० डी० से करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमें तो गलत नहीं मालूम होता है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

मंत्री जी बतायेंगे कि एक बार जब एक प्रस्ताव समिति का हो गया तो दुबारा क्यों उसी भूमि के लिये प्रस्ताव हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

क्योंकि वह नियमों के विरुद्ध था इसलिये अलाटमेंट हुआ ।

श्री मैनेजरसिंह--

मंत्री जी ने कहा कि परगनाधीश के द्वारा जांच करायी गयी, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उसी परगनाधीश के द्वारा जांच करायी गयी जिसके खिलाफ घूसखोरी की शिकायत की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुमकिन है वही हों, हम नहीं कह सकते ।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

परगनाधीश ने २३ हजार रुपया ले कर उस भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव को रद्द किया और नायब तहसीलदार द्वारा पट्टा दूसरे आदमी को दिलाने के लिये फिर से भूमि प्रबन्धक समिति से प्रस्ताव पास कराया और उन्हीं परगनाधीश के विरुद्ध शिकायत है तो क्या सरकार ने उसी परगनाधीश के द्वारा जांच कराई है और यदि ऐसा है तो किसी दूसरे उच्चाधिकारी के द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे क्योंकि उनके विरुद्ध आरोप गंभीर हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तो अब कलेक्टर से कह दूंगा कि फिर जांच कर लें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

यह तो उत्तर दिया गया कि फिर से परगनाधीश से जांच कराई गयी, तो यह जो निश्चय लिया गया तो क्या कोई ऐसे परगनाधीश हैं जो रिश्वत न लेते हों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

डिवीजन अफसर ही अपने हल्के की जांच करता है ।

श्री भानुप्रतापसिंह---

जब इस प्रकार की व्यापक शिकायतें हैं तो कोई उपाय बतलायेंगे कि यहां पर बैठे हुए विधायक कौन से कदम उठायेंगे जिनसे इस प्रकार की शिकायतें दूर हो सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी मैंने इस सम्बन्ध में सोचा नहीं है ।

श्री दयाराम शाक्य---

माननीय मंत्री जी मे यह कहा कि गांव के आदमियों ने जब प्रार्थना-पत्र दे दिये तो बाहर के व्यक्तियों को भूमि देना नियम विरुद्ध है परन्तु उत्तर में यह भी कहा गया है कि पटोहांचोट में एक व्यक्ति को पट्टा दिया गया तो मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जब पहले ही प्रस्ताव बाहर के व्यक्तियों के लिये हो गया था तो जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र बाद में दिये उनको पट्टा क्यों नहीं दिया गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

गांव के लोग मौजद हैं तो बाहर वालों को नहीं दी जाती है ।

श्री खुखदेवप्रसाद---

मेरे पास यह १४ आदमियों की दरख्वास्त आई है और इसमें उनका आरोप है कि बाबू उनसे दो हजार रुपये मांग रहे थे जिसको न दे सकने की वजह से जिन्होंने उनको दो हजार रुपया दे दिया, दुबारा कमेटी बना कर उनको जमीन दे दी गयी ।

श्री अध्यक्ष---

इस दरख्वास्त को माननीय मंत्री को दे दीजियेगा ।

दि इन्स्टीटयूट आफ योगिक थिरेपी एन्ड कल्चर, लखनऊ

*३०---श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार २६ फरवरी, १९६५ के श्री चन्द्रबलीसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न सं० ३२ और ३३ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेगी कि जब प्रधानाचार्य के पास योग्यता की कोई डिग्री है नहीं, तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति द्वारा संचालित संस्थान के लिये इतना अधिक धन किस उपयोग हेतु दिया जाता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

दि इन्स्टीट्यशन्स आफ योगिक थिरैपी एण्ड कल्चर उन अन्य शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न है जहां प्रधानाचार्यों एवं अन्य शिक्षकों की योग्यता निर्धारित की गई होती है । यह सत्य है कि उक्त संस्था के संचालक के पास योग की कोई डिग्री नहीं है । किन्तु उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव है । प्रशिक्षार्थियों की संख्या इस बात की पुष्टि करती है ।

*३१---श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ के उक्त संस्थान में कितने लोगों ने शिक्षा प्राप्त की तथा शिक्षार्थियों से कितनी फीस ली गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में उक्त संस्था में ७१८ लोगों ने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के लिये कोई शिक्षा शुल्क नहीं ली जाती किन्तु ऐच्छिक रूप से दिया गया अनुदान स्वीकार किया जाता है।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में सरकार प्रति वर्ष कितना व्यय करती है और इसमें किस-किस प्रकार की योगिक शिक्षा दी जाती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

१९६४-६५ में सब मिला कर ९ हजार रुपये उनको अनुदान में दिया गया।

काबिज इन्दराजों के संबंध में समिति का प्रतिवेदन

*३२--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खेतों पर इन्दराज लिखने की प्रक्रिया की जांच हेतु जो कि रामचन्द्र विकल कमेटी बनी थी उसने अपने रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो कमेटी की सिफारिशों को सदन की मेज पर रखते हुये बताया जाय कि उनमें से कौन-कौन स्वीकृत हुयीं। जो स्वीकृत नहीं की गई हैं उनके न स्वीकार करने के कारण क्या हैं ? क्या लेखपालों द्वारा इन्दराज करने की तजवीज समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो आगे किस तरह इन्दराज की जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

†रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी है। कमेटी की दो सिफारिशों को छोड़ कर शासन ने बाकी सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। एक सिफारिश लेखपाल की रिपोर्ट को कान्फिडेन्शल मानने के लिये थी। ऐसा करने में वैधानिक कठिनाई थी इसलिये नहीं माना गया। दूसरी सिफारिश लेखपाल तथा सुपरवाइजर कानूनगो की तादाद बढ़ाने के लिये थी जो अधिक व्यय वहन करने में असमर्थ होने के कारण संकट काल समाप्त होने तक के लिये स्वीकार नहीं की गई है। लेखपाल अब कब्जे का इन्दराज नहीं करेंगे। इसके लिये लैंड रिकार्ड्स मैनुअल में संशोधन कर दिया है। कब्जे का इन्दराज संशोधित नियमों के अनुसार मौके की जांच करके सुपरवाइजर कानूनगो करेगा। यह नियम वर्तमान खरीफ की पड़ताल से लागू हो गया है।

नौगढ़ क्षेत्र में भूमि पर अनियमित लगान

*३३--श्री ऊदल--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० ४/५ नं० ५/५ गांव बखोंटांड तथा मौजा औतरवां में नं० १/२, १/३ नं० बरवां टांड तालका नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी से ऐसी जमीन का लगान लिया जा रहा है जिन भूमि पर वन विभाग प्लान्टेशन लगा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

अब इस आराजी की मालगुजारी वसूल नहीं हो रही है। उसको रोक दिया गया है। सम्बन्धित खातेदारों ने इस आराजी को अपने खाते से खारिज नहीं कराया, इसलिये वसूली होती रही। उनको खारिजा के लिये परगनाधीश को आवेदन-पत्र देना चाहिये।

नोट--ता० प्र० ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

†छापी नहीं गई।

लखनऊ में हुसैनाबाद कालेज के अध्यापक

*३४—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ स्थित हुसैनाबाद राजकीय इंटर कालेज में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो गत ५ वर्षों से अधिक समय से उसी कालेज में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

११ अध्यापक ।

*३५—श्री हिम्मतसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या कारण है कि उक्त कालेज में अध्यापक एक विशेष साम्प्रदाय के ही रक्खे जाते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—

किसी विशेष साम्प्रदाय के अध्यापक नहीं रक्खे जाते ।

बलिया जिले में अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन न मिलने की शिकायत

*३६—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में कौन-कौन से हायर सेकेण्डरी स्कूल और इंटर कालेज हैं जिन्हें सरकरी अनुदान दिया जाता है और उनमें से किन में अध्यापकों की तनख्वाह गत तीन चार महीनों की और कुछ में छः छः महीनों की बकाया रहती है ? क्या माननीय मंत्री जी इस प्रकार अध्यापकों के महीनों तनख्वास बकाया रखने वाले प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं का दिया जाने वाला सरकारी अनुदान बन्द करने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रश्न के पूर्वार्ध में अभीष्ट सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

प्रश्न के उत्तरार्ध के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजकीय अनुदान बन्द कर देने से वेतन भुगतान की समस्या सुलझने के स्थान पर और अधिक जटिल हो जायगी । अतः अनुदान बन्द करना उचित नहीं होगा ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९८–४९९ पर)

पटकनिया गांव की मालगुजारी

*३७—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि मौजा पटकनिया (तहसील जमानिया, जिला गाजीपुर) में काश्तकारों की मालगुजारी सरकार १७ रु० से ३८ रु० प्रति बिगहा वसूल करती है और यदि हां, तो क्या इस दर की मालगुजारी इस प्रदेश में किसी और मौजे में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं, ऐसा नहीं है, अधिक से अधिक मालगुजारी की दर १९ रु० प्रति बीघा कुछ खातों में आती है । पूरे प्रदेश के खातों से इसकी तुलना करना संभव नहीं है ।

मथुरा जिले में सड़कों का निर्माण

*३८—श्री लखीसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सन् १९६५–६६ में किन-किन सड़कों का निर्माण किया जायगा और इनके लिये वित्तीय वर्ष में कितना रुपया बजट में रक्खा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१९६५–६६ में मथुरा जिले में दो सड़कों पर नव निर्माण कार्य होगा। उनके नाम तथा उनके लिये किया गया बजट में प्राविधान निम्नांकित है :

सड़क	प्राविधान रु०
(१) परखम-झंडावाई ग्रोल सड़क	१,००,०००
(२) राल-राधा कुंड सड़क	५०,०००

तहसील फूलपुर में चकबन्दी

*३९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद की तहसील फूलपुर में जहां चकबन्दी हो रही है नकल की दरख्वास्तें जरूरी तथा गैर जरूरी दी जाती हैं, उनकी, नकलें किसानों को नहीं मिल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकम सिंह विसेन—

काम बढ़ जाने से कुछ देर हो रही थी, पर अब ठीक है।

*४०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील फूलपुर में चकबन्दी की कितनी दरख्वास्तें नकल हेतु गत ६ महीने में किसानों ने दीं तथा कितनों को नकल २ महीनों के अन्दर मिली और कितनों को २ महीने बाद मिली ?

श्री हुकुम सिंहविसेन—

उक्त तहसील की चकबन्दी से सम्बन्धित १६ फरवरी से २१ अगस्त, १९६५ की अवधि में कुल १,१४२ दरख्वास्तें नकल की प्राप्त हुई। इनमें से १,०३५ दरख्वास्तों पर नकल २ महीनों के अन्दर और १०७ दरख्वास्तों पर नकल २ महीनों के बाद जारी हुई।

*४१–४२—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—]

[स्थगित किये गये।]

विज्ञान की प्रयोगात्मक शिक्षा

*४३—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके इस बात की ठोस जानकारी करेंगे कि देहात के विद्यालयों की तो बात अलग, नगरों के अधिकांश विद्यालयों (पुराने और व्यवस्थित विद्यालयों) में स्कूल-स्तर तक विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबी होती है विद्यार्थियों के तात्विक विषय बोध के लिये प्रयोगात्मक विधि बिल्कुल ही नहीं अपनाई जाती है ? और यदि यह तथ्य सत्य हो, तो शिक्षा मंत्री स्कूल स्तर पर विज्ञान के अनिवार्य शिक्षण की नीति लागू करने के पहले (जैसा कि समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है) विज्ञान के प्रयोगात्मक शिक्षण के पहलू पर संतोषजनक व्यवस्था कर लेने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल स्तर (कक्षा ९ व १०) पर विज्ञान में प्रयोगात्मक पढ़ाई होती है, परन्तु प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती है।

लड़कियों की चुस्त पोशाक

*४४—श्री रघुनाथसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री लखनऊ नगर के कुछ बालिका विद्यालयों के अधिकारियों के रुख से प्रेरणा लेकर लड़कियों के चुस्त पहनावे पर कड़ा प्रतिबन्ध लगा देने के लिये सम्पूर्ण राज्य में सामान्य निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ? और क्या ऐसे पहनावों को अपनाये जाने पर जोर देंगे जो हमारी संस्कृति और सामाजिक चलन के मेल में सुरुचिपूर्ण हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं ।

एन० सी० सी० और शिक्षा दल

*४५—श्री बलवानसिंह—

क्या यह सच है कि सरकार एन० सी० सी० और प्रान्तीय शिक्षा दल को एक ही समक्ष करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कैलाश प्रकाश—

जी नहीं । ऐसी कोई भी योजना अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

सूचना निदेशालय में प्रशासन व्यय

*४६—श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य सरकार की मितव्ययिता कमेटी (इकोनामी कमेटी) ने प्रशासन का व्यय कम करने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय में क्या-क्या बदल करने का सुझाव दिया है तथा सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राज्य सरकार की एक मितव्ययिता तदर्थ कमेटी है । इस कमेटी ने सूचना निदेशालय में प्रशासन का व्यय कम करने के उद्देश्य से कोई बदल करने का सुझाव नहीं दिया है ।

पिपौरी ग्राम में चकबन्दी के अन्तर्गत मार्ग

*४७—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री जांच कराकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ग्राम पिपौरी के मजरा धुरेला के नागरिकों को ग्राम से बाहर निकालने के लिये कोई सार्वजनिक मार्ग याचक बोर्ड चकबन्दी अधिकारियों ने नहीं दिया और जो रास्ता चकबन्दी के पूर्व था भी उसे भी चकों में एलाट कर दिया, जिससे उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा नहीं है कि चकबन्दी में पुराना रास्ता चकों में एलाट कर दिया गया है । चकबन्दी में कोई नया रास्ता गांव से बाहर निकलने का नहीं दिया गया है ।

*४८—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि वहां के नागरिकों के कोई आवेदन-पत्र प्रश्न कर्त्ता के प्रश्न के साथ जिलाधीश फतेहपुर को इसी फरवरी मास १९६५ को किसी तारीख को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। हाकिम परगना ने निरीक्षण कराया। गांव से उत्तर की ओर एक रास्ता जाता है। गांव वाले श्रमदान से इसी रास्ते को पूरा करने पर सहमत हो गये हैं।

बांदा जिले में कुर्क अमीनों को चपरासी न मिलना

*४९—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में कुर्क अमीनों के साथ एक चपरासी की व्यवस्था जो बहुत दिनों से चली आ रही है अब क्यों समाप्त कर दी गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

राजस्व चपरासियों की संख्या कम करने के प्रश्न पर राजकीय कार्यालयों के मुख्य निरीक्षक तथा राजस्व परिषद् द्वारा जांच कराई गई और उनकी सिफारिशों के आधार पर राजस्व चपरासियों की संख्या में कमी कर दी गई। फलस्वरूप बांदा जिले में कुर्क अमीनों को चपरासी नहीं दिया गया। परन्तु परिषद् ने पुनः विचार करने के पश्चात् चपरासी देने के आदेश जारी कर दिये और अब उक्त जिले में कुर्क अमीनों को चपरासी मिल गये हैं।

सैदपुर तहसील में चकबन्दी

*५०—श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत तहसील सैदपुर के किन-किन गांवों में अभी तक चकबन्दी नहीं हुई ? इन गांवों की चकबन्दी न होने के कारण क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१७ गांवों में नहर निर्माण के कारण तथा अन्य ८९ ग्रामों की भूमि चकबन्दी के योग्य न होने के कारण तहसील सैदपुर के कुल १०६ ग्रामों में चकबन्दी नहीं हुई है। इन गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५००–५०१ पर)

*५१—श्री राजनाथसिंह—

यदि सम्बन्धित कारण दूर हो गये तो क्या उक्त ग्रामों में चकबन्दी का कार्य शीघ्र आरम्भ करा देंगे ताकि किसान पैदावार बढ़ाने में समर्थ हो सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल १७ गांवों में जहां नहर निर्माण का कार्य समाप्त हो गया है चकबन्दी योजना लागू करने का विचार है।

*५२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[स्थगित किया गया।]

*५३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया।]

तहसीलदार, मुहम्मदाबाद द्वारा तकावी के मामले की जांच

*५४—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश, आजमगढ़ के यहां दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ को ग्राम बगलीपिजड़ा तहसील मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों ने इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके द्वारा बैलों की तकावी नहीं ली गई है और तकावी का बांड जाली भरा कर किसी दूसरे से रुपया ले लिया है ? यदि हां, तो इस पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और क्या प्रार्थियों से भी बयान-साक्ष्य आदि लिये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जी हां । जिलाधिकारी आजमगढ़ को श्री बचन सिंह निवासी ग्राम बगली पिंजड़ा, तहसील मुहम्मदाबाद का एक प्रार्थना पत्र दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ को इस आशय का प्राप्त हुआ था कि उनके भाई श्री श्रीपति सिंह के नाम से किसी अन्य व्यक्ति ने ५०० रु० की बैलों की तकावी ली है । उस प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार मुहम्मदाबाद द्वारा कराई गई । तहसीलदार महोदय ने जांच के दौरान में प्रार्थी श्री रामबचन सिंह के भी बयान लिये ।

*५५—श्री नाथूराम शिक्षक—

[८ सितम्बर, १९६५ को उत्तर दिया चुका है ।]

बिक्री कर संबंधी अपीलें

*५६—श्री रक्षपालसिंह—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(अ) क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि सेल्स टैक्स की अपीलें भविष्य में सैल्स टैक्स सर्किल के हेड क्वार्टर्स में सुनी जाने के बजाय रेंज हेडक्वार्टर्स पर सुनी जाया करेंगी ? यदि हां, तो ऐसा किये जाने का क्या कारण है तथा क्या यह सही नहीं है कि इस आदेश से व्यापारियों को असुविधा भारी मात्रा में बढ़ जायेंगी ?

(ब) क्या सरकार उक्त आदेश को शीघ्र वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

(अ) जी हां । सेल्स टैक्स की अपीलों को रेंज हेडक्वार्टर्स पर सुनने का निर्णय सरकार ने प्रशासकीय सुविधा को दृष्टि में रखते हुए लिया है । अपील रेंजों की संख्या पहिले से अब काफी अधिक हो गई है और इस कारण एक रेंज हेड क्वार्टर पर साधारणतया उसके अन्तर्गत आने वाले दो जिलों की सेल्स टैक्स अपीलों की सुनवाई हो होगी । अतएव जहां कि यह व्यवस्था व्यापारियों के लिए सुविधाजनक होगी वहां विभागीय अधिकारियों को भी अपील सुनने में सुविधा रहेगी और साथ ही जो यात्रा में समय व धन का व्यय होता है, उसकी भी बचत होगी । इस व्यवस्था के लागू होने से पूर्व जब सर्किल हेडक्वार्टर्स में अपीलों की सुनवाई होती थी तब प्रायः स्थानाभाव के कारण विभागीय अधिकारियों व व्यापारियों दोनों को ही असुविधा उठानी पड़ती थी ।

(ब) उपरोक्त परिस्थिति में आदेशों को वापस का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

*५७—श्री राजे न्द्रसिंह—

[स्थानान्तरित किया गया ।]

गोंडा–उतरौला सड़क

*५८—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा से उतरौला जाने वाली १ मील से १० मील की सड़कों को डामर करने के लिये कब स्वीकृति दी गई? और १ अगस्त, १९६५ तक कितनी सड़क पर डामर हो गया है, कितनी बाकी है ? जो अभी तक नहीं बन पाई है इसके क्या कारण हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के मील २ से मील १० तक का आधुनीकरण करने के लिये वित्तीय स्वीकृति अप्रैल, १९६३ में तथा प्रशासकीय स्वीकृति जुलाई, १९६३ में दी गई । मील नं० १ पहिले से ही डामर का था । अब मील नं २ पर डामर हो गया है और मील ३ से १० शेष हैं जिन पर आधुनीकरण का कार्य हो रहा है और आशा है कि यह कार्य ३१–१२–६६ तक पूर्ण हो जायगा । कर्तनियाघाट से पत्थर की गिट्टी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकी, इसलिये स्पेसिफिकेशन्स बदलने पड़े और इस कारण कार्य के पूर्ण होने में देर हुई ।

ग्राम समाज, पपरेन्दा की भूमि

*५९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त, (जिला बांदा), श्री दीनदयाल करवरिया (जिला बांदा) तथा श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पपरेंदा, जिला बांदा की १४००-१/२ बीघा जमीन ग्राम समाज को भूमिहीनों को न देकर हाकिम परगना, बांदा द्वारा इसी ग्राम के प्रधान के ही भूमि वाले परिवार के लोगों को दी गई जिसमें कि सुरक्षित भूमि भी सम्मिलित है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

*६०—श्री बृजमोहन लाल गुप्त, श्री दीनदयाल करवरिया तथा श्रीमती सियादुलारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में सरकार के पास शिकायत दिनांक १४ जनवरी, १९६५ को आई है, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार को एक शिकायती पत्र दिनांक १३–१–६५ को प्राप्त हुआ था । जांच से पता चला कि कुछ भूमि जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने से पूर्व ही भूतपूर्व प्रधान के परिवार के कुछ लोगों के नाम दर्ज थी और कुछ भूमि बाद में न्यायालय के आदेश के आधार पर उनके नाम की गई ।

बबराला-सहसवान मार्ग पर पुल का ठेका

*६१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि बदायूं जिले में मझोला नदी पर बबराला-सहसवान मार्ग के लिये बने ब्रमों के पुल का ठेका वर्तमान वर्ष के लिये हो गया अथवा नहीं ? यदि हो गया है तो :

(१) ठेका किस ठेकेदार को दिया गया तथा कितने रुपये में मिला और ठेके में किस-किस की क्या-क्या बोलियां थीं तथा (२) किस तिथि को गजट किया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

(१) इस पुल के वर्त्तमान ठेके की अवधि ३०-९-६५ को समाप्त होगी। आगामी वर्षों के लिये ठेका अभी किसी को नहीं दिया गया है।

( ) प्रश्न नहीं उठता।

*६२—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[स्थगित किया गया।]

*६३-६५—श्री बसंतसिंह (जिला बिजनौर)—

[स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

रेवती-शीशबन सड़क

१—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत रेवती ब्लाक में लाइन के दक्षिण तीस वर्ग मील के रेवती दोआरा क्षेत्र में रेवती घोपालपुर शीशबन कच्ची रोड जो आवागमन का एक मात्र साधन है, क्यों पक्की नहीं बनाई जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

रेलवे लाइन के दक्षिण की ओर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है। एक कच्ची सड़क रेवती से उत्तर की ओर घोपालपुर होती हुई शीशबन तक जाती है। धनाभाव के कारण इसको पक्का कराना अभी सम्भव नहीं है।

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अध्यापकों का वेतन

२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिभाषा फार्मूला के आधार पर प्रदेश के विद्यालयों में नियुक्त संस्कृत, उर्दू आदि अध्यापकों का वेतन जुलाई, १९६४ से अब तक शिक्षा संस्थाओं को न दिये जाने का कारण क्या है और न दिये जाने के कारण अध्यापकों एवं संस्थाओं में असंतोष है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत केवल उन विद्यालयों का वर्ष १९६४-६५ तथा वर्ष १९६५-६६ का अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है जिन्होंने, बार बार स्मरण कराने पर भी अध्यापकों की नियुक्ति तिथि तथा १९६३-६४ में स्वीकृत अनुदान के उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भेजे हैं।

अप्रशिक्षित अपर प्राइमरी अध्यापक

३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ सितम्बर, १९६२ के प्रादेशिक गजट द्वारा अप्रशिक्षित अपर प्राइमरी स्कूल के ३५ वर्षीय अध्यापकों को जिनकी सेवा ५ वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें प्रशिक्षण से छूट देकर प्रशिक्षित वेतन-क्रम में रखने का आदेश प्रदेश के समस्त जिला परिषदों को दिया गया था ? यदि हां, तो इस आज्ञा का पालन किन-किन जिलों में किया गया है और किन-किन में नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसा कोई आदेश सन् १९६२ में नहीं दिया गया था।

दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

बाजपुर की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

४—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

८-५-६५ के प्र०सं० २५ व २६ के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपुर में जो ३,७१५ बीघा भूमि में से अधिकांश भूमि, अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे में बतलाई गई, ऐसी कुल कितनी एकड़ भूमि किन-किन व्यक्तियों के अनधिकृत कब्जे में है? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३५७० बीघा भूमि ७७ ऐसे व्यक्तियों के कब्जे में है जिनके नाम भू-अभिलेखों में नहीं लिखे हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखी है। अभी फरार व्यक्तियों के नाम खारिज करने की कार्यवाही की जा ही है। कुछ फरार खातेदारों के नाम काटे जा चुके हैं। कुछ के अभी काटे जाने हैं। अनधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमें चलाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

५—श्री खुशीराम—

विधान सभा की बैठक दिनांक ८ मई, १९६४ के प्रश्न सं० २५ व २६ के उत्तर के क्रम में क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिक्त भूमि के एलाट करने के लिए उचित कार्यवाही हो रही है, हो गया, इसमें अब तक कितने व्यक्तियों को भूमि एलाट की गई? यदि नहीं की गई तो इसका कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अनधिकृत कब्जों को हटाने के बाद ही भूमि के पट्टे हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १५१ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा १७ अगस्त, १९६५ को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक ९ सितम्बर, १९६५ को वापस प्राप्त हो गया है।

मेरठ-गाजियाबाद के निकट उतरे पाकिस्तानी छतरीधारी सैनिकों के पुलिस द्वारा न पकड़े जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का एक कामरोको प्रस्ताव आया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आज असरकारी दिवस है और हम लोगों का ही दिन है और उसके अलावा भी यह अत्यन्त आवश्यक कामरोको प्रस्ताव है जिसे मैंने सदन के

---

†छापी नहीं गई।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

विचार के लिये सदन को भेजा है। मैं यह समझता हूं कि आप इसे लाइटली न लेंगे बल्कि इस पर कार्यवाही हेतु निर्देश देंगे। आज तो विरोधी दल का दिन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे पूछ रहा हूं कि इस पर प्रकाश डालें सिर्फ कार्यवाही करने के लिये नहीं। यद्यपि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने सुरक्षा का प्रश्न उठाया है, लेकिन यह शांति और व्यवस्था से संबंधित हो सकता है इसलिये इसको महत्वपूर्ण समझता हूं। वह इस प्रकार है कि "माननीय मुख्य मंत्री ने सदन को सूचित किया है कि मेरठ तथा गाजियाबाद के बीच १०० से अधिक पाकिस्तानी छतरीधारी सैनिक उतारे गये हैं कल की सूचना है कि सहारनपुर में भी कुछ छतरीधारी उतारे गये। इससे स्पष्ट है कि राज्य की शांति व्यवस्था को नष्ट करने के लिये पाकिस्तानी प्रविष्ट कर चुके हैं। परन्तु दुख है कि अभी तक एक भी छतरी धारी को पुलिस द्वारा पकड़े जाने की सूचना नहीं मिली है। राष्ट्रीय संकट के इस बेला में गृह विभाग की यह ढिलाई जनता में सरकार के प्रति असंतोष का कारण है।"

क्या माननीय उपनेता सदन इस संबंध में कुछ प्रकाश डालेंगे? (थोड़ी देर रुक कर) अगर इस संबंध में आप कुछ सूचना न दे सकें तो मैं चाहूंगा कि या तो मुख्य मंत्री या गृह मंत्री आज सायंकाल ४ बजे इस संबंध में कुछ प्रकाश डालें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, अभी यह समाचार मिला है कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारी डिसमिस कर दिये गये हैं। आज के वक्तव्य के पहले श्री शांतिप्रसाद, आई० जी० और गृह मंत्री को भी प्रदेश की सुरक्षा के लिये हटाना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजरसिंह जी, यह नहीं। इस समय गम्भीर स्थिति है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रमुख चीज यह है कि एक बात सदन के सामने आई है। उस संबंध में मुख्य मंत्री या गृह मंत्री का वक्तव्य सुन लें ताकि हमें स्थिति का ज्ञान हो जाय।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, आजकल की स्थिति में आवश्यकता है कि माननीय मुख्य मंत्री वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

विधायक, श्री विश्वनाथ प्रसाद, द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये धन [illegible]

श्री अध्यक्ष—

माननीय विश्वनाथ प्रसाद की एक सूचना और सदन को देता हूं। वह इस प्रकार है कि "मातृभूमि पर हुए पाकिस्तान के आक्रमण से आज देश पर एक संकट की दशा व्याप्त है। हम सभी का कर्तव्य है कि सर्वस्व अर्पण करके हम राष्ट्र रक्षा के कार्य में अग्रसर हों। मैं सूचित करता हूं कि पाकिस्तान से जब तक युद्ध चले तब तक मैं अपना पूरा वेतन युद्ध कार्य में सहयोग देने के लिए देता रहूंगा।"

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह आपकी घोषणा है?

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, माननीय विश्वनाथप्रसाद जी की है।

रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति में संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य को न रखने पर आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि आज हमने आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई कल की कार्यवाही को देखा। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पशु रोग विधेयक और रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा हुई है। श्रीमन्, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि रुड़की विश्वविद्यालय विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति में हमारे दल का कोई सदस्य नहीं है। अब श्रीमन्, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम १३७ (३) देखें। उसमें लिखा हुआ है कि 'यदि सभा राजी हो तो उपनियम (२) में उल्लिखित सदस्य संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये सभा के सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु प्रस्ताव ला सकेगा। प्रत्येक अन्य सदस्य को भी इसी प्रकार नाम निर्देशन करने का अधिकार होगा। यदि आवश्यक हो तो संयुक्त प्रवर समिति के लिये सभा के प्रतिनिधियों की उपेक्षित संख्या का निर्वाचन नियम २६१ के उपबंधों के अनुसार किया जायगा व निर्णीत होगा।"

अब जरा सा नियम २६१ देखें। उसमें साफ लिखा है कि निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा। जब इस प्रकार का नियम बना हुआ है तो सत्ताधारी दल का कर्तव्य है कि वह सदन में जितने दल है उनका प्रतिनिधित्व हर कमेटी में कराये। जब हमें जानकारी हुई तो हमने माननीय बनारसीदास और माननीय कल्पनाथसिंह से सम्बन्ध स्थापित किया तो मालूम हुआ कि विरोधी दल के माननीय हरिनाथ तिवारी से उन्होंने राय मांगी। यह भी कहा कि माननीय हरिनाथ तिवारी से कि अभी फौरन जवाब दे दीजिये। उसका नतीजा यह हुआ कि सब पक्षो के नेताओं से या उनके व्हिप के सम्बन्ध नहीं स्थापित कर पाये और जो मेम्बर मिल गया उनका नाम उनकी ओर से चला गया। जब नियम यह कहता है कि सब दलों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो प्रवर समिति में तो ४३१ सदस्य हैं, एक सदस्य पर २७ व्यक्ति होने चाहिए और हमारे दल में ३५-३६ आदमी बैठे हैं लेकिन रुड़की विश्वविद्यालय समिति में हमारे दल का एक भी सदस्य नहीं है। सरकारी दल अपने कोटे से एक इंच भी हटना नहीं चाहता है। वह विरोधी दल के कोटा को काट कर अपना कोटा पूरा कर लेता है। जो नियम है उसके अन्तर्गत प्रस्ताव आता है तो ठीक है, आपकी कुर्सी से एलान होना चाहिए और नहीं आता है तो उस नियम की पाबन्दी करने के लिये सरकारी पक्ष से आपको कहना चाहिए कि इसे आप वापस लीजिए। इस लिए मेरा निवेदन है कि कल आपको गैर हाजिरी में जो नामों की घोषणा हुई है उसे फिर से ठीक करने को कहें अन्यथा नियम की इसमें पाबन्दी होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

जिन नियमो के ऊपर आपने ध्यान आकर्षित किया है उनमें यह है कि जब चुनने का समय आये तो नियम ३०९ लागू होता है—"जब किसी अधिनियम के अनुसारअ थवा अन्यथा सभा के सदस्यगण अथवा उनके एक भाग को किसी सार्वजनिक संस्था के लिए अपन प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना हो तो सचिव से इस सम्बन्ध में प्रार्थना किये जाने पर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार

[श्री अध्यक्ष]

या अध्यक्ष के निर्देशानुसार तथा उनके द्वारा निर्मित विनियमो के अनुसार, यदि कोई हों, निर्वाचन करने का प्रबन्ध करेगा"। फिर जब निर्वाचन होता है तो ३०८ लागू होता है। "अध्यक्ष एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन की पद्धति के विषय में या किसी अन्य प्रयोजनार्थ शलाका करने के लिये जिसका इन नियमों में कोई उपबन्ध नही है, विनियमन बनाएगे।" हमारे यहां नियम बने हुए हैं उनके अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। अगर जितनी संख्या की आवश्यकता हो, उससे अधिक नाम आयें, तो निर्वाचन करने की आवश्यकता होती। उस वक्त सदन के सामने केवल उतने ही नाम आये जितने की आवश्यकता थी। अब आपका कहना है कि आपकी पार्टी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिये वह उसमें नहीं हुआ। उसका प्रतिकार उसी समय हो सकता है अगर कोई उसी समय आपत्ति उठाई होती। अब सदन ने एक बात तय कर ली है, वह कैसे निरस्त हो सकती है, इस पर आप बताएं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, आप नियम २६१ को पढ़े, जिसमें संयुक्त प्रवर समिति की चर्चा है। इस नियम से इस घोषणा की पाबन्दी होती है या नहीं यहा कृपया देख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप २६१ (घ) के बारे में कह रहे है।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, यहां पर इस स्थिति हमें नियम आदि के चक्कर में नही पड़ना चाहिये। केवल एक माननीय दल के एक सदस्य को संयुक्त प्रवर समिति में एडजस्ट करने का सवाल है। इतने बड़े दल को प्रनितिधित्व नहीं मिला ह। श्रीमन्, हमने भी समय पर, उन्होंने हमें भी सीटें खाली कर के दी हैं और हमने भी दी हैं। संयुक्त प्रवर समिति का उद्देश्य यही है कि उसमें सभी दलों की विचारधारा का समावेश हो जाय। तो यदि किसी एक दल का सदस्य समिति में छूट गया है तो एक सीट खाली करके हमें दल के एक किसी सदस्य को ले लेना चाहिये।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन् इस प्रसंग में श्री रामसुन्दर पांडेय ने मेरा भी नाम लिया। जहां तक प्रवर समिति में नाम भेजने का बात थी, विरोधी दल के सचेतक से मेरी बात हुई और उन्होंने अन्य लोगों से भी बात करने की कोशिश की। वह नाम उन्होंने मुझे बताये जिनको इसमें रखा गया। जहां तक शासक दल का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे भी तकलीफ हो सकती है कि आपके दल का कोई आदमी उसमें नहीं आया, लेकिन एक बात जो आप देखेंगे, जिस अनुपात की बात आपने कही, इसमें ६ माननीय सदस्य विरोधी पक्ष के मौजूद हैं। इसमें शासक दल ने विरोधी पक्ष की किसी सीट को लेने का प्रयास नहीं किया। यह तो आपके बीच की बात है।, इसे हम लोगों को सोच लेना चाहिये। इस बात को अपोजिशन के लोग आपस में बैठकर तय कर सकते हैं कि किस कमेटी में और कब कौन जाए। यह आये दिन हुआ करता है। मान लीजिए, किसी कमेटी में एक ही आदमी जाना है तो अपोजिशन को ही बैठकर तय करना है कि उस जगह पर कौन जाए। वह समय समय पर नाम बदल कर भेज सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय कल्पनाथसिंह ने जो कहा, मैं समझता हूं वह माननीय सदन की परम्पराओं से अवगत हैं। यहाँ समिति में ६ आदमियों की व्यवस्था है जबकि हम यहां पर ७ दलों के लोग मौजूद हैं। इसलिये किसी में भी सभी दलों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। प्रवर समिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया।

में सभी दलों के प्रतिनिधियों को लेने के लिये यह आवश्यक है कि आदमी और अधिक होने चाहिये। यह अवश्य ह कि बहुमत शासक दल का हो हाना चाहिये, किन्तु ६ से ७ सदस्य की संख्या किये जाने पर कुछ बिगड़ने वाला नही है, बहुमत में वे तब भो रहेंगे। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह उनके दल का भी एक सदस्य एडजस्ट करने की कृपा करें, कोई अपना एक नाम वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

मेरी समझ में, मैं अपने इस आसन से बैठकर सदन के एक फैसले को उलट नहीं सकता। यह तो आपकी और सदन के नेता की आपसी बात से तय करने की बात है।

श्री नवलकिशोर (जिला रायबरेली)—

जैसा कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने माननीय कल्पनाथ सिंह को कहा कि वे यहां की परम्पराओं से अवगत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो आज तक जितनी भी सेलेक्ट कमेटियां बनी है उनमें विरोधी दल और सरकारी दल का करीब करीब यही अनुपात रहा है और अब जबकि उधर के २४ सदस्य टूट कर इधर आ गये इसके बावजूद भी उनको ६ ही सदस्य दिये गये हैं। अब इसमें हमारे लिये तो बड़ी कठिनाई है कि हम क्या करें। अब तो यह माननीय त्रिपाठी जी और विरोधी दल के अन्य नेताओ के बीच की बात है। यह उनके फर्ज है कि वे भिन्न भिन्न दल के लोगों को उसमें ऐडजस्ट करें। आपके विरोधी दलों की संख्या रोज बढ़ती ही जाय तो उसके लिये हम क्या कर सकते है? तमाम सेलेक्ट कमेटियां बनती हैं। उनमें से किसी कमेटी में किसी को रखिये, किसी कमेटी में किसी को रखिये, और उनको आपस में एडजस्ट कीजिए। यदि नियमों में आप ऐसा कर दें कि स्पेशल सरकमस्टेन्सेज में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, तब ऐसा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, २५ से ज्यादा तो हो नहीं सकता है और इसमें प्रपोर्शन भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या बढ़ाऊं?

श्री नवलकिशोर—

अब इस वक्त नहीं बन सकता है तो आइन्दा हम ऐडजस्टमेंट की बात सोच सकते हैं। अब माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी को चाहिये कि वे अपने आदमियों में से इसको ऐडजस्ट कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय नवलकिशोर और माननीय कल्पनार्थासिह ने कहा वैसी बात नहीं है। मुझे माननीय हरिनाथ तिवारी जी ने बतलाया कि उससे कहा गया कि आप विरोधी दल के लोगों के नाम जल्दी से दे दीजिये। उनको विरोधी दल के नेताओं से जानकारी प्राप्त करने लिये १० मिनट का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने बहुत जल्दी में नाम मांगा, जबकि परम्परा यह रही है कि सेलेक्ट कमेटी के नाम भेजने के लिये १०–१५ दिन पहले से सब को सूचना दी जाती रही है ताकि वे अपनी तरफ से उसके लिये नाम भेज सकें।

श्री कल्पनार्थासिह—

यह तो एजेंन्डे पर ही दिया हुआ था। आपने देखा ही नहीं तो क्या किया जाय?

श्री अध्यक्ष—

अब आप मुझे बतलायें कि किस नियम के अनुसार यह सदन का एक फैसला जो पहले हो चुका है, उसको उलट दूं, और उसे कौन उलट सकता है? या तो फिर आपकी तरफ से कोई

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव आवे कि कल जो सदन द्वारा फैसला हुआ है उसको उलट दिया जाय, तब मैं उसके ऊपर सदन की राय ले लूं। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह विवाद जो इस समय पैदा हो गया है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। यह विवाद तो इस समय पैदा ही नहीं होना चाहिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, कांग्रेस दल के सचेतक का अधिकार अपनी-अपनी रूलिंग से बहुत बढ़ा दिया है।

श्री अध्यक्ष---

जहां तक अधिकार की बात है, आप मुझे बतला दीजिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

आप अपने कक्ष में चलें, मैं आपको बतला दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

कांग्रेस दल को चाहिए कि अपनी तरफ के एक आदमी का नाम हटा कर विरोधी दल के एक सदस्य को ऐडजस्ट कर दे।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय का विभिन्न समितियों से त्याग-पत्र

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैंने दो तीन कागज आपको दिए हैं, उनको आप जरा देख लें, उससे साफ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---

उसको मैं देख लूंगा और उसको भेजवा दूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

श्रीमन्, कल जो संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम का एलान हुआ उससे इसका सम्बन्ध है। मैंने वहां से त्यागपत्र दे दिया है ताकि वहां और लोग आ जायं।

श्री अध्यक्ष---

हमारे पास माननीय केशरीप्रसाद के दो तीन पत्र आए हैं। उनमें एक है---मेरा नाम उत्तर प्रदेश पशु रोग विधेयक, १९६५ से सम्बन्धित संयुक्त प्रवर समिति में रखा गया है, यह कार्य मेरी अनुमति के बगैर किया गया है। अतः उक्त समिति की सदस्यता मुझे अस्वीकार है।

दूसरा है---मैं कुछ कारणों से उत्तर प्रदेश पशु संपरीक्षण विधेयक, १९६५ की संयुक्त प्रवर समिति की सदस्यता निर्वहन करने में असमर्थ हूं। कृपया उक्त समिति से मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें।

तीसरा है---कृपया कार्य मन्त्रणा समिति से मेरा त्याग-पत्र स्वीकार करें।

विधान मंडल सचिवालयों के वेतन-क्रमों को पुनः निर्धारित करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन के संबंध में संकल्प—(क्रमागत) †

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं निवेदन कर रहा था कि समाज में कुछ ऐसी सेवायें होती हैं जिनके लिये विशेष परम्पराओं का सृजन किया जाता है और उसी आवश्यकता का अनुभव करते हुये हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्राविधान था कि सचिवालय के कर्मचारियों का एक अलग सेक्रेटेरियेट हो। उनकी कंडीशन्स आफ सर्विस में अगर कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन या संशोधन हो तो वह माननीय अध्यक्ष और माननीय विधान परिषद् के चेयरमैन की सहमति से होना चाहिये। मान्यवर, मैंने निवेदन करते हुये यह भी कहा था कि पे रेशनेलाइजेशन कमेटी ने सचिवालय के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां तक सचिवालय के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उसमें रेशनेलाइजेशन के बजाय इर्रेशनलाइजेशन किया है और पे अनामलीज को घटाने के बजाय बढ़ाया है। उन बातों को निवेदन करते हुये मैंने सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखे थे और अन्त में उन तथ्यों को उद्धृत करते हुये कुछ उदाहरण दिये थे। उसमें मैंने बतलाया था कि हमारे लेजिस्लेटिव असेम्बली के सेक्रेटरी का पद देख लिया जाय। उसका वर्तमान जो स्तर था उसको इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार नीचे लाने की कोशिश की गई है। वह ९०० रुपये से आरम्भ न होकर ६०० से आरम्भ किया गया है यद्यपि उसका प्रारम्भिक वेतन ९५० रुपया रखा गया है। यह हमारे सचिवालय के कर्मचारियों के साथ अन्याय है और मैं यह कहने के लिये क्षमा किया जाऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि किन्हीं अफसरों की यह धारणा है कि वह इस सचिवालय के कर्मचारियों को उस स्तर पर नहीं रखना चाहते हैं जिस पर हमारे दूसरे कर्मचारी हैं, जिनके समान दायित्व हैं और जिनसे हम समान कार्य की आशा करते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह विचारधारा और यह आधारभूत सिद्धान्त सर्वथा गलत है और यह हमारे सचिवालय के कर्मचारियों के साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी अन्याय है। इसका परिणाम यह होगा कि उन कर्मचारियों से हम वह उपेक्षा नहीं कर सकते जो कि उनसे करनी चाहिये। सचिवालय के कर्मचारियों के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको सरकारी बुराई को दूर रख कर अपना कार्य भार पूरा करना होता है। उनको दलगत राजनीति से भी बहुत ऊंचे रहना पड़ता है। वे सभी पक्षों की बात मान कर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं। इतने बड़े गुरुतर दायित्व को पूरा करने के लिये अगर उनके वेतन क्रम को नीचा करने की बात सोची जाय तो कदाचित् यह ठीक नहीं होगा। सेक्रेटरी का जो वेतन क्रम है उसका भी एक इतिहास है। माननीय पुरुषोत्तमदास टंडन जी के समय से इस पर विचार होता रहा। समय समय पर विचार होने के बाद एक स्तर निश्चित हुआ लेकिन उसको भी इस कमेटी की सिफारिश के अनुसार नीचे लाने का प्रयत्न किया गया है।

कमेटी के सेक्रेटरी का भी वेतन इसी प्रकार से किया गया है। उनकी भी बिलकुल यही पोजीशन है। मेरा भी कुछ समितियों से सम्बन्ध रहा है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह पद बड़ी जिम्मेदारी का होता है। कमेटी के सेक्रेटरी के लिये प्राक्कलन समिति ने मांग की थी कि उसका भी एक विशेष स्तर होना चाहिये और उसका ग्रेड कम से कम असिस्टेंट सेक्रेटरी का होना चाहिये। उस वक्त सरकार ने एक स्पेशल अफसर हमारे लिये दिया। एक स्पेशल अफसर मिला और उसका एक ग्रेड भी हुआ लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२७ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

अब उसको अन्ततोगत्वा उसी अधीक्षक के स्तर पर ले आये हैं। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस कमेटी में सचिवालय के सारे स्तर के कर्मचारियों की कुछ उपेक्षा हुई है। मैंने उस रोज भी कहा था। मैं यह नहीं कहता कि जान-बूझ कर ऐसा हुआ, लेकिन अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि उपेक्षा किन्हीं कारणों से हुई, पर हुई अवश्य।

मैं लाइब्रेरी के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। विधान सभा के सदस्यों के लिए सबसे आवश्यक इस अपने कार्य में सहायता करने का माध्यम है पुस्तकालय। पुस्तकालय जितनी अच्छी तरह से संचालित हो, पुस्तकाध्यक्ष जितने अच्छे स्तर का हो, अधिकारी जितने अच्छे हों उतना ही कार्य अच्छा होगा। मान्यवर, आप अपने यहां के पुस्तकाध्यक्ष के वेतन क्रम और लोक सभा या दूसरी विधान सभाओं के पुस्तकाध्यक्षों के वेतन स्तर या अपने यहां के वेतन-क्रम को दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के वेतन-क्रम से मिलायें तो उनमें आपको अन्तर मिलेगा और इतना बड़ा अन्तर है कि मैं आशा करता था कि पे रेशनेलाइजेशन कमेटी उस निगाह से देख कर उस अन्तर को कम करने की सिफारिश करेगी, लेकिन उस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया।

हमारे रिपोर्टर्स के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उनको उस ग्रेड से भी वंचित किया गया जो कि हमारे मंत्रिगण के सीनियर स्टेनोग्राफर्स को मिलता है। सीनियर स्टेनोग्राफर्स को बड़ी ओपर्चुनिटीज होती हैं, प्रोमोशंस के भी अवसर हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी उनमें से हो जाते हैं। हमारे सचिवालय के रिपोर्टर्स को आगे बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है, फिर भी उनका वेतन क्रम सीनियर स्टेनोग्राफर से नीचा हो, जबकि उनकी वरिष्ठता के जो नार्म्स हैं वह उनसे ऊंचे हों, उनकी प्रि-रिक्वीजिट क्वालिफिकेशंस उनसे ऊंची हों और रोज का कार्य भार ज्यादा हो और फिर भी रिपोर्टर्स के वेतन-क्रम से स्टेनोग्राफर्स का वेतन-क्रम बढ़ जाय, यह मुझे उचित नहीं मालूम होता।

मान्यवर, मैंने इस रिपोर्ट को सचिवालय के कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरी दिशाओं में भी देखने की कोशिश की। केवल एक बात समझने के लिये कि जुडीशियरी से संबंधित, मुझे तो ऐसा लगता है, कि जहां जहां भी अधिकारी हैं उनके साथ वह न्याय नहीं हुआ है जो एग्जिक्युटिव से संबंधित कर्मचारियों के साथ हुआ है। जो कुछ भी उसके कारण रहे हों। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिलों में कलेक्टोरेट के आफिस का आफिस सुपरिंटेंडेंट होता है और जज के आफिस में सदर मुंसरिम होता है। सन १९३१ से पहले जो स्केल्स थे उनमें सदर मुंसरिम का वेतन-क्रम कलेक्टोरेट के आफिस सुपरिंटेंडेंट से ऊंचा था। उसके बाद सन् ४७ में वह ऐंट पार हो गया और फिर सन् ५६ में जो रिआर्गेनाइजेशन हुआ कलेक्टोरेट का हमारे दास साहब की अध्यक्षता में, उस समय कलेक्टोरेट के सुपरिंटेंडेंट का कुछ ग्रेड बढ़ गया, लेकिन उस समय जजेज के आफिस के लिए कोई कमेटी नहीं थी। मुकर्जी कमेटी के नाम से जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी थी उसने और बातों के साथ सर्विस कंडीशंस को भी देखा और उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में यह था और उसने ध्यान दिया। उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ १३० पर सिफारिश है कि कोई कारण नहीं है कि उस पदासीन व्यक्ति का वेतन-क्रम आफिस सुपरिंटेंडेंट जो कलेक्टोरेट का होता है, उससे किसी तरह से कम हो। मैं आशा करता था कि श्री मुकर्जी ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में बनी उस कमेटी की सिफारिश को पे रेशनेलाईजेशन कमेटी अपने सामने रखेगी, लेकिन वह डिस्पेरिटी और बढ़ा दी गयी और कलेक्टोरेट के सुपरिंटेंडेंट का ग्रेड और नीचा कर दिया गया और जो पैरिटी थी उसको और भी खत्म कर दिया गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं जानता कि किस दृष्टिकोण से इन सिफारिशों को बनाया गया है।

इसके प्रारम्भ में जो मूल सिद्धान्त हैं उनमें आरम्भ में दिया हुआ है कि हम यह देखेंगे कि जिन समान सेवा करने वाले व्यक्तियों को जिन पर समान वर्क लोड है, जिन पर समान कार्य दायित्व है उनको समान वेतन दिया जाय। यह सिद्धान्तभूत आधार थे कि पे बैंग हमें किन

सेवाओं से कितना मिलता है उसको हम दृष्टि में रखेंगे। तो चाहे आप पे बैंग की दृष्टि से देखें, चाहे वर्क लोड की दृष्टि से देखें, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। श्रीमन्, हम अपनी सेवाओं को बड़े प्रयत्नों से सृजन कर पाये थे। जो उच्च परम्परायें एक सिद्धान्त के आधार पर हम निर्मित कर पाये थे, क्या आज हम उनको मिटाने जा रहे हैं? क्या आज हम उस उच्च स्तर को जिसे हम बहुत समय में बना पाये थे, समाप्त करने जा रहे हैं और उसकी उपेक्षा कर रहे हैं? यह एक सीधा सा प्रश्न है। मान्यवर, उस दिन मैंने काफी समय ले लिया था, आज अधिक समय नहीं लूंगा, केवल इतनी प्रार्थना करूंगा कि जहां तक इस सचिवालय के कर्मचारियों का संबंध है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं यह कहने के लिये, इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त में जो तालिका दी है, उसको मैंने पढ़ा, उसमें कहीं मुझको ऐसा देखने को नहीं मिला कि इस सचिवालय के अधिकारियों से, आप से तथा विधान परिषद् के सभापति महोदय से कुछ भी परामर्श किया हो, जबकि इस सचिवालय के कर्मचारियों के बारे में संविधान में स्पष्ट आदेश थे, डाइरेक्शन थे कि बिना आपकी अनुमति के उनकी सेवाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय। आज एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जो इस बात का तकाजा करती है कि हम इस विषय पर विचार करें।

मैं माननीय राम सुन्दर पांडेय जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपना संकल्प रख कर हमें यह अवसर दिया कि हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सक, और सदन के माननीय सदस्य भी इस पर विचार कर सक। हम केवल इतनी ही मांग करते हैं कि इस विषय पर गम्भीरता के साथ विचार हो, सरकार चाहे इस बात का आश्वासन दे दे कि वह आप और विधान परिषद् के सभापति के साथ परामर्श करके उचित कार्यवाही करेगी, या इस संकल्प को वह स्वीकार कर ले। इतनी ही मेरी निर्दोष प्रार्थना है, इतनी ही निर्दोष मांग है, जिसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो पे एनामली कमेटी बैठी है, उसका यही उद्देश्य है कि जो एनामली रह गयी है उस पर वह विचार करे। आज इस संकल्प के द्वारा हमारी यह मांग है कि इस सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर पुनः विचार हो और यह विचार दूसरी सेवाओं को सामने रख कर हो, लोक सभा में जो इसी प्रकार का कार्य करने वाले हैं उनके वेतन-क्रमों को सामने रख कर हो, अन्य विभागों में जो वेतन-क्रम हैं उनको सामने रख कर हो। उसके लिये चाहे सरकार स्वतः कोई आश्वासन दे या इसको स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आज इस संकल्प की जो मांग है, उसके सिद्धान्तों का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं जो श्री राम सुन्दर पांडेय ने यह संकल्प उपस्थित किया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी के भाषण को आज भी ध्यानपूर्वक सुना और उस दिन भी। मैं उनकी बातों से सहमत हूं। उन्होंने बहुत गहराई के अन्दर जा करके सारे तथ्यों को आपके सामने रखा है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। पर मेरी एक अपील है। जिस प्रकार मैं समझ रहा हूं और आपके द्वारा सरकार से मेरी अपील है, मैं इस लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट के बारे में कुछ कहने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जब हम और राजकीय महकमों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यदि आप अथवा प्रेसीडेन्ट लेजिस्लेटिव काउन्सिल, दोनों सदनों के अध्यक्ष, अपनी निगाह इस बात से हटा लें तो इसे स्टैप मदरली ट्रीटमेन्ट की संज्ञा दी जा सकती है जो इसके साथ व्यवहार होता है। एक्जीक्यूटिव या फाइनेन्स या दूसरे अधिकारियों को जो देखता हूं जिनकी कहीं न कहीं पर पहुंच रही होगी अपने ही विचार प्रकट करने के लिये, उनका व्यवहार देखता हूं तो मैं किस नतीजे पर पहुंचता हूं। दरअसल इनके प्रतिनिधि किसी मामले में उस समिति के सामने नहीं हो पाये। आपने बिलकुल सही बात कहीं, किसी का प्रोमोशन, किसी की नियुक्ति, किसी की तरक्की, किस आधार पर होती है? आधार हम सामान्यतया

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रासद त्रिपाठी]

समझते हैं। उसकी रिस्पान्सिबलिटी, उसके कार्य की महत्ता, वह किस स्थान पर है, वह कैसा कार्य करता है, कितनी इम्पारटेन्स है जगह की, उसकी कुशलता क्या है, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिये। हम यह मानते हैं कि प्रजातन्त्र की माता है लेजिस्लेचर। यहीं से सब को शक्ति प्रदान होती है। यह शक्ति प्रस्फुटित होती है एक स्थान से सारे अवयवों को प्रदान करने के लिये और उन सबको एक स्थान पर रखने का दायित्व किस पर है, इसका भार किस पर है, जहां हम कह सकें कि सदन के माननीय सदस्य हैं, आप हैं जो सबके हितों की रक्षा करने वाले हैं तो इनकी दशा आर्फन्स की सी हो जो हमारे कार्य को चलाने के लिये नट्स ऐण्ड बोल्टस की तरह हैं। मैंने आर्फन्स इसलिये कहा कि सरकार का चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो वह इस फोकस के सामने आता है, वह इस सदन के सामने आता है, वह यहां आलोचना के लिये आता है, अनुदान के लिये आता है, और जितने पहलू हैं सबके लिये आता है। उसकी स्थिति से अवगत हम कराते हैं, उसकी स्थिति को हम मानते हैं। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसमें योगदान हम करते हैं। जिस किसी रूप में हम देखें ए टु जेड, यह लैजिस्लेचर का सेक्रेटेरियट है, तथ्यों की जांच है वह यहां से होती है।

फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट इससे हमेशा नाराज रहता है। हम पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के सामने बैठते हैं, इसके जितने अधिकारी हैं, चाहे वे मंत्री हों या दूसरे दायित्व रखते हैं, उसमें लिखते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० यह गलत काम करता है, जुडीशियल डिपार्टमेन्ट यह गलत काम करता है, एजूकेशन डिपार्टमेन्ट यह गलत काम करता है, यह जितने हमारे सरकारी महकमे हैं सबको गृद्ध दृष्टि प्रदान कर सकता है हमारा सेक्रेटेरियट। जो ऐसी स्थिति में आलोचना की नोक के सामने लाता है, यह जो आरगेनाइजेशन है इसको कौन प्रसन्न रख सकता है?

मैं इस बात को मानता हूं कि जब कोई व्यक्ति आपके सामने कोई कागज रखता है, या कोई रूलिंग आपको दिखाता है तो हमको भी बुरा लग जाता है और हम उसकी आपसे शिकायत करते हैं लेकिन हम यहां न्याय करने के लिये बैठे हैं, हमें यह नहीं सोचना है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया। हम यहां सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन पहली दृष्टि उस आलोचना के लिये हमें कौन देता है? यही आपका विभाग है। लेकिन हम उसकी ओर से जागरूक नहीं रहे हैं, उसके हितों की रक्षा अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। हम यह अच्छी प्रकार से नहीं समझ रहे हैं कि सेक्रेटेरियेट का कितना महत्वपूर्ण कार्य है। जो विभाग हमें दूध पिलाता है, प्रजातंत्र में विश्वास को बल देता है, चाहे वह लाइब्रेरी का स्टाफ हो, चाहे रिपोर्टर्स हों, चाहे सेक्रेटेरियट का दूसरा स्टाफ हो, हम देखते हैं कि उन सब के प्रमोशन के अवसर रुंधे हुए हैं। आज हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर सके हैं। इस वेतन अभिनवीकरण में भी उसके साथ न्याय नहीं किया है, इसके साथ अन्याय हुआ है। जैसा अन्याय दूसरे विभागों के साथ हुआ है उससे अधिक इसके साथ हुआ है; जहां से सब लोग प्रजातंत्र का पाठ सीखते हैं, उसके साथ एक्जीक्यूटिव के द्वारा अन्याय हुआ है। यहां तो चीफ सेक्रेटरी आल इन आल है, उसका सबार्डिनेट अगर यह विभाग रहेगा तो श्रीमन, आपही सोचें उसकी क्या दशा होगी। लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट के किसी भाग का भी जनरल सेक्रेटेरियट का सबार्डिनेशन होना मेरी राय में उचित नहीं है। सब-आर्डिनेट होकर भला वह अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से निभा सकता है? हम तो उसको सारे विश्व के मस्तिष्क से ऊपर रखना चाहते हैं क्योंकि उसका कार्य है ही इतने महत्व का। उसके हितों की रक्षा हमको करना है। वेतन अभिनवीकरण ने इसको नहीं देखा। श्रीमन, इसका दोष हम आप पर और चेयरमेन साहब पर भी लगाते हैं कि आपने इसको क्यों नहीं देखा। जब डाक्टर सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर थे उस समय यह प्रश्न उठा था, उसके बारे में हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब ने क्या किया। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जो किसी एक पक्ष की बात होती, यह तो न्याय की बात थी। अगर कुछ किया तो उसका फल क्या हुआ और जिस हद तक आपने उसको नहीं किया, उतने अंश में आपने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया, आपने उसके महत्व पर ध्यान नहीं दिया। आप दोनों को अपने स्टाफ के बारे में इंटरफियरेंस करना चाहिये था। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि वह प्रजातंत्र कीरक्षा करना हैचाहती लकिन दूसरी तरफ प्रजातंत्र के पोषक एक विभाग की ओर इस प्रकार

का व्यवहार करती है, यह दुधारू तलवार नहीं चल सकती। एक ओर आप प्रजातंत्र को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर उसकी नसों को आप कमजोर कर रहे हैं।

इस संबंध में लोक सभा के सेक्रेटरी की बात मुझे याद आ रही है। वे इंगलैन्ड गये थे। उनके सामने भी यही प्रश्न इंग्लैन्ड में आया। कौल साहब ने हाउस आफ कामन्स के मिस्टर फेलोज से पूछा कि हमारे यहां झगड़ा हुआ करता है, विशेषकर फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है। तो उन्होंने कहा कि हम यह नहीं करते कि इस दरवाजे गये, उस दरवाजे गये और घूम फिर कर लौट आये। हम अपने यहां एफिशिएंसी से आदमी को तौलते हैं। अगर आदमी एफिशियेंट है तो हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। हमने जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क के ग्रेड बना रखे हैं। यहां की तरह वहां नहीं है कि सैक्रेटरी बैठे हुए हैं तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हैं वह आगे बढ़ नहीं सकते हैं, एक दूसरे की मौत का इन्तजार करें, उनकी मौत हो तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि यह हमारे यहां स्थिति नहीं है। हमने देख लिया कि आदमी एफिशियेंट है तो भले ही उसको सेक्रेटरी न बनायें लेकिन वही सेक्रेटरी की तनख्वाह दे देंगे। हमारे यहां आदमी को उतनी ही तनख्वाह मिलती है जितना कि वह एफिशियेंट है और सिविल सर्वेंट से कम नहीं मिलती। मिस्टर कौल ने उनसे पूछा था--

"One of the main difficulties with us has been that there is a constant complaint from our staff that the promotion in our office is blocked. For long period of service they have little chance of promotion, compared to their opposite numbers."

श्री अध्यक्ष--

जरा हिन्दी अनुवाद कर दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मिस्टर कौल उनसे बहस कर रहे थे अपनी शंका दूर करने के लिये और उसमें उन्होंने कहा कि हमको तमाम दिक्कतें हैं अपने सेक्रेटेरिएट के संबंध में और उसमें एक दिक्कत यह बराबर रही कि हमारा तो तरक्की का रास्ता बिलकुल अवरुद्ध है। बहुत दिनों तक हमारे यहां लोगों को प्रोमोशन का चांस नहीं मिलता, इसके लिये आप क्या कहते हैं? तो इस पर मिस्टर फेलोज ने कहा--

"Well, we solved it only as late as 1945. We solved this officially by saying that after six years a man comes to us, provided he is certified as efficient by the Clerk of the House, he should be promoted to be a Senior Clerk regardless of whether there is a vacancy or not, provided he satisfies the test of efficiency. He becomes a Senior Clerk."

उन्होंने यह कहा कि हमारे सामने यह विवादग्रस्त सवाल रहा और हमने १९४५ में इसको इस प्रकार साल्व कर लिया कि यह निश्चय हमारे यहां हो गया कि छः वर्ष के बाद आदमी अगर एफिशियेंट हो तो वह तरक्की पायेगा। तरक्की की जगह पर अपनी तनख्वाह के मानी में चला जायगा चाहे वह जगह तरक्की वाली खाली हो या न हो। इस तरह तरक्की की जगह भले ही न हो तरक्की की तनख्वाह के हकदार वह हो गए।

एक बात और उन्होंने कही जो आप लोगों से संबंधित है। मेरी शिकायत आप लोगों से है, स्पीकर महोदय और कौंसिल के चेयरमैन महोदय से कि चाहे वह लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट हो चाहे लेजिस्लेचर लाइब्रेरी हो, इसके लिये आपने क्या किया। उन्होंने बताया कि हमारे हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने बड़ा फर्म लाइन लिया--

"I should of course tell you that our Speaker took a very firm line. He said, "I should have officials for the House of Commons who are of the

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

same ability and status as the officials of the Civl Service. We have constantly to deal with the Civil Services on behalf of the House of Commons and if you do not have people of equal ability and status serving the House you will have the House of Commons defeated. I will not let this happen and if necessary, I will go to the House direct on this matter."

इस का सारांश यह है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास हाउस आफ कामन्स के कार्य संचालन के लिये जो अधिकारी हों उनकी योग्यता इतनी हो जैसे सिविल सर्विसेज की होती है, हमको कहते हैं कि हमको सिविल सर्विसज़ से मौका पड़ता है, काम पड़ता है और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हमें भी इसलिये उन्हीं की योग्यता के अनुरूप आदमी चाहिये और अगर हमने ऐसा न किया तो जो हाउस आफ कामन्स के कार्य संचालन का और उसको रखने का जो मन्तव्य है, वही खत्म हो जायगा। इसलिये उन का स्टेट्स बढ़ाना होगा और इस वास्ते उनके प्रोमोशन के लिये गवर्नमेंट से नहीं बल्कि डायरेक्ट हाउस से अपील होनी चाहिये। गवर्नमेंट से अपील करने में दूसरी बात हो जाती है, अन्तर हो जाता है। हम जानते हैं जैसे ही कोई मंत्री बनता है, उस की प्रकृति ही बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसका व्यवहार बदल जाता है और उसके लिये सेक्रेटरी या विभाग के सेक्रेटरी ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनको जो सेक्रेटरी कहता है वही सही लगने लगता है लेकिन यहां दुर्लक्ष्य होता है। श्रीमन्, आपके सामने अपने सचिवालय की बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती होंगी और आप हम से ज्यादा स्वयं ही जानते भी होंगे। हमारा जो संविधान का आर्टिकिल १८७ है वह भी वायलेट होता है। अभी एक अवसर बहुत दिन बाद प्रोमोशन या वेतन का वेतन अभिनवीकरण समिति के रूप में आया। लेकिन उस समिति ने भी इस विभाग की तरफ इस शरीर के एक विशेष अंग की तरफ जो सारे शरीर में हार्ट की तरह रक्त का संचार करता है, जो पूरे अवयवों का संचालन करता है, उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रबल अंग की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया, तो यह जो संविधान की आर्टिकिल १८७ है उसका बड़ा झगड़ा है। मेरी समझ में नहीं आया, आप श्रीमन्, ज्यादा जानते होंगे या मंत्री जी ज्यादा जानते होंगे कि इस तरह की लड़ाई क्यों है कि कागज हमारे द्वारा जायं या दूसरे जरिये से न जायं।

श्री अध्यक्ष—

यह अभी तक है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्यों? इसलिये कि हमारे खिलाफ कोई चीज न जाय। जबसे सरकार बनती है तो उसके साथ ब्यूरोक्रेसी आरम्भ से चली आती है जिस की हम सब शिकायत करते हैं, ब्यूरोक्रेसी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर नौकरशाही न होगी तो काम नहीं चल सकेगा लेकिन उसके खिलाफ क्यों कहा जाय, क्यों आवाज उठाई जाय, इस सिद्धान्त से हमारा विरोध है। वह आवाज उठानी चाहिये। अंग्रेजी सरकार ने यहां जो ब्यूरोक्रेसी कायम की थी वही अब तक यहां चली आ रही है और वह उसी अविश्वास के आधार पर चलती है। डिप्टी कलेक्टर लिखेगा कलेक्टर के द्वारा, वह डायरेक्ट नहीं जाने देगा, वह कमिश्नर के पास भेजेगा, अगर ठीक चीज नहीं होगी तो वह फिर वापस करेगा कलेक्टर को और वह डिप्टी कलक्टर को और इस तरह से पटवारी तक एक चेनेल है, अगर छूट ज्यादा लिखकर दे दी गई है तो फिर कमिश्नर कहेगा कि इसे ४० प्रतिशत से ज्यादा न कराओ, तो वह फिर पटवारी तक नीचे पहुंचेगा और फिर कमिश्नर तक उसी तरह से जायगा। यह अंग्रेजी जमाने की बात थी कि जब अपने ऐब सुनकर उनको सुधारने का सवाल नहीं था। लेकिन आज क्या दिक्कत है, क्यों कागज डायरेक्ट मंत्री के पास नहीं जा सकते? जब चीज कई जगह होकर जायगी तो जैसे पहले आंख में आयेगी, फिर हृदय में आयेगी, फिर जबान पर और फिर कलम पर आयेगी और इस प्रासेस में कमोबेश हो सकता है और

फिर उस में वही डिप्टी कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर वाली बात हो तो फिर कैसे सत्य सदन के सामने और हमारे सामने आ सकता है। इसलिये यदि हम इस प्रजातन्त्र को पुरुष की संज्ञा दें तो सदन की सर्विसेज का यह अंग इतना प्रधान और विशेष अंग है जिसकी बराबर उपेक्षा हुई है। उसके लिये आपने या इस सरकार ने क्या किया ? यह जो फाइलें हैं उनके थ्रू जायं तो इस से यही पता चलता है कि वह पुराने उसी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को कायम रखना चाहते हैं। मैं तो जानता हूं कि यही प्रवृत्ति है आपकी इस ब्योरेक्रेसी की। मैं चाहता हूं कि उनकी यह मनोवृत्ति बदले। आखिर हमारे फाइनेन्स विभाग, हमारे चीफ़ सेक्रेटरी को ऐब क्यों जाय ? हमें यह सोचना है कि यह भावना क्यों पैदा हुई। आपने जनसेवा को नहीं समझा है। इसी ऐब की वजह से आज हमारे विधान मंडल की सेक्रेटेरियट की दुर्गति हो गयी है, तो ऐसी दशा में कौन इसकी रक्षा करे ? यह सदन मिनिस्टरों से अलग है। मिनिस्टर भले ही अपनी सेक्रेटेरिएट को लें लेकिन यहां पर इस से अधिक श्रीमन्, आप को पूर्ण अधिकार होना चाहिए। श्रीमन् मैं यह अनुभव करता हूं। मैं सारे तथ्यों की गहराई में न जाकर कह रहा हूं। मैंने केवल अपने मन की भावना को रखा है। यह प्रश्न एक बार डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय में उठा था। उन्होंने १९५५ में शायद यह कहा था :—

"एक प्रश्न है जिसके ऊपर माननीय सदस्यों को दिलचस्पी है कि हमारे लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरियट को स्वतंत्र किया जाय। ऐसा नहीं है कि हम इस चीज की महत्ता को नहीं मानते हैं और इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। संभवतः वह चीज माननीय सदस्यों की जानकारी में नहीं है। इस संबंध में काफी विचार हुआ और ऐसी बात है कि जो कुछ भी विचार हुआ उसमें पदे पदे माननीय स्पीकर महोदय और माननीय चेयरमैन महोदय, कौंसिल के उनसे राय ली गयी और जो कुछ भी थोड़ी सी व्यवस्था की गयी है, वह उन लोगों की राय से ही की गयी है कि यह पहला प्रयोग है, देखा जाय यह कैसा चलता है। यह प्रयोग ऐसा है कि दोनों सदनों के लिये एक सेक्रेटरी के अधीन दोनों सदनों के अलग-अलग सेक्रेटरी हैं। यह जो लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट है उसके ऊपर माननीय अध्यक्ष का यहां और माननीय चेयरमैन का वहां करीब-करीब वही अधिकार है जो किसी मिनिस्टर का होता है। "करीब करीब" का मतलब मैं पीछे बतलाऊंगा। और अगर किसी मामले में कोई मतभेद की बात हो, जैसे गेंदा सिंह जी ने या किसी और भाई ने जिक्र किया कि पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से बात होती है वैसे ही यहां हो गया है कि अगर कोई ऐसा मालूम हो, तो माननीय अध्यक्ष और माननीय चेयरमैन आपस में मिलकर उसको तय कर लें। "करीब करीब" शब्द का मतलब यह है कि जहां तक हम सभी समझ पाये हैं, वह यह है कि सदन के सामने जो रुपये पैसे की जिम्मेदारी होती है, कम से कम वह तो किसी मिनिस्टर को लेनी होती है क्योंकि माननीय स्पीकर या माननीय चेयरमैन सदन के सामने अपने विभाग का बजट पेश नहीं करते। तो बजट तो कम से कम मिनिस्टर को ही पेश करना पड़ता है। तो इस हद तक जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ा सा मिनिस्ट्री से संबंध है। इस वक्त तो जो लेजिस्लेटिव मिनिस्टर हैं, उनके मातहत हैं और इस माने में थोड़ी-सी मातहती जरूर है, और इसलिये मैंने करीब करीब शब्द का प्रयोग किया है। थोड़े दिन देखने के बाद अगर और स्वतंत्रता देने की बात हुई, गवर्नमेंट से संबंध अगर और क्षीण किया जा सकता है, तो हमको उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई विचार ही नहीं हुआ। जो काम ठीक है उसको करने में हमें कोई गुरेज नहीं है। शायद कुछ माननीय सदस्यों को खबर नहीं थी, इसलिये यह चीज हुई और यह अच्छा हुआ कि हमको यह बतलाने का यहां मौका मिल गया।" यह हृदय की महानता है।

माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहिम ने भी यही बात कही। लेकिन कुछ नहीं किया गया। इनके महान कार्यों को देखते हुये मैं समझता हूं कि जैसे हाई कोर्ट में इन्डीपेन्डेन्स है, जुडिशियरी इंडिपेन्डेन्ट है, ठीक उसी तरह से इसे भी इंडीपेन्डेन्ट होना चाहिये। आप उनके यहां किसी व्यक्ति को एक जगह से नहीं हटा सकते हैं उनकी परमिशन के बिना। बस्ती से लखनऊ बुला लीजिये बिना उसकी परमीशन के तो हम जानें। लेकिन यह अधिकार जुडिशियरी को कौन देता है ?

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

आज पब्लिक में हवा है कि हाई कोर्ट में जो उच्चता आनी चाहिये वह नहीं है। आज एप्वाइंटमेंट क्यों गड़बड़ हो रहे हैं ? हम उस जुडिशियरी की बात करते हैं जिसकी इंडिपेंडेंस चाहते हैं और उसकी इंडिपेंडेंस बहुत हद तक मानते हैं। हमने ऊपर से नीचे तक के स्टाफ को इंडिपेंडेंट किया। हम जानना चाहते हैं कि इस सेक्रेटेरियट में गवर्नमेंट के खिलाफ रह करके कौन व्यक्ति ऐसा है जो उस भाले की नोक से बच जाय।

श्रीमन्, बारबार हमको अवसर नहीं मिलेगा, आज यह अवसर आया है हम देखना चाहते हैं, कि आपका प्रभाव कितना है, हम आपके प्रोटेक्शन में विश्वास करते हैं। हम नहीं कहना चाहते, लेकिन मजबूर हो कर पवित्र दोष लगाना पड़ता है कि आपने सरकार को मूव नहीं किया, मूव करते और फेल हो जाते कोई हर्ज नहीं था, लेकिन आपने मूव नहीं किया। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के मन में कुछ और है और करना कुछ और चाहती है। इसलिये यह जरूरी है कि सेक्रेटेरियट को ऊपर उठाया जाय, इनका प्रोमोशन अन्य सर्विसेज से किसी माने में कम न हो, बल्कि ऊंचा हो, इनका जो मेंटल सबार्डिनेशन है वह खत्म होना चाहिये और केवल हाउस का सबार्डिनेशन होना चाहिये।

आज कहने को तो कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी हाउस के अधीन है, मैंने पहले भी कहा है कि दो मर्तबा मैंने चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक अप्वाइंटमेंट नहीं मिल सका। तब आप बताइये कैसा यह हाउस का सबार्डिनेशन है ? आप अपनी शक्ति ग्रहण करते हैं चीफ मिनिस्टर से, सदन का आपको किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये जो सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का अवसर आया है तब हमने यह मजबूर हो कर कहा है। मेरी प्रार्थना है सरकार से आपके द्वारा कि इस पे रेशनेलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करके प्रजातन्त्र की रक्षा के हित में, इसमें विश्वास पैदा करने के हित में और आपसे भी प्रार्थना है कि ऐट दी रिस्क आफ योर आनर, दोनों ही सदनों के अध्यक्ष, इस पहलू को अपने हाथ में लें। जैसा पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा था, वही रूख अपनायें। लोक सभा के उतना भी तो यहां नहीं है। आपके पास ताकत है, इसे हाथ से न जाने दें, इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, आज जो प्रश्न सदन के सामने है इसके कई पहलू हैं। एक तो विधान मंडल के कर्मचारियों का वेतन-क्रम क्या हो यह है और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न स्टेटस का है। और इस से संबंधित प्रश्न यह है कि स्पीकर और चेयरमैन का सचिवालय स्वतंत्र है या नहीं, और उसको स्वतंत्र होना चाहिये तो कहां तक स्वतंत्र होना चाहिये ? और मान्यवर, यदि और आगे इसको व्यापक बनाया जाय तो यह भी प्रश्न पैदा हो जाता है कि डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग कैसे हो ? हमारे प्रदेश के अन्दर कई प्रश्न एक दूसरे से भिड़े हुये हैं। मान्यवर, यह जो पे रेशनलाइजेशन कमेटी बनी इसको कोई अधिकार असेम्बली और कौंसिल के स्टाफ के वेतन-क्रम को तय करने के बारे में नहीं था। कहा यह गया था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों की रेशनलाइज करने के लिये पे कमेटी बनाई जा रही है। यह भी एक पेराडाक्स कहिये या एनोमली कहिये कि यहां के लोग इस सचिवालय के कर्मचारी होते हुये भी गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं। विधान मंडल का वह कर्मचारी है और डायरेक्ट आपके तथा विधान परिषद् के चेयरमैन के नेतृत्व में और उनके अधीन वह काम करता है। कांस्टीट्यूशन अगर हम देखें तो ज्ञात होगा कि उसमें गवर्नर के दो फंक्शन डिफाइन किये गये हैं, एक एक्जक्यटिव और दूसरा लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव फंक्शन में जहां तक मेरी जानकारी है लेजिस्लेचर के संबंध में मैं आर्टिकिल १८७ आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretarial staff."

'सेपरेट" के मानी यह है कि उसका केडर जो होगा, उसका प्रोमोशन जो होगा उसका कोई वास्ता जनरल सेक्रेटेरियट से नहीं होगा जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट को कंट्रोल करता है। इसमें यह भी लिखा हुआ है, सब क्लाज ३ में कि--

"Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the conditions of service of persons appointed."

हिन्दुस्तान की आजादी के १८ साल के बाद भी जब से यह संविधान लागू हुआ है इस संबंध में कोई रूल्स नहीं बनाये गये हैं। तो यह बात साफ है कि आपके सेक्रेटेरियट के बारे में गवर्नर आपकी एडवाइस पर काम करेंगे। चीफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं मानी जायगी। इससे यह बात साबित होती है कि कांस्टीट्यूशन ने भी इस बात का प्राविजन किया है कि लेजिस्लेटिव विंग जो है वह अपनी जगह बिलकुल इंडिपेन्डेन्ट होगा। जैसा मैंने निवेदन किया एक्जिक्यूटिव और जुडीशियरी भी अपनी अपनी जगह पर हैं। लेजिस्लेटिव विंग जो कानून बनाता है एक्जिक्यूटिव का फर्ज हो जाता है कि उन कानूनों को कार्यान्वित करे। उनके अन्दर जब कोई मतभेद पैदा होता है तब जा कर जुडीशियरी का नम्बर आता है। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता कि कौन विंग सुपीरियर है और कौन विंग इंफीरियर है लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि जो सार्वभौमिक सत्ता है वह पार्लियामेंट में निहित है और उससे डेलीगेट हो कर आती है हमारे विधान मंडल के दोनों सदनों के अन्दर और वह इस मानी में आती है कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि बैठते हैं विधान सभा में, विधान परिषद् में, संसद में और राज्य सभा में। मान्यवर, जो डायरेक्ट आपरेशन है काम का वह हमारे विधान मंडलों के अन्दर होता है और विधान मंडल ही अपनी पार्टियों के द्वारा इस मंत्रिमंडल को चुनते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह जो हमारा हाउस है एक मानी में केबिनेट इसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी है।

मैं यह कह रहा था कि यह जो पे रेशनेलाइजेशन कमेटी बनी उसकी सिफारिशें इन लोगों के बारे में अल्टरावायरिस हैं। इस विधान मंडल सेक्रेटेरियट स्टाफ के क्या पे स्केल्स हों मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। जो भी स्केल तय कर दिये जायं। लेकिन यह भी हमारे इस समाज में बदकिस्मती है कि सरकारी कर्मचारियों का स्टेटस उनकी तनख्वाह के हिसाब से माना जाता है। अगर किसी अफसर की तनख्वाह कम होती है तो स्टेटस चाहे कुछ भी हो जिसकी तनख्वाह ज्यादा होती है उससे दूसरा जिसकी तनख्वाह कम होती है अपने को इंफीरियर समझता है। एक आइडिया उनके दिमाग में इनफीरियरिटी का आ जाता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप अध्यक्ष के नाते जो स्टैंडर्ड बनाना चाहें बना दीजिये, सेलेक्शन में आई० ए० एस० से भी ऊंचा स्टैंडर्ड बना दीजिये। लेकिन एक बात सही है कि जो यहां के सेक्रेटरी और और कर्मचारियों का काम है वह और कर्मचारियों के मुकाबले में काफी भिन्न है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक किताब है "The table, the journal of the society of clerks at the table in commonwealth Parliaments." इसमें साफ लिखा है कि उनको बड़े मेंटल बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि सेक्रेटरी आपका ऐडवाइजर है। कभी कभी माननीय सदन के सदस्य, चाहे वे विरोधी दल के हों या सरकारी पक्ष के हों, ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हों या गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग हो सकते हों। उनका सेलेक्शन यहां का सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी करता है कि कौन सा प्रश्न एलाउ करें और कौन सा न करें। यदि उनकी फीलिंग यह हो कि वे जुडीशियल सेक्रेटरी के अन्डर में हैं या चीफ सेक्रेटरी के अन्डर में हैं तो वे एक भी सवाल को एनटरटेन करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्वयं ही स्पष्ट रूप से ऐसा करने का आदेश न दे दें।

मान्यवर, आपकी या हम लोगों की अध्यक्षता में सेक्रेटरी को कमेटियों में बैठकर न जाने कितने सवाल डिपार्टमेंटल सेक्रेटरियों से पूछने पड़ते हैं। जैसे एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक

[श्री नवल किशोर]

अकाउन्ट्स कमेटी है। इन कमेटियों का काम है कि ब्यूरोक्रेसी जो बंगलिंग करती है उसको चेक किया जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि चेयरमैन के हाथ में शक्ति है। लेकिन जब ये सेक्रेटरी कमेटी में बैठते हैं तो चेयरमैन के एडवाइजर बन कर जाते हैं। अगर ये सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या जुडीशियल सेक्रेटरी के नीचे हों और जवाब देने वाला विभागीय सेक्रेटरी देख ले कि ये बहुत बोल रहे हैं तो श्रीमन्, वायर पुलिंग हो जाय और अनपार्लियामेंटरी न हो तो मैं कहूंगा कि "कन पकड़ी" हो जाये तब इनकी बड़ी मुश्किल हो जायगी।

मैं यह महसूस करता हूं कि आपका सेक्रेटेरियट इनडिपेंडेंट होना चाहिये। मैं माननीय हाफिज जी की बात माने लेता हूं। उन्होंने कहा था कि कुछ कुछ हमने उधर कदम उठाया है। लेकिन वह कदम बहुत आहिस्ता से बढ़ा है। माननीय हाफिज जी बहुत बुजुर्ग थे। लेकिन हम में क्रांतिकारी भावनायें बाकी हैं और काफी समय के बाद भी जजबात बाकी हैं। हम चाहते हैं कि आपके सेक्रेटेरियट की इंडिपेंडेस तेजी के साथ कायम की जाय और मैं शिकायत नहीं करता हूं क्योंकि आपसे पहले माननीय टंडन जी इस कुर्सी पर सुशोभित हुए, माननीय नफीसुल सहन साहब हुए, इसके बाद खेर साहब हुए और आज आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं। मैं यह नहीं कहता कि आपने कोशिश नहीं की और मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारा और विरोधी दल का आपको पूरा समर्थन प्राप्त होगा तो आपके हाथ और मजबूत होंगे और आप तेजी के साथ कदम उठा सकेंगे।

इन कर्मचारियों के वेतन के संबंध में कई बार प्रश्न उठा है। माननीय टंडन जी के सामने, माननीय नफीसुल हसन साहब के सामने उठा, खेर साहब के सामने उठा और एक पोस्ट सेक्रेटरी जनरल की बनाई गई। उस पर मिट्ठनलाल जी हुये, फिर श्री रूपचन्द्र हुए और अब कौशलपाल जी गुप्त हैं। मिट्ठनलाल जी ने एक रिपोर्ट दी थी जो कांफीडेंशियल थी लेकिन एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन होने के नाते सौभाग्य से मुझे उसे पढ़ने का मौका मिला। मेरे खयाल से उसको मंजूर कर लिया गया लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। कुछ ग्रेड की बात थी। कुछ ग्रेड्स शायद १९६० या ६२ में माने भी गये थे। सेक्रेटरी का ग्रेड डिप्टी सेक्रेटरी का मान लिया गया है।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, इस इमर्जेंसी के मौके पर इस हाउस में यह कहने में डेलीकेसी महसूस होती है कि किस का वेतन बढ़ाया जाय किस का न बढाया जाय। सरकारी कर्मचारियों की एक जमाने से मांग थी, उनके वेतनों को रैशनाइज किया जाय, इसके लिये सरकार ने एक कमेटी बिठाई। लेकिन किसी को इस बात का अन्दाजा नहीं था कि वह रिपोर्ट ऐसे मौके पर आयेगी जब देश पर इतना बड़ा संकट, क्राइसिस और इमर्जेंसी पैदा हो जायगी। इससे १९ करोड़ का खर्चा एक साल के अन्दर सरकार पर बढ़ जाता है। चौथे प्लान में ९०–९५ करोड़ तक पहुंचेगा। उस रिपोर्ट से कोई खुश नहीं। इंजीनियर साहबान नाराज, फारेस्ट डिपार्टमेंट नाराज, एजूकेशन डिपार्टमेंट के लोग नाराज। कुछ को छोड़ कर सभी नाराज। जितनी मांगें आयीं उसको मैंने अन्दाजा लगाया, अगर सब को मान लें तो ६–७ करोड़ का बजट बढ़ने वाला है।

एक परेशानी और है। यह बुनियादी तौर पर तय करना पड़ेगा कि यह जो लोगों के दिमाग में हैं, कि कुछ सर्विसेज पेट मानी जाती हैं—जैसे आई० सी० एस० के लिए। आई०सी०एस० के लिए कहा जाता था कि हैवेन बार्न सर्विसेज हैं। हमारे राष्ट्र के नेताओं ने भी मुनासिब समझा, और किसी को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। या तो राजा महाराजाओं या आई०सी०एस० के लिए खास तौर से प्राविजन कांस्टीट्यूशन में किया गया। अब हमने आई० ए० एस० बनाये। उनके ट्रैडिशंस आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर दूसरे होने चाहिये थे लेकिन उनको इंस्पिरेशन आई०सी०एस० से मिलता है। उनको भी गलतफहमी होने लगी कि अगर

आई०सी०एस० स्वर्ग में पैदा हुए तो हम स्वर्ग के आसपास पैदा हुये। आज कोई आई०ए०एस० नहीं होगा इस राज्य में या शायद हिन्दुस्तान में जिसको अपनी तनख्वाह के अलावा स्पेशल पे न मिलती हो। इसकी वजह क्या है? क्यों आपने उनको खासतौर पर इयरमार्क कर रखा है? इंजीनियर्स को इस बात की कम शिकायत है कि उनकी तनख्वाह कम है बल्कि ज्यादा शिकायत यह है कि चार-पांच साल की सर्विस का आई० ए०एस० मित्रा जी जैसे आदमी पर बास करने की कोशिश करता है, जिसकी गिनती हिन्दुस्तान के ४-५ ऊंचे इंजीनियरों में होती है। जितने मुल्क आजादी के बाद बढ़े हैं टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और जो लोग बिल्ड अप करते हैं, पैदावार बढ़ाते हैं, उनसे बढ़े हैं। ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर्थिक उत्थान में अधिक सहायक नहीं हुई हैं। आज सरकार को फैसला करना है कि अपर हैंड किस को देना चाहती है। इंजीनियर्स कहते हैं कि हमको ऐट पार कर दीजिये। प्रशासकीय सर्विसेज से जितने हेड्स आप बनाते हैं आई०ए०एस० को बनाते हैं डेवलपमेंट कमिश्नर और डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। होना यह चाहिये कि उनका चार्ज डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जो सीनियर मोस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, उसको दिया जाय। उसके लिये यह बात कहना कि उनको कोई ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेंस नहीं होता, इसको मैं बेसिकली ऐबसर्ड मानता हूं। उसी तरह से आज इस असेम्बली सेक्रेटेरिएट का भी स्टेटस है। श्रीमन्, सन् १९६०-६१ में आई०सी०एस० की तनख्वाह बढ़ी, सन् १९६५ में उनकी तथा आई०ए०एस० की तनख्वाह बढ़ायी गयी है। आप देखें कि कमिश्नर को बजाय २२५० रु० के अब २७५० रु० का ग्रेड कर दिया गया है जब कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद हम तय करना चाहते थे कि किसी की मैक्जिमम तनख्वाह १,००० रुपये से ज्यादा नहीं होगी। पहले जहां उनको २५० रु० स्पेशल पे मिलती थी उसको बढ़ा कर अब ५०० रु० कर दिया गया है। इस तरह से २,७५० रुपये के बजाय अब कमिश्नरों का स्केल ३५०० रु० से ४००० रुपये तक हो गया है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि यहां पर जो ज्यादा तनख्वाह आदि की मांग की गयी है वह अपनी जगह पर बिलकुल सही है। अब तक जो चीजें हमारे सामने हैं उनकी तहत में मैं कहता हूं कि ये जो आफिसर्स हैं उनकी काबलियत कम है या अधिक है इसके मापदंड में मैं नहीं जाता लेकिन यह बात जरूर है कि किसी सेक्रेटरी के पास जब ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है तो ऐसा माना जाता है कि वह इनटौक्सिकेटेड हो जाता है। लेकिन ये लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास पावर तो कुछ नहीं है लेकिन उनको विरोधी पक्ष से डील करना पड़ता है, हम लोगों से भी डील करना पड़ता है और विरोधी दल के माननीय उग्रसेन जी जैसे कुछ तेज सदस्यों से भी डील करना पड़ता है। साथ ही मुझ जैसे कमजोर किस्म के लोगों से भी यानी सभी किस्म के लोगों से ये लोग डील करते हैं जिसके लिये इनको मेंटल बैलेंस की जरूरत पड़ती है। तमाम चीजों को बर्दाश्त करते हुए इनको अपना काम करना पड़ता है। इस तरह से इनका भी एक स्पेशलाइज्ड जाब है। इस संबंध में आपको मैं "दि जर्नल आफ दि सोसाइटी आफ दि क्लार्क्स ऐट दि टेबिल इन कामन वेल्थ" से पढ़ कर कुछ शब्द सुना देना चाहता हूं—

"A parliamentary official has to do a good deal of study, assimilate the facts, and present a picture or display an approach which is regarded as objective in character."

"A parliamentary official on the other hand has to serve simultaneously both the Government of the day and those who are opposed to it."

"The work of a parliamentary official is devotion to duty, unruffled by uninformed criticisms, unmoved by the praise of the excessively indulgent and unmindful of the material advantages. He shuns publicity, he aspires for no cheap popularity. His only desire is to work whenever called upon."

इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसको मैंने केवल इसलिये बतला दिया कि यह जो धारणा है कि ये बड़े इनफीरियर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह कि हमारी

[श्री नवल किशोर]

कौंसिल ने अपने यहां एक सर्विस रूल्स ऐंड कंडिशन्स रिवाईजिंग कमेटी बनायी थी। मैं नहीं जानता कि असेम्बली ने ऐसी कोई कमेटी बनायी थी या नहीं। इसमें एक ज्वाइंट कमेटी की मांग की गयी है। अगर इसे आवश्यक न माना जाय तो मैं चाहता हूं कि स्पीकर साहब एक कमेटी बना दें ताकि ऐट-रेंडम कोई चीज न की जाय क्योंकि ओवर आल पिक्चर को सामने रखते हुए तमाम कैडर की पे तय करनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता कि सबकी पे अंधाधुंध बढ़ा दी जाय, लेकिन उसके बारे में मेरी सिफारिश है और मैं चाहता हूं कि हमारे स्पीकर महोदय एक कमेटी बना दें जो तमाम चीजों को देख कर इस काम को करे। क्योंकि एक बात यह जरूर है कि इस तरह का स्ट्रगल कि तनख्वाहों के अन्दर कुछ न कुछ तब्दीली की जाय, वक्तन फवक्तन होता रहा है।

एक बात मान्यवर, मैं और कह दूं कि हमारे रिपोर्टरों का स्केल बहुत ही कम है। जहां सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर की स्पीड हिन्दी में ८० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में १०० शब्द प्रति मिनट होती है वहां हमारे इस सचिवालय के रिपोर्टरों की स्पीड हिन्दी में १४० शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में १२० शब्द प्रति मिनट होती है। अब आप जरा उनका स्केल देखें। सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफरों की पे स्केल २००-४५० रु० है और सीनियर स्टेनोग्राफर की पे स्केल ३५०–५५० रु० है। और हमारे यहां रिपोर्टरों का स्केल २५० से ५५० रुपये है जब कि सचिवालय के रिपोर्टर्स यदि वह पी० ए० बन जायं तो ७१५ रु० उनको मिलेंगे और असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गये तो ९५० रु० मिलेंगे और डिप्टी सेक्रेटरी हो गये तो और भी ज्यादा मिलेंगे। हमारे यहां इस तरह की कोई विशेष उन्नति के रास्ते नहीं हैं। अब आप यह चाहते हों कि कोई आदमी अच्छी कैपेसिटी का आपके यहां आये, वह आने वाला नहीं है। वह यहां आकर क्या करेगा वह-वहां जाना पसन्द करेगा जहां पर उसको अधिक पैसा मिलता है। इस वजह से वह सेक्रेटेरियट में जायगा। इस तरह की और भी अनामली हैं। इसका एक जवाब गवर्नमेंट यह दे सकती है कि हमने अनामली को दूर करने के लिये कमेटी बिठाई है जो इन चीजों को देखेगी। मगर मेरा निवेदन है कि वह कमेटी यहां की अनामली को दूर कर सकेगी, ऐसी मुझे सम्भावना नहीं हैं। उसको इस तरह के अधिकार नहीं हैं कि सब जगह की अनामली को दूर कर दे। यह स्पीकर साहब के जानने की बात है, मैं इस बहस में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। हमारे त्रिपाठी जी ने इस विषय में कहा है कि पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी अपने सेक्रेटेरियट के विषय में यह बात कही है कि वह भी उसी कैपेसिटी के अपने यहां आदमी चाहते हैं। आयंगर साहब ने भी यह कहा था कि अपने यहां बेटर योग्यता के आदमी वह चाहते थे जैसा कि फाइनेन्स और डिफेन्स मिनिस्ट्री में हैं। इसलिये उन मिनिस्ट्रीज से अगर ज्यादा पे नहीं तो कम से कम उनकी समता पर तो जरूर होनी चाहिये। उनसे कम किसी माने में नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारे खेर साहब स्पीकर की भी यही राय थी कि इस तरह का अन्तर नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, मैंने यह भी देखा कि इस तरह का झगड़ा इंग्लैंड में भी चला। लेजिस्लेचर और एक्जिक्यूटिव की सुपरमेसी का झगड़ा वहां हमेशा से चलता आता है मगर उन्होंने अपने यहां कुछ कन्वेन्शन्स बना लिये हैं। इस वजह से उन्होंने अपने यहां बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। मैं भी चाहता हूं कि इस तरह के कन्वेन्शन्स अगर इस देश में बन सकें तो बहुत अच्छा है। वह बहुत ही उत्तम बात होगी। इस कमेटी की रिपोर्ट में भी यह देखने की बात है कि उसके सामने बहुत सी एविडेन्सेज हुईं और बहुत से लोग वहां गये, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है असेम्बली से, इस सेक्रेटेरियट का कोई जिम्मेदार अफसर उस कमेटी के सामने नहीं गया जो अपने फर्ज को अदा करता। उस कमेटी के सामने हमारे सीनियर अफसर चाहे गुप्ता जी, चाहे मित्थल साहब या पचौरी जी जाते तो उनसे कुछ राय उनको मिल सकती थी। कमेटी को इनमें से किसी को बुलाना चाहिये था। मैं समझता हूं यह बात बहुत आवश्यक थी। मैं इस पर ज्यादा क्रिटिसिज्म करना मुनासिब नहीं समझता हूं।

आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि जो बहुत सी स्टेट्स हैं उनके अन्दर डिफरेन्ट स्केल्स हैं। उनको मैं यहां पर पेश करना नहीं चाहता हूं। उनके विषय में मुझे यह श्योरिटी नहीं है कि वहां पर सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है या नहीं। लेकिन सब जगहों पर सेक्रेटरी जरूर होगा। हमारे यहां डिप्टी सेक्रेटरी का ग्रेड मांगा गया था और उस ग्रेड को उन्होंने मान लिया है। उसको इफेक्ट १९६२ से दिया गया। अगर उसका इफेक्ट १९६० से हो जाता तो जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं उनको अधिक फायदा पहुंच जाता। यह केवल सेक्रेटरी की बात ही नहीं है बल्कि असेम्बली के हर आफिशियल्स के बारे में यही बात है। यह इंडिपेंडेंस की जो बात करते हैं यह मांगे से नहीं मिलती है। इंडिपेंडेंस को एग्जर्ट किया जाता है। जितना माननीय स्पीकर और चेयरमैन अपनी इंडिपेंडेंस को एग्जर्ट करेंगे उतनी ज्यादा मिलेगी। मैं गवर्नमेंट का सपोर्टर होते हुए भी यह कहूंगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट हमारे जजबात को रिप्रेजेंट करती है और अफेक्ट करती है उसी तरह जो हाउस के स्पीकर हैं वह हमारे राइट्स और प्रिविलेजेज के कस्टोडियन हैं। मैं चाहता हूं कि स्पीकर को कतई इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई प्रेशर एग्जिक्युटिव का और मिनिस्टरी का उन पर नहीं होना चाहिए और न हमारे इन भाइयों पर होना चाहिए।

कुछ लोगों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की बड़ी टीका-टिप्पणी की। मैं जानता नहीं कि मेरी वकालत मुनासिब है या नहीं है। उनका एक थैंकलेस जाब है। अक्सर श्रीमन्, आपको भी वह थैंकलेस जाब करना होता है। उनका काम ही ऐसा है, क्योंकि दिक्कत यह है कि हमारी सर्विसेज में भी वर्गविहीन समाज करने की बात के बावजूद भी वह वर्ग-विहीन के बजाय सवर्ग समाज बन गया। उन क्लासेज की अमेनेटीज एक, उनके हित व स्वार्थ कामन होते हैं। बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री जी आ गये। मैं कह रहा था कि सर्विसेज में जो कामन अमेनेटीज हैं उनके साथ वह बंध जाते हैं और सर्विसेज में जो स्नाबिशनेस होती है उसको तो मैं छोड़े देता हूं, मगर कुछ लोग जो कहते हैं कि हम वास्तव में "मैन आफ दि अर्थ" हैं वह नम्र स्वभाव के होते हुए भी गलतफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। मैं कनविन्स्ड हूं कि जो फंक्शंस, ड्यूटीज और वर्क असेम्बली सेक्रेटेरियट का है वह किसी माने में किसी से कम नहीं है। हमारे श्री गुप्ता जी हैं। जज थे, एक अच्छे काबिल जजों में गिनती थी, आज वह हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। भगवान चाहे तो हाई कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। तो एक बात तो यह साबित हुई कि इस कैडर और कैपेसिटी का आदमी यू० पी० असेम्बली के सेक्रेटरी जनरल की जगह पर लाया गया। यह दूसरी बात है कि गुप्ता जी से कोई भी काम लिया जाय, चाहे उनको यहां का सेक्रेटरी जनरल बना दें या हाई कोर्ट का जज बना दें। आखिर क्यों नहीं सरकार ने किसी सिविल एण्ड सेशन्स जज को यह जाब दिया? यह साबित करता है और अपनी जगह पर दलील है कि सरकार ने महसूस किया कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट जो हाइयर जुडीश्यल सर्विस है उनके भाइयों को दी जाय। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि यहां आई० ए० एस० के आदमी आयें या इंडिपेंडेंट आदमी आयें। मुझे सिर्फ एक बात कहनी थी कि जो प्रस्ताव अपनी जगह पर है वह समय से आया है, हमको बहुत ठंढे दिमाग से बिना इस लिहाज के कि कौन नीचा है, कौन ऊंचा है तीनों विंग्स की मानमर्यादा को रखना है, चाहे वह एग्जिक्यूटिव हो, जुडीश्यरी हो या लेजिस्लेटिव हो। हम चाहते हैं कि एग्जिक्यूटिव, सरकार और मंत्रिमंडल भी लेजिस्लेटिव फंक्शन को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट के इंडिपेंडेंट कैडर की तरफ ध्यान दें, बल्कि मैं स्पीकर महोदय से कहना चाहता हूं कि वह जल्दी इस तरफ कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो संकल्प रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। इस विधान सभा सचिवालय के संबंध में माननीय जगदीशशरण अग्रवाल तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

माननीय नवलकिशोर जी ने जो संवैधानिक तर्क रखे हैं तथा जो और बातें कही हैं मैं उन सभी से पूर्णतया सहमत हूं। जहां तक इस कमेटी का सम्बन्ध है, मेरा यह निश्चित मत है कि विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों को छूने का इस समिति को अधिकार नहीं था। लेकिन, श्रीमन्, यदि उन्होंने दखल दिया था तो, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, उन्हें इस सचिवालय के सम्बन्ध में यहां के सचिव, विधान मंडल से परामर्श करना चाहिये था और उनसे परामर्श करने के पश्चात् वेतन क्रम निर्धारित करने चाहिये थे। लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि उनको बुला कर उनसे परामर्श नहीं किया गया। यदि यह नहीं किया गया तो इतना ही वे करते कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति से रिपोर्ट मांग लेते। उस कमेटी ने इसको भी उचित नहीं समझा।

मान्यवर, जहां तक इस सचिवालय के कर्मचारियों का संबंध है, वह अन्य कर्मचारियों से भिन्न हैं और उच्च स्तर के हैं। श्रीमन्, एक उत्पादक योजना होती है, एक अनुत्पादक योजना। मालूम होता है समिति ने इस सचिवालय को अनुत्पादक ही माना है। मैं समझता हूं मान्यवर, प्रजातंत्र के जो मूल सिद्धान्त हैं, जो उसकी जड़ है, उसके ऊपर इस समिति द्वारा कुठाराघात हुआ है। हम देखते हैं यह कर्मचारी अपने रेगुलर समय से आते हैं और बराबर काम में लगे रहते हैं। कोई डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ११ बजे तक तो आते हैं, एक बजे लंच पर चले जाते हैं, फिर ३ बजे तक आते हैं। यहां के कर्मचारी बराबर काम में लगे रहते हैं। हमने देखा है कि कभी-कभी तो जब समिति की बैठकें सबेरे ८ बजे से होती हैं तो उनको उससे भी आधा घंटे पहले आ जाना पड़ता है। सेशन भी कभी कभी ८–८ बजे तक चलता है और इन कर्मचारियों को रात के ८–९ बजे शाम तक काम करना पड़ता है। हफ्ते में दो दिन तो अक्सर ऐसा होता है कि सेशन देर तक चलता है और सदन का समय बढ़ जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि समिति को इनके बारे में दखल नहीं देना चाहिये था। उसने प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों पर ही कुठाराघात किया है।

श्रीमन्, यहां पर हम जनता की बातों को कहते हैं, सरकार तथा उसके अधिकारियों की गलतियों को यहां रखते हैं, प्रश्नों द्वारा तरह तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस सचिवालय के कर्मचारी हमारे प्रश्नों को सरकार के पास भेजते हैं। विभागों से क्वैरी कराते हैं। मैंने तो आश्वासन समिति में देखा है कि हमारे गिरधारीलाल जी एक सूचना के लिये दस दस बार, बीस बीस बार लिखते थे परन्तु सचिवालय के कर्मचारी जवाब तक नहीं देते थे। यह बात हमारे सचिव, विधान मंडल, श्री गुप्ता जी को भी मालूम है कि हमारे सचिवालय से जो सूचना मांगी जाती है उसका जवाब साल साल दो दो साल तक नहीं मिलता है और उसके बाद मेरी राय में यही आता है कि जैसे टालने की भावना होती है वही सचिवालय से मालूम होती है। इनका विश्वास प्रजातन्त्र में नहीं है। ऐसे लोगों का विश्वास इसमें नहीं है। इनकी जो बुराइयां हैं, इनकी जो रायें हैं, वह सचिवालय के कर्मचारियों के माध्यम से उसकी जांच पड़ताल हो, उसकी क्वैरी हो, उनसे पूछा जाय। वे अपने को सुपीरियर क्लास समझते हैं। ये आई० ए० एस० और आई० सी० एस० हर मर्ज की दवा हैं। आप कहीं भी जायं, दुनिया में जहां वे उद्योग धन्धे हों, उनके डायरेक्टर जनरल सब टैक्निकल हैन्ड्स होते हैं लेकिन हमारे देश में बदकिस्मती से, चाहे वह चुर्क सीमेंट फैक्टरी हो, या कोई भी फैक्टरी हो, उसका जनरल मैनेजर आई० ए० एस० होगा जिनको उनकी ए० बी० सी० डी० का भी ज्ञान नहीं रहता, उनके फायदे बहुत ज्यादा होने चाहिये और हमारे सचिवालय के कर्मचारी जो सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह कम होनी चाहिये, यह इनकी जहनियत है। मैं समझता हूं कि इनका यह दृष्टिकोण बहुत गलत है। जैसा मैंने कहा कि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर कुठाराघात है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं, इसलिये मेरी राय में एक कमेटी इसके बारे में बननी चाहिये जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा, माननीय रामसुन्दर पांडेय ने कहा, माननीय नवलकिशोर ने कहा और माननीय

जगदीश शरण ने कहा। इनके हर सर्विस के बारे में, प्रोमोशन और तनख्वाह के बारे में सब पर विचार होना चाहिये और मेरी राय है कि इनकी तनख्वाह दूसरे सचिवालयों के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं या दूसरे जो कर्मचारी हैं उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिये। जो डिप्टी सेक्रेटरी की तनख्वाह हो, जो सहायक सचिव की तनख्वाह हो, उसके नीचे क्लर्क या स्टेनोग्राफर या दूसरे विभागों की जो तनख्वाह हो वही होनी चाहिये और तनख्वाह किसी भी प्रकार कम नहीं होनी चाहिये। इसमें अगर दिक्कतें हैं तो मैं समझता हूं कि एक कमेटी का निर्माण हो जाना चाहिये। मैं कमेटी के लिये अपनी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं और मुझे उम्मीद है तथा माननीय सदस्य चाहें तो उनकी अध्यक्षता में बन जाय, जिस तरह से हो एक कमेटी का निर्माण हो और सब पहलू पर विचार करके इनकी तनख्वाह और सर्विस कन्डीशन्स पर विचार करके फैसला किया जाय तो यह हमारा प्रजातन्त्र जिसकी बुनियाद यहां पड़ी है जिन्दा रह सकता है और जनता की जो सही भावना है उसकी भावना को, उनकी दिक्कतों को इन कर्मचारियों के माध्यम से हम इस सदन में पेश करें और जनता को विश्वास हो सके कि कम से कम हमारे कर्मचारी ऐसी हालत में सक्षम हैं, हमारी बातें रक्खी जाती हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और तहेदिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के १८ वर्ष बाद हमारी सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसका नाम "पे रेशनलाइजेशन कमेटी" रखा गया। वास्तव में यह होना भी चाहिये था। जैसे-जैसे एक स्तर पर आते जायें, स्थायी होते जायें वैसे वैसे हमें अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी और सारे प्रशासन को भी उसी रूप में बदलना चाहिए। इस रिपोर्ट से मैं तो समझता था कि बहुत सी दिक्कतें दूर हो जायंगी लेकिन उस को पढ़कर मालूम पड़ा कि 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'। उससे कोई सन्तोष प्रदेश में, सर्विसेज में और बहुत से वर्गों में नहीं हुआ। पे रैशनलाइजेशन कमेटी अगर कोई बनानी थी तो उसके कुछ सिद्धान्त होने चाहिए थे। इसके टर्म्स आफ रेफरेंस को मैंने देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा, टर्म्स आफ रेफरेंस यह कहता है कि यह पे रैशनलाइजेशन कमेटी नहीं है। रैशनलाइजेशन तो समय समय के साथ और समाज समाज के साथ बदलेगा। अगर हम आज से तीस साल पहले रैशनलाइजेशन कमेटी नियुक्त करते तो कदाचित् वह यह सोचते कि हाई क्लास के अमीरों के लड़के और जमींदारों के लड़के जिस सर्विस में जायेंगे उनके लिये ज्यादा वेतन रखें और गरीबों के लड़के जिन सर्विसेज में जायंगे उनके लिए कम वेतन रखें। लेकिन आज समय बदल गया है। आज समाज जैसा चले उसी के हिसाब से हमें अपना रैशनलाइजेशन करना होगा। आज हमने निश्चय किया है कि हम समाजवादी समाज बनाने जा रहे हैं। मुझे इस टर्म्स आफ रेफरेंस के अन्दर यह झलक नहीं मिलती कि हम समाजवादी समाज बनाने जा रहे हैं। जहां तक टर्म्स आफ रेफरेंस का सम्बन्ध है वह पालिसी से ताल्लुक रखता है और यह मंत्रिमंडल ने पढ़ा होगा लेकिन यह ड्राफ्ट मंत्रिमंडल का नहीं है। मैं सब पढ़ कर आप का समय नहीं लूंगा लेकिन इसमें कहीं मुझे यह नहीं मिला कि हमारा ध्येय यह है कि हम समाजवादी समाज की तरफ जायं, डिस्पैरिटी को कम करें, नीचे और ऊपर वालों में जो पे में बहुत अन्तर है उसको कम करें। इसमें प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो दिया है वह ठीक है। उसके अलावा और दिया है—

"To examine and to suggest the extent to which amenities and other such as medical aid, retirement and extraordinary pension benefits, housing, educational facilities, etc. should be provided for increasing the efficiency of Government employees at all levels."

यदि आप आदेश दें तो मैं हिन्दी अनुवाद कर दूं वरना कोई अवश्यकता नहीं है। इसमें घर की शिक्षा आदि की सुविधाओं की जो बात है यह तो सबको मिलनी ही चाहिए समान रूप से। इसके बाद ग्रेड बढ़ाना घटाना जो हम देखें वह आगे के लिए देखें। खाना हर एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश प्रसाद]

आदमी बराबर ही करीब करीब खाता है, इसी तरह कपड़ा भी। थोड़ा सा स्तर में फर्क हो सकता है, वरना वह भी बराबर ही पहनता है। समाजवादी समाज में एक परिवार जिसमें स्त्री, पुरुष और दो या तीन बच्चे हों, इतना बड़ा आप मान लें तो शिक्षा की सुविधा चपरासी के बच्चों को भी देनी होगी और चपरासी का बच्चा अगर तेज है और योग्य है तो वह पीछे न रह जाय और सेक्रेटरी का बच्चा कमजोर और बुद्धिहीन होते हुए भी आगे न बढ़ जाय इसका भी खयाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह समाजवादी समाज नहीं होगा। परन्तु यह चीज हमें इसमें नहीं मिलती। एक ४-½ आदमियों के परिवार पर १००, १५० रुपया माहवार तो खाने में खर्च हो जाता है। पढ़ाई पर भी की बच्चा लगभग १०० रुपया माहवार औसतन हो जाता है। इस प्रकार से मिनिमम २५० रुपया रखना चाहिये था। हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज का है। इसकी हम घोषणा कर चुके हैं। मुझे इस रिपोर्ट में यह कहीं नहीं दिखाई देता है। खाना सभी मनुष्य समान खाते हैं। कपड़ा भी बदन ढकने के लिये समान सा ही चाहिये। गरीब सस्ते कपड़े से अपना बदन ढक लेता है और बड़ा यानी मालदार जरा बढ़िया कपड़ा पहनता है। दवाई में दुख दोनों को बराबर होता है और आवश्यकतायें समान हैं, भले ही गरीब को कीमती दवायें न मिल पाती हों। इसलिये आवश्यक बातों के लिये मिनिमम से कम किसी को नहीं देना चाहिये था। इतना अन्तर हो सकता है और होना जरूरी भी है कि अगर किसी को एग्जीक्यूटिव ड्यूटी है, उसे मोटर की आवश्यकता है, उसके लिये उसका ध्यान रखना चाहिये, इत्यादि। लेकिन इतना वेतन सब को अवश्य मिलना चाहिये कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह नहीं होना चाहिये कि अगर कोई चपरासी का लड़का है तो वह पढ़ने से महज इसलिये रह जाय कि उसका बाप खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता है।

इस रिपोर्ट में लिखा है, मैं उसका अनुवाद किये देता हूं। वह कहते हैं कि हमने जो अंग्रेजी राज्य के उत्तराधिकार में शासन की पद्धति पाई वह कैसी थी—बैल-थाट आउट कोआर्डिनेशन की थी। अंग्रेज के राज्य में क्या बात थी? अंग्रेज के राज्य में जिले में कलेक्टर सब काम कर सकता था। कानून से आज भी कर सकता है। उस समय डेवलपमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। उसका कोई काम नहीं था। उद्योग के बढ़ाने के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही थी। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि शासन चलता रहे, बलवे वगैरह न हों, जनता का सिर ऊपर न उठने पावे। यह उनका काम था। लेकिन हमारे सामने आज समाजवादी दृष्टिकोण है। हमें उसी के अनुसार अपनी कार्य-पद्धति बनानी और अपनानी है। मैं रिपोर्ट को बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल मौलिक बातें आप के सामने रखना चाहता हूं। प्रतिवेदन में कहा है—

"In short we tried to put together persons of categories of services whose nature of duties and responsibilities had a closer resemblance and we have as far as possible recommended equal emoluments for them."

इस नियम का भी पालन नहीं किया गया है। प्रान्तीय रक्षा दल की एक सेवा है। उसमें काफी कार्यकर्ता रह चुके हैं। उस विभाग में तीन पोस्ट्स असिस्टेंट कमाण्डेण्ट की हैं। उन तीनों का समान काम है। पहले तो ज्यादा ग्रेड था उसे कम कर दिया और जो कम था उसे बढ़ा दिया। तीनों के ग्रेड एक से होने चाहिये थे। जो ८५० के ग्रेड में काम करता था उसे ५५० कर दिया। मैं यह नहीं कहता हूं कि कम न किया जाय। डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइजर का पहले ३५० रुपये पर समाप्त होता था, उसे अब २८० पर ही समाप्त कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप उन्हीं बातों तक सीमित रहें तो अच्छा है जो कि विधान मंडल के कर्मचारियों के बारे में हैं। यह प्रस्ताव इन्हीं दो सचिवालयों के बारे में है। यहां बहस यह है कि इनकी उपेक्षा की गई है।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

मैंने केवल एक उदाहरण दिया। मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि जिसका अधिक था उनका भी पे कम कर दिया। हमारे विधान मंडल के जो सचिव हैं, उप-सचिव हैं, असिस्टेंट्स हैं, उनकी योग्यता क्या दूसरे विभागों के ऐसे ही कर्मचारियों से कम है? एक माननीय मंत्री के ड्राइवर मुझसे कह रहे थे कि हमारी तो तनख्वाह कम हो गई। विधान मंडल का एक चपरासी मुझसे कहने लगा कि हमारे २ रुपये कम हो गये। मैंने कहा कि, कैसे? उसने उत्तर दिया कि ५० रुपये जमानत के हैं और पहले हमें २ रुपये माहवार और मिलते थे जो अब नहीं मिलेंगे, हालांकि जमानत रहेगी। वह मौला है, अपने यहां का। समान कार्य समान योग्यता के अनुसार समान वेतन के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। यूटीलिटी के बारे में, जैसा कि ऊदलजी बता रहे थे, उसमें यह भी तो देखना होगा कि एक आदमी ६ घंटे काम करता है और दूसरा १२ घंटे करता है। अंग्रेजों के जमाने में असेम्बली या काउन्सिल में कितना काम होता था, कितने मेम्बर होते थे, कितनी बैठकें होती थीं और आज कितनी होती हैं? यही सब बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिये था। इस रिपोर्ट में जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिये थी उनकी बढ़ाई गई हैं और जिनकी बढ़ानी चाहिये थीं उनमें बहुतों की नहीं बढ़ाई गई हैं। खास तौर से इस विज्ञान के युग में ऐसा नहीं होना चाहिये। आपने मुझे कह दिया है और मैं उसी के अन्दर रहूंगा।

अन्त में मैं इतना और कहूंगा कि इस प्रतिवेदन से, अधिकतर विभाग ऐसे हैं जिन्हें संतोष नहीं मिला है। वे वित्त मंत्री जी के पास पहुंचे होंगे और मेरे पास भी आये। ६, ७ का तो मेरे पास लिखा हुआ आया है, जैसे कृषि, शिक्षा, इन्जीनियरिंग, पशुपालन, सचिवालय, ड्राइवर, चपरासी। इसमें, जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा था, १९ करोड़ रुपया १ वर्ष में खर्च होगा और ८७ करोड़ रुपया प्लान में खर्च होगा। जिस समय वह कमेटी नियुक्त की गई थी उस समय हमारे सामने आपत्तिकालीन परिस्थिति नहीं थी। अब एक बड़ा अन्तर हो गया है कि हमारे सामने आपत्तिकालीन परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भरसक प्रयत्न भी करेंगे तो भी प्रदेशीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर विनती करने पर भी १९ करोड़ रुपया नहीं प्राप्त कर सकते इस लड़ाई के काम के लिये और न इतना रुपया आसानी से बचा ही सकते हैं और ५ वर्ष में ९५ करोड़ रुपया नहीं बचा सकते, ऐसी स्थिति में जब कि देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि पता नहीं यह लड़ाई कितने दिनों तक और चले। यदि एक बार युद्ध विराम भी हो जाता है तो भी बहुत दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी और आगे के युद्ध के लिये भी हमको तैयारी करनी होगी। इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस रिपोर्ट के कार्यन्वयन को इस आपतकालीन स्थिति में रोक दें। बहुत सी योजनायें आपतकालीन स्थिति में टाल दी जाती हैं, वैसे ही इसको भी टाल दिया जाय क्योंकि इसके कार्यान्वयन से जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उनको कोई संतोष न होगा और जो उससे असन्तुष्ट हैं उन्हें तो संतोष होने का सवाल ही नहीं उठता। जैसा कि नवल किशोर जी ने कहा यह एक थैंकलेस जाब है। इससे किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसके पोस्पोनमेंट से ही हम १९ करोड़ रुपया बचा लेंगे। मैं समझता हूं इस स्थिति में और कोई कमेटी न बनायी जाय और उसका कार्यान्वयन रोक दिया जाय।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, इस विषय पर जितनी चर्चा हो गयी है उसमें ज्यादातर सारी बातें कह दी गई हैं। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने एक स्वर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यह रिपोर्ट बड़े गलत ढंग से आयी है। 'खोदा पहाड़ और निकली चुहिया'। किसी ने कहा कि यह समाजवादी रिपोर्ट नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि दीये के नीचे ही अंधेरा रहा। जो यू० पी० की सीट है, जहां सब जगह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवान सिंह]

छन छन कर लोग आते हैं, जिस लेजिस्लेचर पर तमाम लोगों की निगाह रहती है, उसकी नितान्त उपेक्षा की गयी है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कन्डेमनेबिल पे कमेटी की रिपोर्ट नहीं हो सकती। एक उदाहरण आप के सामने रखता हूं। इसके अन्दर सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स जिनकी शार्टहैंड में स्पीड १०० और ८० होती है और इस सचिवालय में जो रिपोर्ट्स हैं उसकी स्पीड १४० और १२० होती है। लेकिन जब तनख्वाह का सवाल आया तो सरकारी सचिवालय के सीनियर स्टेनोग्राफर्स को आप देते हैं ३५०–५५०ं और इस सचिवालय के रिपोर्ट्स को देते हैं २५०–५५०। यह एक चीज साफ आप के सामने है जिससे जाहिर होता है कि किस प्रकार से दो तराजू से इन दोनों लोगों को तोला गया है। जो इस विभाग की रीढ़ की हड्डी है उसकी इतनी बड़ी उपेक्षा की गयी है। मेरी मांग है कि इस पे कमेटी पर फिर से विचार हो। हम लोग सावरेन हैं हम ही सब विभागों के लिए यहां से पैसा देते हैं। खजाने से जो रुपया बंटता है उसके ऊपर हमारा अधिकार है। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब हमारे सेक्रेटरी, सुपरिन्टेन्डेंट और दूसरे स्टाफ के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है।

शायद बहस से यह चीज कुछ संबंधित न हो लेकिन फिर भी एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि अंग्रेजों ने देश में इस आई० सी० एस० क्लास को लेकर जिलों में कलेक्टर रखे और ऐसी मनोवृत्ति उन को दी जो उस जमाने के उपयुक्त रूलिंग क्लास की हो सकती थी, जो शाही खान्दान वालों की या राजा महाराजाओं की हो सकती थी, उसी परम्परा को लेकर इस पे रेशनेलाइजेशन कमेटी ने यह कोशिश नहीं की कि एक समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी राज्य को चलाने के लिये सर्विसेज के केडर किस तरह से रखे जायं और किस प्रकार के पे स्केल्स होने चाहिये। हमारी बराबर मांग रही है कि कहीं भी वेतनों का फर्क १ और १० से अधिक नहीं होना चाहिये। जो पूंजीवादी देश हैं जैसे अमरीका है—वहां भी आज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में कोई अन्तर नहीं रह गया है, बल्कि वहां कई अनस्किल्ड स्किल्ड से ज्यादा पाते हैं और यहां तक कि घास छीलने वाला भी ५० रुपया रोज पाता है। यह उस मुल्क की बात है जो कि पूंजीवादी है, समाजवादी नहीं है और जहां पर दुनिया की ३५ प्रतिशत दौलत है, जहां पर दुनिया का सब से अधिक सोना है और जो अपने आउट डेटेड प्लेन्स और दूसरी चीजें हमें देकर ज्यादा से ज्यादा सोना वसूल करता है। तो आप उन पूंजीवादी देशों के पे स्केल्स और अपनी समाजवादी कही जाने वाली सरकार के पे स्केल्स को देखें तो आप को पता लगेगा कि किस तरह से यहां सोशलिस्टिक पैटर्न को तैयार किया जा रहा है।

मैं क्या कहूं! माननीय बंशीधर जी बैठे हैं, कांग्रेस पर उधारखाते का दिमाग आता है। जब यह गद्दी पर बैठे तो समाजवाद की बात तो थी नहीं और इन्होंने सोचा कि अंग्रेज के छोड़े हुये कानून हैं उसी से काम चल जायगा लेकिन जब होश आया तो सोशलिस्टिक पेटर्न की बात होने लगी। लेकिन उन्होंने फिर भी वही आई० सी० एस०, वही पी० सी० एस० रखे और वही इम्पीरियलिस्ट पालिसी चलाई और कहने के लिये वह अब सोशलिस्टिक पैटर्न से भी एक कदम आगे बढ़ गये हैं और अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ गया है और एक नया नक्शा बना कर वह बैठे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब इस सरकार ने इस पे कमेटी की रिपोर्ट को देखा तो उस के सामने कोई नक्शा इन सरकारी कर्मचारियों के बारे में उस डेमोक्रेटिक समाजवाद की रोशनी में था, कोई झलक उन्होंने इस सिफारिश में देखने की कोशिश की। जहां से आप का पैसा खर्च होता है उसमें तो आप अपना समाजवादी पैटर्न ला ही सकते हैं। दूसरी जगह आप कह सकते हैं कि मिलों की शकर को हम कहां तक मुआवजा देंगे, सौ करोड़ रुपया चाहिये और जैसा कि हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि बर्मा में बैंकों को ले लिया। किसी देश ने एक रिवोल्यूशनरी कदम उठाया तो उस ने बहुत अच्छा किया लेकिन यहां तो और उल्टा हो रहा है कि एक चपरासी तक के बजाय बढ़ाने के और २ रुपये कम कर दिया। चौकीदारों के अगर ३ से ५ रुपया कर भी दिये गये तो हमारे मिनिस्टर साहब ५ रुपया देकर बड़े खुश हैं। तो वह समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों की क्या एफीशियेंसी

होगी और कैसा काम होगा। नीचे का मास्टर अब भी ५० रुपया पायेगा। यह स्केल्स अब भी इतने कम हैं कि किसी भी आदमी को इन नौकरियों के लिये कोई कोशिश नहीं रह गई है। जब इस तरह की रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो उसे इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये था और उसे देखना चाहिये था कि उसकी नाक के नीचे यहां असेम्बली में ही विस्फोट हो रहा है, नाराजगी स्टाफ में, किस तरह से पुलिस वाले नाराज हैं, किस तरह से इंजीनियर्स काली पट्टी बांध कर घूमते हैं, मैं उनकी बात पर नहीं जाता। एक ऐसा वातावरण यू० पी० के अन्दर बना, जिसके ऊपर इतना खर्चा हुआ, उसमें बड़े-बड़े लायक दोस्त भी रहे; पर फिर भी न जाने क्यों इस प्रकार की एनोमली रही।

इस कमेटी में श्री अच्युत पटवर्धन भी शामिल थे, जो कि एक समाजवादी नेता रहे हैं और जो बहुत ही कम उम्र में कांग्रेस के मेम्बर थे, यानी २१ वर्ष की उम्र में ही। हमें उनसे बहुत आशा थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। वे भी कमेटी में बैठे थे। सरकार के डैमोक्रेटिक होने की कोई झलक इस रिपोर्ट के अन्दर दिखायी नहीं देती है। मेरी निश्चित राय यह है कि जितने पे स्केल्स हमारे सचिवालय के हों, उतने ही इस विधान सभा के कर्मचारियों के भी होने चाहियें। जहां तक यहां के लोगों की एफिशियेन्सी की बात है, मेरा तजुर्बा है कि ये उन लोगों से ज्यादा काबिल हैं। माननीय बंशीधर जी, दिमाग और दिल दो चीजें होती हैं। सोचना पड़ेगा दिल कैसा है, ईमानदार है। दिल वह सर्विस करता है या नहीं। एक आदमी एम० ए० कर लेता है और आई० सी० एस० पास कर लेता है तो वह सबसे बड़ी रिएक्शनरी फोर्स की शकल में आ जाता है; इसलिये यह जो आई०सी०एस० के बनाने की बात पैदा हो गयी है इसको तोड़ा जाय। इस ग्रुप को जितनी जल्दी खत्म कर सकें उतनी जल्दी किया जाय वरना यह रिएक्शनरी फोर्स है। यही नहीं, यहां पर आई० सी० एस० सब पर डोमिनेट करता है। जब आप सब चीजें सोशलिस्टिक ढंग पर चलाना चाहते हैं तो इसमें भी रद्दोबदल कीजिये। इस सरकार को चले १८ साल हो गये हैं। यह १८ साल का समय ऐसा है जबकि गांव के बालक भी बालिग हो जाते हैं, मुझे पता नहीं कि माननीय बंशीधर पांडेय जी अभी बालिग हुए हैं या नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह १८ साल का समय काफी हो गया है।

खास तौर से, जैसा कि माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने कहा है, इस समिति ने, जहां तक इस विधान सभा का संबंध है, उपेक्षा की है। यहां के ग्रेड्स हर पोस्ट के लिये जो कि हर माने में सिविल सेक्रिटेरिएट से अच्छे होने चाहियें। यहां का सुपरिन्टेन्डेन्ट हर माने में वहां से अच्छा होता है। यही हालत यहां के रिपोर्टर्स की है। उनको स्पीड भी स्टैनोग्राफर्स से अधिक है, उनके दर्वाजे भी प्रोमोशन के बन्द कर दिये गये हैं लेकिन, जहां तक ग्रेड का संबंध है, उसे वहां के स्टैनोज से भी कम रखा गया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यहां के ग्रेड्स के बढ़ाने के लिये एक मजबूत, अच्छी और प्रगतिशील कमेटी बने। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

माननीय, नवल किशोर जी के भाषण को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने अपने विचार को मुख्यतः इस बात पर सीमित रखा कि हमारे सचिवालय को क्यों स्वतंत्र होना चाहिये, उनका पुरस्कार क्यों भिन्न होना चाहिये और, माननीय, मैं ऐसा समझता हूं कि उन बातों की चर्चा मैं न करूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो माननीय, आपका ध्यान इस कमेटी ने जिन सिद्धान्तों के आधार पर, इस कमेटी का यह दावा है कि उसने कुछ सिद्धान्त निर्धारित किये थे, जिन सिद्धान्तों की कसौटी पर उसने यह वेतनक्रम निर्धारित किये हैं, मैंने उस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यदि उन सिद्धान्तों के आधार पर आद्योपान्त काम किया गया होता तो शायद पांडेय जी को इस संकल्प के प्रस्तुत करने की आवश्यकता न होती। संसार में सेवाओं के लिये क्या पुरस्कार होने चाहिये, उसके लिये जो अच्छे से अच्छे सिद्धान्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

हैं उन सभी प्रश्नों के ऊपर विचार किया गया है और ब्यौरे में उसको बतलाया गया है कि इन सिद्धान्तों के तहत में हमने यह फैसले किये हैं। किन्तु, मान्यवर, मैं यह समझने में असमर्थ रहा कि कहां तक उन सिद्धान्तों का पालन किया गया है।

मैं दो, तीन मोटे मोटे सिद्धान्तों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस कमेटी का यह कहना है कि समान योग्यता और उत्तरदायित्व के पुरस्कार, जहां तक सम्भव हों, समान होने चाहिये, और कमेटी यह भी कहती है कि कुशलता के लिये पुरस्कारों का ढांचा न्यायपूर्ण होना चाहिये ऐफीशियेंसी के लिये। पुरस्कार या वेतन निर्धारण में शिक्षा, विशेष प्रशिक्षण आदि बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होता है। उपयोगिता समाज के लिये कितनी है, यह भी पुरस्कार निर्धारण में दृष्टिगत रखना चाहिये। मैं समझता हूं, मान्यवर, यदि इन सिद्धान्तों के ऊपर हमारे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों का वेतनक्रम निर्धारित किया गया होता तो आज विवाद की आवश्यकता न पड़ती। मान्यवर, जहां तक मेरा अपना अनुभव है पिछले ९ वर्षों का, मैं ऐसा मानता हूं कि विधान सभा में हमारे जो भी कर्मचारी हैं वे एक विशेष प्रकार का काम करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि विधान सभा सचिव को हटा कर पब्लिक सर्विस कमीशन कोई विज्ञापन करे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये सचिव चाहिये तो बहुत जल्दी उस कुर्सी को भरना सम्भव नहीं हो सकेगा। आप स्वयं भी उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के अनुभव और उसकी आवश्यकता को अनुभव करते होंगे। मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था, यह जो रिपोर्ट है लोक सभा के ब्रीफ व्हिप इंगलैन्ड तशरीफ ले गये थे यह जानने के लिये कि हमारे आफिसर्स और दूसरे आफिसर्स में क्या भेद है, उनका क्या स्थान है, उनको क्या पुरस्कार मिलना चाहिये, आदि बातें हैं। मैं दो, तीन वाक्यों को उद्धृत करना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों को निरन्तर पार्लियामेंटरी बैटिल फील्ड में निरत रहना पड़ता। इनके दायित्व का जो सब से कठिन कार्य है वह टेबिल पर होता है। हमको जब जल्दी में सूचना चाहिये तो हम बराबर यह आशा लगाये बैठे रहते हैं कि हमारे विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी हमको सारी सूचना उपलब्ध फौरन कर देंगे। हम उनको ऐसे एनसाइक्लोपीडिया के रूप में देखते हैं कि जब कभी हमको आवश्यकता पड़े फौरन ही वह हमको संबंधित साहित्य उपलब्ध करा सकें। विधान सभा का प्रत्येक कर्मचारी चाहे पुस्तकालय में काम कर रहा हो, चाहे अध्यक्ष महोदय की सेवा में लगा हुआ हो, प्रत्येक कर्मचारी के यदि कार्यों की व्याख्या की जाय, उनके दायित्वों पर दृष्टिपात किया जाय और जो वेतनक्रम उनके लिये निर्धारित किये गये हैं तो दोनों के अनुपात को देख कर एक असंतोष सा मालूम होता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद जिन लोगों के जिम्मे यह काम दिया गया था उन्होंने इस सचिवालय के दायित्वों की तरफ दृष्टिपात ही नहीं किया। यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने ही निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर हमारे कर्मचारियों के दायित्वों तथा कामों को देखा होता तो शायद यह विवाद यहां पर न उठाया गया होता।

मान्यवर, आप जानते हैं कोई जमाना था जिस जमाने में सप्लाई और डिमांड के सिद्धान्त के आधार पर लोगों को पुरस्कार मिला करते थे। किन्तु यह जो हमारा फैसला है और जो यह लक्ष्य निर्धारित हो चुका है कि हम इस देश में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं उसमें हमारे लिये यह आवश्यक है कि उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम उनकी सेवाओं के पुरस्कार को निर्धारित करें। मैं उस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस प्रतिपादित सिद्धान्त के स्वयं यह विपरीत मालूम होता है जब हम यह देखते हैं, उदाहरणार्थ, कि यहां पर असेम्बली रिपोर्टर्स जो हैं और दूसरे सेक्रेटेरियट के स्टोनोग्राफर्स जो हैं उनके रेक्रूटमेंट के लिये योग्यता में कितनी भिन्नता है। वहां पर चुने जाने के लिये कम योग्यता निर्धारित है और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी योग्यता अधिक होती है लेकिन तनख्वाह का जहां तक सवाल है हमारे रिपोर्टर्स की तनख्वाह उनसे कम है। ऐसा एक स्थान पर नहीं, चपरासी से ले कर, नीचे से ले कर ऊपर तक विधान सभा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के मामले में एक अजीब-सी चीज हमको देखने को मिलती है।

मुझे लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति में कार्य करने का अवसर मिला। जिस समय मैं प्राक्कलन समिति में था एक छोटी सी कमेटी बनी थी राजकीय नलकूपों की जांच करने के लिये। बार-बार हमारा जो सहायक है वह लिखता है लेकिन सिंचाई विभाग से फाइलें नहीं आती हैं। इत्तिफाक की बात है जब मैं लोक लेखा समिति में गया तो वहां भी वही चीज देखने को मिली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिये होता है कि आज इस देश में यही सिद्धान्त प्रतिपादित होता है कि बड़ा अफसर वही है जिसकी तनख्वाह ज्यादा हो। छोटा अफसर वह है जिसकी तनख्वाह कम हो। जाहिर है कि एक छोटे अफसर की बात बड़ा अफसर क्यों सुनेगा।

आप देखेंगे कि कमेटी आफिसर के लिये पिछले जमाने में जब माननीय आचार्य जुगलकिशोर अध्यक्ष थे तो उन्होंने सिफारिश की थी कि डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर का कोई आदमी होना चाहिये। लेकिन अब क्या हुआ? सुपरिन्टेन्डेंट के बराबर उसकी तनख्वाह कर दी गई है। लेकिन सुपरिटेंडेंट से प्रमोट होकर कमेटी अफसर बनता है और उसकी तनख्वाह घटाकर सुपरिन्टेंडेंट के बराबर कर दी गई है। ऐसे ही और पदों की भी बात है। अब मैं अधिक समय न लेते हुये एक बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सुना था कि एस० पी० के घोड़े का राशन और होता है और दरोगा के घोड़े का राशन और होता है। हमारे अध्यक्ष का जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह दो रुपये कम हो जायगी। हमारे यहां दो चपरासी हैं जो सदस्यों की तनख्वाह लाया करते हैं, उनकी भी तनख्वाह कम कर दी गई है। पुस्तकालय में दो तरह के दफ्तरी हैं, एक शिक्षित और दूसरे अशिक्षित, लेकिन दोनों की तनख्वाह बराबर कर दी गई है और काम दोनों का भिन्न है। कहा यह जाता है कि एक से काम के लिये एक-सा वेतन होना चाहिये। लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसा नहीं हुआ है। मैं किसी के मोटिव पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं केवल असंतोष जाहिर करना चाहता हूं और कहता हूं कि समाजवाद के सिद्धान्त के विपरीत हमारे सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन निर्धारित किये गये हैं। मैं माननीय नवलकिशोर जी की बात मानता हूं कि विधान सभा में जो लोग काम करते हैं,उनका निश्चित रूप से स्थान ऊपर उठना चाहिये, यदि हमारी आकांक्षा है कि इस धरती पर जनतंत्र फले फूले और एक अच्छे समाज का रूप ग्रहण कर सके।

इन बातों की तरफ मैं जाना नहीं चाहता था कि सदस्यों के बाथरूम की व्यवस्था कैसी होती है और अधिकारियों के बाथरूम की व्यवस्था कैसी होती है। उनके यहां तौलिया वगैरह मिल जायगा। आये दिन इस तरह का भेद देखने को मिलता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या उनका कभी दिमाग बदलेगा या नहीं। अंग्रेज चले गये। उसके जमाने में उनके कंधे पर जो दायित्व था उसमें भी परिवर्तन हो गया और आज उनका दायित्व समाज की तरफ है। समाज ने निश्चय किया है कि जनजीवन की उन्नति करेंगे और उसके लिये सब से बड़ी एजेंसी और सब से बड़ा पवित्र स्थान यही है जहां आप बैठे हुये हैं। इस स्थान पर बैठने वालों का पुरस्कार इस तरह से निर्धारित किया गया है। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि किस तरह से हम जनतंत्र को आगे ले जाने की कोरी कल्पना करते हैं। अतः मैं आग्रह करता हूं कि इस भूल के परिष्कार के लिये एक कमेटी अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बननी चाहिये जो व्यक्ति के स्वभाव और काम के स्वभाव दोनों को देखते हुए, सेवा और दायित्वों को देखते हुए, समाज की आवश्यकता को देखते हुए और राज्य की सामर्थ्य को देखते हुए पुनः हमारे विधान सभा के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित करे अन्यथा एक बहुत बड़ी भूल होगी जो आगे चलकर जनतन्त्र पर कुठाराघात करेगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

[श्री भीखालाल]

मान्यवर, यह संकल्प प्रस्तुत करने की पांडेय जी को क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आज की परिस्थितियों में जब कि महंगाई इतनी ऊंची बढ़ गयी है और जो विधान मंडल के कर्मचारियों की मौजूदा उपलब्धियां हैं वह इस योग्य नहीं हैं कि उनको दो वक्त रोटी दे सकें। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि उनके वेतनक्रमों में संशोधन किया जाय और उनकी उपलब्धियां बढ़ायी जांय। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने जो वेतन अभिनवीकरण कमेटी बिठायी थी उसने अपने कर्मचारियों के संबंध में और विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में भी अपनी सिपारिश की है। इसलिये भी इस संकल्प को लाने की आवश्यकता पड़ी। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस वेतन अभिनवीकरण कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस की ओर दिलाना चाहता हूं और उसका जो पहला सेंटेंस है उसको सिर्फ पढ़ देना चाहता हूं--

"To consider the existing structure of emoluments of State Government employees".

इस कमेटी का कार्य क्षेत्र केवल गवर्नमेंट एम्प्लाईज तक सीमित था। हमारा सचिवालय उस श्रेणी में नहीं आता। लिहाजा विधान मंडल सचिवालय के कर्मचारियों के संबंध में उस कमेटी को विचार करने का कोई अधिकार नहीं था और अगर उसने अधिकार किया है तो अपने टर्म्स आफ रेफरेंस के बाहर जा कर किया है, और दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करके किया है। संविधान के अनुच्छेद १८७ में यह प्राविधान है कि विधान सभा अपने कर्मचारियों के लिये और विधान परिषद् अपने कर्मचारियों के लिये उनके रेक्रूटमेंट और सेवा की शर्तों के और दूसरे नियम बनायेगी, प्रस्ताव पास करके या कानून बना कर। कोई दूसरी अथारिटी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। उस अनुच्छेद में यह भी दिया है कि अगर कोई इस प्रकार का प्राविधान न हो तो गवर्नर विधान परिषद् के चेयरमैन और विधान सभा के अध्यक्ष से मशविरा करके नियम बना सकता है। लेकिन बगैर कंसल्टेशन के नहीं कर सकता। वेतन अभिनवीकरण कमेटी ने विधान मंडल कर्मचारियों के संबंध में सिपारिश करके विधान मंडल के अधिकारों में हस्तक्षेप किया। मैं नहीं जानता कि हमारे विधान सभा के अध्यक्ष और कौंसिल के चेयरमैन के अधिकारों का अतिक्रमण किस प्रकार से किया गया है। उनको इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिये। हमारे माननीय अध्यक्ष इस विधान सभा के अधिकारों के संरक्षक हैं और कौंसिल के माननीय चेयरमैन साहब कौंसिल के अधिकारों के संरक्षक हैं। अगर असेम्बली और कौंसिल के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है तो अध्यक्ष के लिये और चेयरमैन के लिये लाजिमी हो जाता है कि वे प्रोटेस्ट करें कि यह हाउस के अधिकारों में हस्तक्षेप है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक यह चीज नहीं हुई है, इसीलिये जरूरत पड़ गयी कि आज इस प्रकार का एक संकल्प लाया जाय।

मान्यवर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस कमेटी को यह अधिकार नहीं था लेकिन उसने अपने अधिकार के बाहर जाकर विधान मंडल के कर्मचारियों के संबंध में अपनी राय दी। उसने जिस किस्म की सिफारिशें की हैं, जो कुछ वेतनक्रम विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए निश्चित करने की सिफारिश की है उससे यह साफ मालूम होता है कि एक विद्वेष की भावना से स्टेपमदरली ट्रीटमेंट विधान सभा के कर्मचारियों के साथ किया गया है।

मान्यवर, विधान सभा कर्मचारियों में कार्यालय सुपरिटेंडेंट और सिविल सेक्रेटरिएट के सुपरिंटेंडेंट का वेतनक्रम एक रखा गया है, विधान मंडल के सेक्रेटरी और सचिवालय के सेक्रेटरी का वेतन-क्रम एक रखा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी कर्मचारी विधान मंडल के हैं उनका वेतन क्रम सिविल सचिवालय के उसी स्तर के कर्मचारियों के वेतनक्रम से भिन्न है। आखिर यह क्यों है? इससे साफ जाहिर है कि इस वेतन अभिनवीकरण समिति ने विद्वेष की भावना से विधान मंडल के कर्मचारियों के साथ सौतेले बेटे की तरह से व्यवहार किया है। इस संबंध में एक, दो मिसाल देकर मैं आपको बतलाऊं कि विधान सभा के कर्मचारियों के संबंध में उनके सोचने का दृष्टिकोण क्या है और किस तरह की उनकी सिफारिश हैं।

हमारे विधान सभा के ट्रेजरार का वेतनक्रम जो अभी तक चालू है वह १६०-४०० रु० तक है और ४० रु० उसको स्पेशल पे मिलती है, लेकिन अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया है उसके अनुसार उसका वेतन क्रम १२०-२५० रु० कर दिया है और ३० रु० उसे स्पेशल पे के रूप में मिलेगा। श्रीमन्, हमारे ट्रेजरार की पोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता को देख कर ही सन् १९४७ की वेतन समिति ने उसे आज जो असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट होते हैं और अपर डिवीजन क्लर्क हैं उन के समक्ष रखा था। उनका वेतनक्रम एक रखा गया था लेकिन अब इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सेक्रेटेरियट का जो असिस्टेन्ट सुपरिंटेंडेंट होगा उसका वेतन क्रम ३५० से ५५० रुपये रखा गया है और हमारे ट्रेजरार का वेतनक्रम १२० से २५० तक यानी पहले से घटा दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि इस तरह से स्टेप मदरली ट्रीटमेंट और विभेद पैदा किया गया है। हमारे विधान सभा का ट्रेजरार साल में कम से कम २० लाख रुपया डिस्बर्स करता है और कौंसिल के ट्रेजरार की भी उसके समान ही ड्यूटी है लेकिन उसको इससे कम का डिस्बर्समेंट करना पड़ता है। फिर भी हमारे विधान सभा के साथ इतना भेद भाव किया गया है कि यहां का वेतनक्रम तो १२० से शुरू किया गया है और कौंसिल के ट्रेजरार का २०० से शुरू किया गया है और ४०० तक जायगा। तो आप देखें कि यह किस तरह से भेद भाव पैदा किया गया है।

अब हमारे विधान सभा के जो रिपोर्टर हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इनकी ड्यूटी क्या है। जितने आपके विधान सभा के कर्मचारी हैं उनको सेक्रेटेरियट के अन्य कर्मचारियों के मुकाबले में ड्योढ़े समय तक काम करना पड़ता है। रोज मैं यहां देखता हूं कि हमारे विधान मंडल के जितने कर्मचारी हैं साढ़े ९ अथवा ९ बजे ही दफ्तर में हाजिर हो जाते हैं क्योंकि दस बजे से माननीय सदस्यों के दफा ५२ के नोटिस तथा कार्य स्थगन-प्रस्ताव आने शुरू हो जाते हैं। कुछ स्थिति में तो कोई न कोई प्रोग्राम ५ बजे के बाद भी रख दिया जाता है और इस तरह से उन को ६, साढ़े ६ बजे तक सदन में बैठना लाजिमी होता है। सामान्यतया तो दिन भर के विधान सभा के जो किये हुए काम हैं उनको समेटने के लिये उनको कम से कम सब से बाद तक एक घंटा रुकना पड़ता है। सेक्रेटरियट में १ घंटा लंच के लिए मिलता है लेकिन जो हमारे असेम्बली के रिपोर्टर्स हैं उनको हर समय यहां पर लगे रहना पड़ता है। उनके लिये लंच का भी कोई समय नहीं है। इनके लिये तरक्की का भी आगे कोई साधन नहीं है। विधान सभा के रिपोर्टर जिस हैसियत से भर्ती होते हैं, रिटायर होने तक इसी स्थान पर बने रहेंगे क्योंकि इनके लिये यहां पर तरक्की का कोई जरिया नहीं है। स्टेनोग्राफर के लिए तरक्की के बहुत से साधन हैं फिर भी उनका पे इन लोगों से अधिक रखा गया है। यह इनके साथ इस तरह से अन्याय किया गया है। सरकार को यह देखना चाहिये कि इनके लिये क्या इन्सेन्टिव हो सकता है और वह केवल वेतन का ही हो सकता है। अगर इनके लिये कोई वेतन का इन्सेन्टिव नहीं होगा तो इस स्थान पर कौन आयेगा? और योग्य रिपोर्टर तो मिलने कठिन हैं ही। वेतन अभिनवीकरण समिति ने सीमा का अतिक्रमण किया है। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कमेटी ने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए क्या सिफारिश की है बल्कि असल प्रश्न यह है कि जो उसने सिफारिश की है उसका उसे अधिकार था या नहीं और यह एक सिद्धांत का प्रश्न है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई कमेटी इस विधान सभा के अधिकारों पर या सदन के अधिकारों पर अतिक्रमण करे तो वह चाहे जैसी अपनी रिपोर्ट दे सदन को एक मत से उसको रिजेक्ट कर देना चाहिये। मेरी राय है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए विधान सभा के कर्मचारियों का वेतन जरूर बढ़ना चाहिये। इस प्रस्ताव को पास कर के विधान सभा और विधान परिषद की मिलीजुली एक समिति बने जो उनकी उपलब्धियों के बारे में जांच करे और देखे। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे विधान सभा के अधिकार हैं उन पर कोई हस्तक्षेप न करे और अगर कोई करता है तो इस सदन को एक राय से उसको रिजेक्ट करना चाहिये। यह अधिकार की बात है इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। यह कर्मचारियों की उपलब्धियों को देखने

[श्री भीखालाल]

की बात है। इसमें कोई पार्टी पालिटिक्स का सवाल नहीं है। इसमें सदन की मर्यादा का सवाल है। हम सब एक मत से इस प्रस्ताव को पास करें जो असेम्बली और विधान परिषद् के कर्मचारियों की उपलब्धियों के संबंध में देखें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता महोदय, आज इस प्रस्ताव को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ कि यह ऐसे कर्मचारियों के विषय में यहां पर पेश किया गया है जो बेचारे इस आदरणीय सदन के कार्य में दिन-रात लिप्त रहते हैं। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर बारबार समाजवाद का नाम लिया जाता है। हमने इधर का भी समाजवाद देखा और उधर का भी समाजवाद देखा और कम्युनिस्टों को भी देखा। वह भी सरमायेदारी को सपोर्ट करते हैं। इस सदन के अन्दर उनको बोलने का समय दिया जाता है लेकिन गरीबों को नहीं मिलता है, मजदूर वर्ग को नहीं मिलता है। मजदूरों के हित का खयाल नहीं रहता है। कम्युनिस्ट भाई तो कभी मजदूरों की कहते हैं और कभी किसानों की बात करते हैं। किसानों का ऐसा वर्ग है जो किसी का नौकर नहीं है। वह किसी से नौकरी नहीं पाता है। ये तो जैसा मतलब होता है वैसी बात करते हैं। इनको अपने प्रोपेगेण्डा और प्रचार करने से मतलब है। आज मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि गरीबों को बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आज भी मैं वंचित रह रहा था। पता नहीं कि इनके हृदय में कैसे यह बात आई कि गरीब को भी बोलना चाहिये। क्योंकि यह सरकार तो कमीशन ऐसे ही बनाती है कि किसानों के लिए बने तो उसमें ऐसे लोग होंगे जिनका किसानी से कोई संबंध नहीं है, जो हल जोतना नहीं जानते, बीज बोना और रखना नहीं जानते, बंजर को सफल भूमि बनाना नहीं जानते, कौन फसल कब बोनी चाहिए, उनको इसका पता नहीं (व्यवधान)। बीच में न बोलिये वरना मेरा मूड खराब हो जायगा।

श्री अधिष्ठाता--

अपना मूड मत खराब कीजिये, यह गम्भीर विषय है।

श्री हरीसिंह--

रिपोर्ट में दिखाते हैं अपने को पूरा किसानों का शुभचिन्तक, खेत में चाहे उत्पादन बढ़े या न बढ़े, चाहे किसानों की आमदनी बढ़े या न बढ़े, चाहे श्रमिक मजदूर को उचित मजदूरी मिले या न मिले, चाहे उसके बच्चे तालीम पावें या बे पढ़े रह जायं, चाहे उसके बीबी-बच्चे भूखे रहें, लेकिन रिपोर्ट में सब है। इसी प्रकार की एक रिपोर्ट के संबंध में आज बावैला हमारे प्रदेश के कर्मचारियों और अन्य लोगों में हो रहा है।

पहले तो यह दुख की बात है कि कोई भी रिपोर्ट जो हमारे सदन की भाषा है, हिन्दी, उसमें होती ही नहीं है। जो भी कमीशन की रिपोर्ट आयेगी वह विदेशी भाषा में प्रकाशित होने के बाद आदरणीय सदन में प्रस्तुत होती है।

श्री अधिष्ठाता---

यहां प्रस्तुत करने के आदेश नहीं हुए।

श्री हरीसिंह--

एक दफा प्रस्तुत हो चुकी, आपने आदेश दिये या नहीं, लेकिन आपके अधिकारियों के पास है और अन्य लोगों के पास है, लेकिन जो अपनी मातृभाषा के पोषक हैं, जो हिन्दी भली-भांति समझ सकते हैं, उनके पास नहीं है। उसका कारण विशेष यह है कि हिन्दी का पोषक उसमें एक भी सदस्य नहीं था। अगर कोई हिन्दी के जानने वाला उस कमीशन में होता, अगर चपरासियों में से, क्लर्कों में से एक भी सदस्य होता, अधिकारियों का सदस्य होता और इसी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार इस माननीय सदन का सदस्य होता तो आज जो यह प्रस्ताव विधान सभा के कर्मचारियों, क्लर्कों, रिपोर्टरों और अधिकारियों के वेतन वृद्धि के विषय में आया है इसके आने की आवश्यकता न पड़ती।

दुख की बात यह है कि जिस प्रकार का समाजवादी ढांचा कांग्रेस ने लाने का ऐलान किया, इसी प्रकार की पार्टी बनाकर यहां बैठ गयी समाजवादी। रोज तो शोषण कर रहे हो, चपरासियों से १६ घंटे काम लेते हो, चाहे इधर के समाजवादी हों या उधर के और कम्युनिस्टों का तो भगवान मालिक है, बालों में भी तेल पड़ता है या नहीं, वह तो हमेशा समाजवाद की बात करते हैं, कांग्रेस ने यह नहीं किया वह नहीं किया। लेकिन आपने क्या किया? आप बताइये कि आपने कितनी जमीन बांट दी और कितनी मजदूरी बढ़ा दी खेतिहर मजदूरों की। जो चपरासी आफिसों में कार्य करते हैं, क्या आपने भी पे बढ़ाई है उनकी?

श्रीमन्, अब मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से नहीं १० वर्षों से हम कह रहे हैं, इस विधान सभा के चपरासी, क्लर्क, रिपोर्टर जो भी कर्मचारी हैं, उनकी पे बढ़नी चाहिए क्योंकि वह दिन-रात काम करते हैं। जब भी हमारा अधिवेशन चलता है दिन-रात परिश्रम और कार्य करते हैं लेकिन भूखे के भूखे हैं। न बच्चों को तालीम दे पाते हैं, न पेट भर भोजन दे पाते हैं, न रहने के लिए निवास स्थान बना सकते हैं। इसलिये इस प्रस्ताव के आने की आवश्यकता हुई।

श्रीमन्, यहीं तक नहीं है। ये रिपोर्टर बैठे हैं। सब से मुख्य बात यह है, प्रसन्नता की बात है कि ये हिन्दी में रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि स्टेनोग्राफर जिनकी स्पीड भी कम है और विदेशी भाषा में रिपोर्टिंग करते हैं उनकी और इनकी पे बराबर है। इन रिपोर्टरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। इनकी पे तो बल्कि दूनी होनी चाहिये स्टेनोग्राफर्स से जो कि ऊंचे पदों पर भी पहुंच जाते हैं और ये तो भरती हुए हैं रिपोर्टर और सिवाय इस पद के दूसरा पद इनको मिल नहीं सकता। लेकिन आपके कमीशन ने ध्यान नहीं दिया इनकी दूनी पे करने में, जो कि दिन-रात काम करते हैं। श्रीमन्, हमारा यह निश्चित मत है कि इन सब की पे बढ़नी चाहिये जो भी विधान सभा के कर्मचारी हों। यह रिपोर्टर्स, श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने के बाद आते हैं। यहां पर आप देखते हैं कि वे हिन्दी में भी रिपोर्टिंग करते हैं और अंग्रेजी में भी करते हैं। दो-दो भाषाओं को जानते हैं और फिर जो उनका कार्य है वह स्टेनोग्राफर्स से कहीं अधिक ऊंचे दर्जे का है। लेकिन, श्रीमन्, इन रिपोर्टर्स को वेतन स्टेनोग्राफर से भी कम मिलता है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इन रिपोर्टर्स का वेतन तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन दुगना करना चाहिये। यह बड़े ही दुख की बात है कि आज तक इन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

श्रीमन्, कराची कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ था कि किसी भी कर्मचारी का वेतन १०० रुपये से कम और ५०० से अधिक नहीं होना चाहिये। इस प्रस्ताव को बालाये-ताक रख दिया गया है। फिर भी जो यह दूसरी पार्टी सामने बैठी है यह तो कुछ करती भी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया तो है। किसी भी पार्टी ने अपने उद्देश्य की उतनी पूर्ति नहीं की, अपने कार्यक्रम के अनुसार नहीं चली, जितनी कि कांग्रेस पार्टी। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस समितियां काम करती हैं और एक पाई नहीं लेतीं उसी तरह से मंत्रियों को भी काम करना चाहिये। यदि यह नहीं होता, तो इन मंत्रियों की पे किसी भी अधिकारी से कम नहीं होनी चाहिये, भले ही वह बाद को खजाने में जमा कर दें।

श्रीमन्, चपरासी को ५० रुपये वेतन मिलता है। उसके वेतन में तो ५ रुपये की बढ़ोत्तरी होती है, जो ५०० रु० पाते हैं उनके वेतन में ५० रु० बढ़ते हैं, और बड़े-बड़े आफिसरों को २०० रुपये तक बढ़ते हैं। यह क्या है? क्लर्क और चपरासियों का वेतन बढ़ना चाहिये, अधिकारियों की ओर ध्यान कम देना चाहिये। हमेशा गरीबों का, मजदूरों का ही शोषण होता है। बड़े-बड़े आफिसरों की ही तनख्वाह बढ़ाई जाती है। जनसंघ तो मजदूरों के बारे में कभी

[श्री हरीसिंह]

सोचता नहीं । यह कम्युनिस्ट बैठे हैं । अपने पास कुछ नहीं है । अपने पास कुर्ता पायजामा ही है । लेकिन एक बात कह सकता हूं कि यदि इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह का प्रश्न उठे तो वे इस बात के लिये बाध्य कर देंगे कि इन छोटों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये और बड़ों की घटनी चाहिये । हो गया उलटा । छोटों के बढ़े १० रु० तो बड़ों के एक दम १०० रु० ।

जहां तक हमारे समाजवाद का प्रश्न है, कोई भी सरकार हो वह शनैःशनैः समाजवाद की ओर चलती है और उसके मार्ग में कुछ कठिनाइयां आती हैं । उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई न कोई ढंग या तरीका ढूंढना पड़ता है । हमारी पार्टी की यह बात नहीं है कि हम समाजवाद नहीं लाना चाहते हैं । हम पचास रुपये बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, पहिले हमें दस रुपये तो कर लेने दो । जहां तक समाजवाद की बात है मैं इन समाजवादियों के समाजवाद से परेशान हूं । जो कांग्रेस से रूठ गये वे समाजवादी बन गये और जो उनसे भी रूठे वे कम्युनिस्ट बन बैठे । परन्तु, श्रीमन्, हमारी पार्टी में वैसी बात नहीं है । हमारे जो असली कार्यकर्त्ता हैं उनके लिये देश की चुभन है, वे जो कहते हैं वह करते हैं परन्तु दूसरी पार्टी में जो वे कहते हैं करते नहीं हैं । फिर भी मेरा कहना यह है कि यदि यह नीति अपनाई गई होती कि बड़ों की घटे और छोटों की बढ़े तो अच्छा ही है । बड़े-बड़े इंजीनियर्स काले बिल्ले लगाये बैठे हैं । कहते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय । अरे भले आदमी ! इतनी तो लुटाई करते हो फिर भी कहते हो कि तनख्वाह में कमी रह गई ! अरे, पहिले इस देश को समृद्धिशाली बनाओ, जब देश समृद्ध होगा तो अपने आप ही तनख्वाह बढ़ेगी । मुझे दुख होता है कि बंजर जमीन जो हमारे प्रदेश में है उसका सर्वे ही नहीं हुआ । इस वक्त अन्न की आवश्यकता है । हर जगह सर्वे कराइये कि कितनी कितनी जमीन बंजर पड़ी हुई है । यदि वह सब जमीन उन बेकार श्रमिकों को दे दी जाय तो वह अपने फावड़े से खोद-खोद कर जमीन को तैयार करेगा लेकिन यह कभी दिमाग में नहीं आता । यह भी मैं कहना चाहता हूं कि वेतन कमेटी की रिपोर्ट अंग्रेजी में आई जबकि कहा जाता है कि हिन्दी हमारी मातृभाषा है । चपरासियों का वेतन नहीं बढ़ा, ऐसा क्यों हो रहा है ? यह सब बड़े लोगों की मेहरबानी है । श्रीमन्, मैं समाजवादियों की बात कह दूं । हमारे जो समाजवादी हैं वे यहां भाषण देते हैं समाजवाद का और जब अपना काम पड़ता है तो सब को नमस्ते करते फिरते हैं । यही है आपका समाजवाद ।

यहीं तक नहीं । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इन सब की पे बढ़ाई जाय, जो मेहनत करते हैं क्योंकि कोई भी मिल का मजदूर एक घंटा भी फालतू काम करता है तो ओवरटाइम लेता है लेकिन यहां कोई ओवरटाइम नहीं है । आज चूंकि आपत्काल है इसलिए आज इसका कोई सवाल है नहीं । लेकिन इसके बाद जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनकी पे बढ़नी चाहिये और बड़ों की घटनी चाहिये । तब तो यह रिपोर्ट सही होगी वरना इससे आम जनता में बड़ा रोष है । इसलिये मेरा निवेदन है कि चपरासी और क्लर्क जो भी विधान सभा से संबंधित हैं उनकी पे बढ़े और सभी हृदय से कार्य करें और बड़ों की पे घटा दी जाय जिन्हें तीन-तीन हजार, ढाई-ढाई हजार मिलता है । उनके कोई हमसे ज्यादा खर्चे नहीं हैं । हमारे भी बच्चे तालीम पाते हैं, चपरासियों के भी बच्चे तालीम पाते हैं और वह भी बड़े आदमी बन सकते हैं, केवल कोठी वाले ही बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं । इसलिये देश की स्थिति को देखते हुए और जनता का जो शोषण है उसको दूर करते हुए हमें पे बढ़ानी होगी छोटे छोटे कर्मचारियों की और बड़ों की घटानी होगी ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माननीय पांडेय जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । दो बातें पांडेय जी ने रखी हैं । एक तो यह कि यह पे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रैशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट एक ऐसी कमेटी के सुपुर्द की जाय जिसमें विधान मण्डल के सदस्य हों। इस पे रैशनलाइजेशन कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस के अन्दर तीन बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात है रिड्यूसिंग मल्टीप्लिसिटी आफ स्केल्स। एक किस्म के जितने काम हों उनके लिए अधिक पे स्केल्स न हों, उनका एक पे स्केल हो। दूसरा यह है कि "टु एन्श्योर ऐज फार ऐज पासिबिल ईक्वल एमाल्यूमेंट्स फार आइडेंटिकल नेचर आफ ड्यूटीज ऐंड रैस्पांसिबिलिटीज" यानी समान कार्य के लिये समान वेतन हो। इन दोनों बातों को सामने रखकर देखते हैं तो अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के अन्दर यह चीजें नहीं मिलतीं।

हरीसिंह जी ने समाजवाद की बात कही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर यह समाजवादी पार्टियां न होतीं तो शायद उनको समाजवादी व्यवस्था का नाम लेने की भी जरूरत न पड़ती। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहर लाल नेहरू रूस से पहले पहल लौटकर आये थे तो समाजवादी व्यवस्था के बारे में उन्होंने एक रिजोल्यूशन रखा था और मैं आदर के साथ पूज्य डाक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए भी यह बात कहना चाहता हूं कि डाक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इनकार किया था इससे और कहा था कि अगर ऐसी बात होगी तो मैं राष्ट्रपति पद पर रहने से इनकार कर सकता हूं। तो अगर कांग्रेस के अन्दर यह हाल हो कि उनका राष्ट्रपति समाजवादी व्यवस्था के रिजोल्यूशन पर अपने पद से अलग होने की बात कहे, उससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह समाजवाद लायेगी ? दूसरी चीज यह है कि समाजवादी व्यवस्था का ढोंग यह सरकार पीट रही है और इसी को लेकर हमारी पार्टी के बहुत से सदस्य उधर चले गये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिस विचारधारा को लेकर वह हमें भी समझा रहे थे कि हम लोग भी उनके साथ चले चलें, तो उधर जाने पर उन्होंने क्या किया, वह इस सरकार को किस तरीके पर दूसरे रास्ते पर ले गये ···

श्री रामायण राय––

मुझे माननीय कमला सिंह ने सुना नहीं, अगर सुने होते तो इस संबंध में मेरा क्या विचार है, उन्हें मालूम हो गया होता।

श्री कमलासिंह यादव––

अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामायण राय जी ने सदन में जो भाव व्यक्त किये हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं लेकिन वहां जाने के पहले हमारे सामने जो भाव उन्होंने व्यक्त किये थे कि वहां जाकर मैं सरकार में सुधार करूंगा, उसके बारे में हमें कोई परिवर्तन मालूम नहीं पड़ता है। उनकी भावना मैं जानता हूं। जो हमारे भाव हैं वही उनके भाव भी हैं। लेकिन हम यह देखना चाहते थे कि उन्होंने सरकार में क्या परिवर्तन किये। मुझे आश्चर्य तब होता है जब मैं देखता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर जो छोटा आदमी है, जो छोटी श्रेणी का कर्मचारी है उसको बिलकुल भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। रिपोर्ट के ४७१ पृष्ठ को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि चपरासियों की तनख्वाह २७–आठ आना–३२ रखी गयी है। लिटरेट दफ्तरी का ४०–५० रखा गया था वहां बुक बाइंडर का ३२–१–३७ था लेकिन अब दोनों का ६०–८० रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि लिटरेट दफ्तरी और इल्लिटरेट दफ्तरी में क्या फर्क होता है। इस तरह से समान पद और समान योग्यता का ध्यान नहीं रखा गया है, जबकि समाजवाद के उद्देश्य के अनुसार हमारी सदा यह धारणा रही है कि चौथी ग्रेड के कर्मचारियों को कम से कम १०० रुपया माहवार मिलना चाहिये, और हम इस बात को भी मानने वाले हैं कि १ हजार से ज्यादा किसी की तनख्वाह न हो। लेकिन मैं देखता हूं कि इस रिपोर्ट में नीचे के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। इस मंहगाई के जमाने में १०० रुपया से कम में कोई जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। भला ५५ रुपया में, जो कि पौने दो रुपया रोज के करीब पड़ता है, कोई तीन चार व्यक्तियों के परिवार वाला किस प्रकार से निर्वाह कर सकता है ? अगर केवल खाने को ही रखा जाय तो

[श्री कमलासिंह यादव]
१ रुपया सुबह और १ रुपया शाम को, यानी २ रुपया रोज, तो खर्च हो ही जायेंगे। इसलिये कम से कम १०० रुपया की तनख्वाह अवश्य होनी चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इस समय कोई भी मंत्री नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय यह सदन विधान मंडल के कर्मचारियों की सुविधाओं के संबंध में विचार कर रहा है, इस में किसी दल विशेष का प्रश्न नहीं है और जो विचार यहां व्यक्त किये जा रहे हैं सभी दल के लोग उन में एकमत हैं और सभी ने श्री रामसुन्दर पांडेय के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसलिये विशेष रूप से सरकार का ध्यान इस पर रहना चाहिये, यहां पर इस समय एक उपमंत्री और एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बैठे हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि इस अवसर पर संबंधित मंत्री भी होते परन्तु चूंकि यहां कोई मंत्री नहीं है इसलिये मैं आदेश देता हूं कि जो बहस इस संकल्प पर हो रही है उस पर माननीय सदस्यों के भाषणों की एक-एक प्रति खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री, माननीय वित्त मंत्री के पास भेज दी जाय ताकि वह इस संबंध में सदन के विचारों से अवगत हो जायं।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं जिक्र कर रहा था, श्रीमन्, कि समान कार्य के लिये समान वेतन होना चाहिये। एफीशियेंसी के लिए यह जरूरी है कि जिस से जिस तरह का काम लिया जाय उसे उस के अनुसार वेतन भी दिया जाय। कई सदस्य यहां के रिपोर्टर्स के बारे में कह चुके हैं। इनका वेतन क्रम बहुत कम रखा गया है। और सदस्यों ने जैसा कि बताया, वही मैं भी बताना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार का जो सचिवालय है वहां स्टेनोग्राफर्स की स्पीड हिन्दी की ८० और अंग्रेजी की १०० शब्द प्रति मिनट निर्धारित है जबकि यह रिपोर्टर कमीशन से हिन्दी में १४० और अंग्रेजी में १२० की स्पीड की परीक्षा पास कर के आते है, मैं इनकी एफीशियेंसी के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं और चैलेंज कर सकता हूं कि अगर सरकारी सचिवालय का कोई भी स्टेनोग्राफर यहां आकर श्री लखपतराम शर्मा का भाषण वरबेटिम लिख ले तो मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ी देन होगी। इन्हीं को जब लखपतराम शर्मा का भाषण शुरू में हुआ था तो कुछ दिक्कत हुई थी लेकिन अब यहां के रिपोर्टर्स उनके भाषण को बहुत अच्छे स्टेंडर्ड से लिखने में समर्थ हैं, स्पीड के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अब चाहे श्री लखपतराम जी या कोई कितना ही तेज बोले इनके द्वारा एक एक शब्द रिपोर्ट हो जायगा। जब ऐसे रिपोर्टर्स हमारे पास हैं और हम उनकी एक्सट्रा एफीशियेंसी के लिये उन को कुछ अधिक वेतन भी न दें जब कि सरकारी सचिवालय में हम पी० ए० को और असिस्टेंट सेक्रेटरीज को देते हैं, तो यह बिल्कुल अन्याय है।

दूसरी चीज यह है कि हमें अपने रिपोर्टर्स के प्रोमोशन के बारे में भी सोचना चाहिये। जब हम सरकारी सचिवालय के स्टेनोग्राफर्स को देखते हैं तो वह ८–१० साल की सर्विस पर पी०ए० बना दिये जाते हैं और असिस्टेंट सेक्रेटरीज भी बनाये जा सकते हैं जबकि वह कम स्पीड से रिक्रूट होते हैं, वह यहां तक कि अन्डर सेक्रेटरी भी बनाये गये हैं। उन का एक स्केल ५१५–७१५ का है और हाई स्पीड वाले रिपोर्टर २५० से ५५० पर ठप्प कर दिये गये हैं, कोई प्रोमोशन नहीं इनके लिये। इस बात की कोशिश की जाय कि यह भी किसी अपर ग्रेड में जा सकें, इस तरह से इतने एफीशियेंट और आवश्यक सर्विसेज को क्रश नहीं करना चाहिये। हमेशा के लिये इनको बरबाद किया जायगा तो वह कोई अच्छी न्यायपूर्ण व्यवस्था न होगी।

दूसरी चीज यह है कि अगर आप एफीशियेंट आदमी चाहते हैं तो आप को उन्हें वेतन भी अच्छा देना होगा, अगर आप वेतन अच्छा नहीं देंगे तो अच्छे आदमी नहीं आवेंगे। आप को भी, श्रीमन्, तजुर्बा हुआ होगा कि ढूंढने पर भी कहीं से संसदीय ग्रुप की कार्यवाही के लिये

रिपोर्टर्स नहीं मिल सके । सब जगह रिपोर्टर्स की कमी है, कारण यही है कि जब कम स्पीड से स्टेनोग्राफर बन कर पैसा अधिक मिल जाता है तो ज्यादा स्पीड का रिपोर्टर बनना कौन पसन्द करेगा क्योंकि उनको पैसा और तरक्की कम दी जाती है । इनका वेतन रिवाइज किया जाय, तरक्की का रास्ता खोला जाय जिससे कार्य एफीशियेंट हो । इस के अतिरिक्त हमारे यहां अनुवादक हैं जो २-३ भाषायें जानते हैं; अपर डिवीजन असिस्टेंटस को २००--४५० में रखा है और इन अनुवादकों को २०० से ४०० का ग्रेड दिया है । रिपोर्ट के ४७१ पेज पर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और अपर डिवीजन एसिस्टेन्ट -कम-केयरटेकर और अपर डिवीजन एसिस्टेन्ट कम-मार्शल इनको जो तनख्वाह दी जा रही है वह है २००-४५०, जो हमारे रेफरेन्स क्लर्क और ट्रान्सलेटर हैं, उनका वेतन २००-४०० कर दिया है । हमारे ट्रान्सलेटर जो कि ३-३ भाषायें जानते हैं उन लोगों की तनख्वाह २००-४०० कर दो गयी है । स्केल्स फिक्स करते समय समिति ने यह राय प्रकट की है कि मल्टिपिल स्केल नहीं होने चाहिये । लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर इस तरह के पे स्केल होंगे तो पहले के मुकाबले में स्केल्स की बहुत ही मल्टिप्लिसिटी हो जायगी ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के सेक्रेटरी विधान मंडल जो हैं इनके लिये एक अलग कैडर है, जैसा कि माननीय भीखा लाल जी ने कहा है, हमारी सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उनके पे स्केल तय करे या उनकी नियुक्ति करे । नियमों में यह दिया हुआ है कि जब तक विधान सभा में कोई नियम नहीं बनेंगे तो उस समय तक गवर्नर महोदय, हमारे माननीय अध्यक्ष और माननीय सभापति, विधान परिषद्, दोनों की ही राय से नियुक्त करेंगे । एक रेफरेन्स इस रिपोर्ट में भी यह दिया गया है कि विभागों के अध्यक्षों का साक्ष्य हुआ है लेकिन इस प्रतिवेदन से पता चलता है कि उनसे इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं लिया गया है जहां तक विधान सचिवालय का संबंध है । कोई भी अभिनवीकरण अगर हो तो कम से कम एक प्रतिनिधि इस सचिवालय का भी वहां होना चाहिये और दूसरे सरकार को चाहिये था कि हमारे स्पीकर महोदय और चेयरमैन महोदय की भी राय लें; लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है । तो कोई भी ऐसा कानून या अभिनवीकरण ऐसे कर्मचारियों को जिनको वेतन के संबंध में कोई रिपोर्ट देने का अधिकार न हो कानून के खिलाफ वह रिपोर्ट होगी और जब कोई रिपोर्ट कानून के खिलाफ होगी तो वह उन पर बाईंडिंग भी नहीं होगी ।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान यहां के जो कर्मचारी हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं जो कि विधान सभा से संबंधित हैं । यहां के सेक्रेटरी का स्केल पहले ६५०-५०-१२५० तक है और अब प्रोपोज्ड स्केल ६००-१२०० रु० कर दिया है । उसमें एक शर्त यह लगा दी गयी है कि स्टार्टिंग ६५० रु० से होगा । मैं यह नहीं समझ पाया कि जब वर्तमान सेक्रेटरी ६५०-१२५० तक के ग्रेड के तनख्वाह पा रहे हैं, उनको ६००-१२०० में किस प्रकार इस को आरम्भ करेंगे और कैसे अन्त होगा ?

एक और चीज मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि जब हम सचिवालय की पोस्ट का मुकाबला करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर दूसरे स्केल्स आफ पे हैं । वहां पर डिप्टी सेक्रेटरी का ग्रेड ११५०-१२०० का है और अन्डर सेक्रेटरी का पे स्केल ६५०-११५० और एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी का ८००-६५० है । हम देखते हैं कि अभी तक बराबर लड़ाई हो रही है कि कौन सुपीरियर है लेजिस्लेचर या जुडिशियरी । विधान सभा का दायरा भिन्न है और जुडिशियरी का दायरा भिन्न है । हाई कोर्ट का निर्णय भी यही हुआ है कि दोनों का भिन्न-भिन्न दायरा है । लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि जो ऐग्जीक्यूटिव है जिसके कामों की देखभाल हम सवालात के जरिये और अन्य तरीके से करते हैं और यह सरकार जिम्मेदार होती है लेजिस्लेचर के प्रति और वह अफसर भी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत हैं जो हमारे आदेशों को तथा बनाये हुये नियमों को ऐग्जीक्यूट करते हैं । तो जो अधिकारी ऐग्जीक्यूट करता है वह ऊंचा समझा जाता है इसलिये कि उसको ऊंची तनख्वाह दी जाती है और हमारे यहां के कर्मचारी जो उनके कामों का निरीक्षण करते हैं उनको कम तनख्वाह दी गयी है । यहां का सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर नहीं समझा गया है ।

[श्री कमलासिंह यादव]

इसलिये जब तक ऐसी तनख्वाह नहीं होगी कि हमारे अधिकारी भी अपने को ऊंचा समझ सकें तब तक हमारे अधिकारियों को नीचा देखना पड़ेगा। जो पे स्केल्स सरकारी सचिवालय के हैं उससे अधिक यहां के पे स्केल्स होने चाहिये, और यदि यह संभव नहीं है तो बराबर तो होने ही चाहिये। सहायक सचिव विधान सभा की तनख्वाह ४७५-८५० तक है और उनको १५० रु० एलाउन्स मिलता है। मैक्सिमम तनख्वाह ८६५ रु० मिलेगी। लेकिन जो नया स्केल है वह ७०० से ६५० रु० तक है और मौजूदा अलाउन्स ले लेते ह तो ८६५ तक चली जाती है। तो ऐसी हालत में मौजूदा स्केल कैसे लागू किया जायगा मेरी समझ में नहीं आता। सरकारी सचिवालय में ८०० से ९५० तक रखा गया है। यह डिस्क्रीमिनेशन कहां तक मुनासिब है और किस तरह से इसको ऐन फोर्स किया जायगा। इसलिये जैसा माननीय पांडेय जी का सुझाव है कि एक कमेटी ऐसी निर्धारित की जाय जिसमें एम० एल० एज० हों और यदि सरकार मुनासिब समझे तो एक एक्सपर्ट उसमें रख दें जो पे स्केल को रिवाइज करे और देखे कि इनकी तनख्वाहें क्या होनी चाहिये, किस स्तर पर होनी चाहिये। इस तरह से अगर होगा तो हमारे यहां की ऐफीशियेंसी बढ़ेगी और जो समाजवाद का नारा है उसमें हमें सफलता मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता---

अब माननीय जय गोपाल बोलेंगे। पूर्व इसके एक सूचना मैं सदन को दे दूं।

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अधिष्ठाता---

जैसा आपको पहले से मालूम था आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में इस सदन के ५ सदस्यों का निर्वाचन होना था। उसके लिए जो कार्यक्रम था उसके अनुसार आज ४ बजे तक परचा वापसी की तिथि थी। लेकिन कुछ माननीय सदस्य आज उपस्थित नहीं हैं जिन्होंने परचा दाखिल किया है और आशा यह की जाती है कि कुछ लोग अपने परचे वापस भी ले लें। तो थोड़ा-सा परिवर्तन उस कार्यक्रम में है। परचा वापसी की तिथि आज सायंकाल ४ बजे के स्थान पर अब मंगलवार १४-९-६५ को, और चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो वृहस्पतिवार १६-९-६५ को होगा।

विधान मंडल सचिवालयों के वेतन-क्रमों को पुनः निर्धारित करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन के संबंध में संकल्प---(क्रमागत)

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय पांडेय जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है वह सचिवालय की सर्विसेज के मुताल्लिक है। इनके आईन के मुताबिक एक खसूसी हालत हैं और उसके मातहत इनको अलग से सहूलियत दी जाय, मैं इस से सहमत हूं। पर जिस वक्त हम पे रैशनलाइजेशन कमेटी के बारे में सोचते हैं तो दूसरी सर्विसेज को भुला देना मुमकिन नजर नहीं आता है। हमारे प्लान्स के जरिये देश की आय बढ़ी है और उसमें उन लोगों का भी हिस्सा ह जो नौकर पेशा लोग हैं। गवर्नमेंट ने जो यह फैसला किया था कि वह इस संबंध में एक कमीशन बैठायेगी, वह एक मुनासिब फैसला था। इस फैसले के पीछे उम्मीद यह की जाती थी कि जो पूरे देश की आमदनी है उसमें सर्विसेज को भी हिस्सा मिलेगा और जो मंहगाई बढ़ रही है उससे उनको भी राहत मिलेगी। सदन में इस के बारे में सवालात के जरिये से मसला उठाया गया था कि जो कमेटी बिठाई गई थी इसके अन्दर जो भी मेम्बरान हैं वे वक्त की जरूरत को पूरा नहीं

करते हैं। जैसे कि उसमें कुछ इकोनामिस्ट रखे गये। यह जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ हैं ये कुछ रुपये पैसे की हेर फेर की बातें बतला सकते हैं। इसके अन्दर सर्विसेज के यानी ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के आदमी रखे गये। ये हमेशा बड़ी रिजिड नेचर के होते हैं। एक महदूद दायरे में देखने की उनकी आदत होती है। रात दिन मुर्दा फाइलों को देखते देखते उनसे तरक्की पसन्द चीजें निकलेंगीं यह मुमकिन नहीं है। इसके लिये कोशिश की गयी थी कि नान आफिशियल्स को लिया जाय, सदन के कुछ मेम्बर्स को लिया जाय, लेकिन सरकार राजी नहीं हुई। आज जो यह रिपोर्ट आई है इसको जिस कोने से देखिये, जिस विभाग को देखिये हाहाकार मचा हुआ है। इसने समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने में ज्यादा मदद दी है।

एक बात मैं यह निवेदन कर दूं जैसा अभी माननीय कमला सिंह जी ने भी कहा है कि मल्टिप्लीसिटी आफ ग्रेड्स को कम करने का काम भी इसके सुपुर्द किया गया और इसने ग्रेड्स को कम करने की कोशिश की है, लेकिन कम करने में जिन लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी का काम करना पड़ता है उनकी तनख्वाहें कम हो गयी हैं और जिनको गैर जिम्मेदारी का काम करना पड़ता है उनको कुछ फायदा पहुंच गया है। इसलिये जरूरत इस बात की थी कि इस कमेटी में ऐसे लोग होते ऐसे एक्सपर्ट होते जो जाब इवेलुएशन करना जानते। जो ग्रेड को तय करने के साथ साथ हर काम की बारीकी को समझते हुए तनख्वाहें मुकर्रर करना जानते। जो यह समझ सकते कि उनमें जिम्मेदारी कितनी है, उनमें इनीशियेटिव कितना है, उनमें मेहनत से काम करने का दायित्व कितना है, उनमें आर्गनाइज करने का काम कितना है? इन बातों को देखने के बाद हर जाब को वे इवेलुयेट करते और तब ग्रेड कायम किये जाते और जो आदमी जैसा काम करता, जैसा जाब करता वैसे ग्रेड में उसको एडजस्ट कर दिया जाता। यह एक तरीका था जिससे रैशनलाइज्ड बेसिस पर काम करने का तरीका और रेशनलाइज्ड बेसिस पर ग्रेड्स फिक्स करने का तरीका निकल सकता था और यह न होने की वजह से हालात ने बद से बदतर शक्ल अख्तियार की है।

एक दूसरा मसला भी था जिसको मैं समझता था कि इस कमीशन को हल करना चाहिये था और वह था टेक्निकल पर्सोनेल का। वह आदमी जो टेक्निकल काम करता है वह यह कहता है कि आखिर उसमें वह क्या कमी है, उसकी लियाकत में क्या कमी है और उसको आई० ए० एस० आफिसर्स के मुकाबले में तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती है जबकि वे उनके बराबर काम करते हैं। टेक्निकल काम तो वह करते ही हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी करते हैं। इसका नतीजा यह है कि हमारे इंजीनियर साहबान जगह जगह काला बिल्ला लगाये घूम रहे हैं।

इसके अलावा मैंने इंडस्ट्रीज, कोआपरेटिव तथा दीगर विभागों के कर्मचारियों से बातचीत की। सबको इस बात की शिकायत है कि हमारे महकमें में पुराने आदमी मौजूद हैं जो महकमे को खूब खूबी के साथ चला सकते हैं। मगर होता क्या है? बाहर से आई० ए० एस० अफसर को लाया जाता है और हमारे ऊपर बॉस बनाकर बिठा दिया जाता है जो हम से ही सीखता है और हमारे ऊपर ही हुकूमत करता है और इस तरीके से मजीद तरक्की करने की गुंजायश रोक देते हैं। इसका क्या नतीजा है? इसका नतीजा यह है कि एक जगह पर कुछ दिन के बाद वह महसूस करता है कि अब तनख्वाह में बढ़ोत्तरी नहीं होगी, ग्रेड में बढ़ोत्तरी नहीं होगी और तरक्की में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। वह टूटे हुए हिम्मत के लोगों की तरह बैठ जाता है और काम में एफीशियेन्सी को नुकसान पहुंचता है।

इसके साथ-साथ मैं यह समझता था कि कोई इस तरह का तरीका अख्तियार किया जाता जिससे यह पता चलता कि हम किस हद तक खर्चे में कमी कर सकते हैं। सुनने में आया, वह यह है कि दो चपरासियों के बजाय एक चपरासी कम किया जा रहा है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। ५० चपरासी कम करने के बजाय एक अफसर कम किया जाना चाहिये जिससे ५० घर उजड़ने से बच जायं। यह इकोनोमी करने का गलत तरीका है। एक अफसर से मझे बात करने का मौका मिला। वे जॉब रेशनेलाइजेशन कर रहे थे। किस तरह से कमी

[श्री जयगोपाल]

की जाय जिससे कुछ आदमी बच जायं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के आफिस में कमी की। उनके तरीके को दूसरे डिपार्टमेंट कबूल करने के लिये तैयार नहीं हैं और उन आदमियों को स्पेयर नहीं कर रहे हैं। दस फीसदी कमी कर दी गई है जिससे फाइल्स इकट्ठी हो रही हैं। इकोनोमी का यह तरीका नहीं है। कमीशन ने इस बारे में कुछ नहीं किया है।

हमारी पंचवर्षीय योजना के बाद देश की आमदनी बढ़ जाती है। क्या सर्विसेज के लिये भी मजदूरों के तरीके से वेज बोर्ड या पे कमीशन बैठा करेगा या डिफेंस का खर्चा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई या इन्फ्लेशन हो गया तो क्या मंहगाई बढ़ाने के लिये कोई कमीशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिये बैठेगा? कमीशन हमको परमानेंट बेसिस पर रखना चाहिये था जिससे जो मंहगाई वक्तन फवक्तन बढ़ती रहती है उसका हल निकल सकता। लेकिन इसका हल नहीं दिया गया है। इसका हल इस तरह से हो सकता था कि हम यह तय करते कि सोशलिस्ट समाज बनाने के लिये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह क्या रखें और इसके साथ साथ यह तय करते कि एक भले परिवार के गुजारे के लिये मुनासिब तनख्वाह क्या हो और ज्यादा तनख्वाह और कम तनख्वाह का भेद मिटाने के लिये औसत तनख्वाह क्या हो? अगर हमने यह फैसला लिया होता तो मुमकिन था कि हम इस मंहगाई के मसले को हल कर सकते।

दूसरे इस महंगाई के मसले को हल करने के लिये मेरे पास एक हल है और वह यह है कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं जैसे मकान की, बच्चों की, तालीम की, कपड़े की और खाने की तथा दवा दारू की, इन सब के लिये जैसे मकान है वह हमें एक मुकर्रर किराये पर मिलना चाहिये तथा दवा दारू और बच्चों की तालीम फ्री होनी चाहिये। कपड़े और खाने के बारे में एक कामन स्टैंडर्ड मुकर्रर होना चाहिये और वह तमाम टैक्सों से बरी होकर सब्सिडाइज्ड रेट पर इतनी सस्ती मिलनी चाहिये जिससे कि एक मामूली आदमी आसानी से अपने परिवार की गुजर कर सके। अगर सरकार सब्सीडाइज्ड रेट्स पर सामान दे तो यह तरीका ऐसा है जिससे महंगाई को दूर करने का मुस्तकिल इलाज मिल सकता है। इससे जो महंगाई बढ़ेगी उसका बोझ तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा और वे आसानी से अपनी गृहस्थी चला सकेंगे। इसकी कोशिश नहीं की गई है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि एनोमलीज को दूर करने के लिये सरकार ने एक कमेटी बिठा दी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में सिवाय एनोमलीज के और क्या है? मैंने बहुत से लोगों से बातचीत की। सब यही कहते हैं। जस्टिस मुकर्जी के छोटे भाई ने कहा कि मेरी तनख्वाह में भी १०० रुपये की कमी हो गई है। तो यह कैसी चीज है? तनख्वाहें बढ़ने के और उल्टे कम हो गई है इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? इसने किसी मसले को हल करने के बजाय और ज्यादा से ज्यादा दिक्कतें पैदा कर दी हैं और इस बात की कोशिश की है कि नाम हो जाय अभिनवीकरण का और सरकार के बजट पर असर न पड़े और जो रिलीफ लोगों को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल पाया है।

अब मैं इस राय का हूं कि अगर सरकार वाकई चाहती है कि इन दिक्कतों को दूर किया जाय तो जिन चीजों में एनोमलीज हैं उन पर गौर करके उनको दूर किया जाना चाहिये। मैंने गन्ना विभाग के कामदारों के केस में मिनिस्टर साहबान तथा अन्य अफसरों से बातचीत की तो मुझे मालूम हुआ कि यह कमेटी इस ब्यू की है कि जब सरकार ने एक चीज मान ली तो रोज रोज उस में तब्दीली नहीं होनी चाहिये। मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह कमेटी खास सहूलियत नहीं पहुंचाने जा रही है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। जहां आज हम चाहते हैं कि सर्विसेज में तसल्ली हो, उनमें एफीशियेंसी बढ़े वहां इसका उल्टा असर होगा और हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं वह नहीं बढ़ सकेंगे।

मेरी गवर्नमेंट से यह दरख्वास्त है कि वह एक कमेटी बिठाये और वह उन उसूलों के मातहत इस सारे मसले पर फिर से गौर करे और इसके साथ साथ तनख्वाहों के बारे में साउंड बेसिस पर

एक मुनासिब उसूल तय करे और जो महंगाई है उसको हल करने के लिये कोई मुनासिब ढंग होना चाहिये। यह भी तय करे कि हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा और कम से कम तनख्वाह क्या होगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फायदा होगा और हम आगे तरक्की कर सकेंगे अगर हम इसमें नाकामयाब रहे तो हमारी एफीशियेन्सी गिर जायेगी और हमारी सर्विसेज की ईमानदारी कम हो जायगी और वह नाजायज तरीके अख्तियार करने के लिये मजबूर होंगे। इन अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर दुबारा गौर करेगी और अच्छे उसूल पर इस रिपोर्ट को तैयार करेगी।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय हरीसिंह जी की बातें सुनीं अब वह चले गये हैं। उन्होंने कई बातें अच्छी कहीं लेकिन उनकी एक दो बातें हमको बहुत खटकीं। समाजवाद की बात बहुत कही। हमें गुस्सा भी आया लेकिन बस नहीं चला। मेरे सामने मेरी जिन्दगी में यहां अंग्रेजो सरकार थी या अब उधर के आदमियों की सरकार बनी है। हमें सही माने में कर्मचारियों के वेतन में जो असमानता है उसको दूर करना चाहिये। हमारे हाथ में तो कोई ताकत है नहीं, कमेटी ये बनाते हैं। जब कमेटी बनी थी तो मैंने कहा था कि इस कमेटी में सरासर ऐसे लोग भरे हुये हैं जो गरीबों और मजदूरों की तकलीफों को नहीं समझते हैं और वही नक्शा हमारे सामने आया है। माननीय हरी सिंह ने कहा कि कांग्रेस तो कर ही जाती है लेकिन और कोई नहीं करता है। श्रीमन्, एक पार्टी की सरकार एक सूबे में बनी थी हालांकि उस पार्टी के सिद्धान्त में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वह कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसकी सरकार केरल सूबे में बनी थी। मैं कहता हूं कि इस सरकार को एक चुल्लू पानी में डूब कर मर जाना चाहिये क्योंकि उस सरकार ने ही वास्तव में गांधी जी की आज्ञा का पालन किया था और उसने सबकी तनख्वाह १००-५०० कर दी थी। मैं यह नहीं कहता कि कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी है, लेकिन उस सरकार ने वह काम किया जिसे करने के लिये बापू कहा करते थे कि जब स्वराज्य होगा तो हम १००-५०० के बीच तनख्वाह कर देंगे। उसपार्टी की सरकार थोड़े दिनों तक ही चली। बेचारी वह सरकार फेल हो गयी और फेल भी कांग्रेस सरकार की करतूत से हुई। वह एक अच्छी सी छोटी सरकार बनी थी वहां तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया लेकिन जब कि और कई दूसरे सूबों में उससे कहीं खराब सरकारें हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं कायम किया गया। यहां के लिये राष्ट्रपति शासन के लिये बारबार कहां गया, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका कारण यह है कि आपका बहुमत है, तानाशाही है, आपको डिक्टेटरशिप है।

अब मैं इस मौजूदा संकल्प के ऊपर कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं केवल मोटी मोटी बातें ही बतलाऊंगा क्योंकि माननीय कमलासिंह, माननीय भीखालाल आदि माननीय सदस्य तो इसकी बारीकियों के मुताल्लिक बहुत कुछ कह चुके हैं। हमारी समाजवादी पार्टी बारबार यह कह चुकी है और उसने इस सरकार को चेतावनी दी है कि १०० और १,००० के बीच में यानी १०० रु० से कम नहीं और १,००० रु० से ज्यादा नहीं--इस आधार पर जब तक सब की तनख्वाह नहीं करते हो तब तक कभी भी शांति नहीं हो सकती।

हमारे सचिवालय के जो ये बेचारे रिपोर्टर्स हैं वे यहां की रिपोर्ट लिखते हैं। इनको उन भाषाओं का ज्ञान है जिन्हें साधारणः आदमी नहीं जानता। लेकिन इनके लिये कोई तरक्की नहीं है जब कि सचिवालय के अन्दर काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को तरक्की मिलती है। इसका इनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर तरक्की न मिले और तनख्वाह अच्छी मिले तब भी एक सन्तोष की बात होती है, लेकिन इन बेचारों को न तो तरक्की ही कोई है और न अच्छी तनख्वाह ही है। इसलिये जो संकल्प इस सदन के सामने आया है, मैं आशा करता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

कि सरकार इस पर अमल करेगी और दोबारा उस कमेटी को बैठायेगी ताकि कमेटी के सदस्य सद्बुद्धि से इस वेतनक्रम को ठीक से बनावें और तनख्वाह की असमानता और विषमता को दूर करें और अगर नहीं किया तो हालत क्या होगी ? हमारे सूबे के जो रिपोर्टर्स हैं वे यहां से भागते जा रहे हैं और अगर अब भी आपने उनके वेतनक्रम को सचिवालय के कर्मचारियों से अधिक नहीं किया तो हमारे इस सचिवालय के जो अच्छे और योग्य कर्मचारी हैं वे दूसरे सूबों में या पार्लियामेंट में चले जायेंगे और अपने स्थान को खाली कर देंगे जिसका भरना आपके लिये मुश्किल होगा। जहां दूसरे सूबों में ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं वहां निकल जाते हैं, जब से यह रपट छपी है, कोई भी इससे खुश नहीं है। अगर तनख्वाह बढ़ाई है तो ज्यादा तनख्वाह वालों की ज्यादा बढ़ाई है और छोटे कर्मचारियों की कम बढ़ाई है। पचास रुपये वालों की पांच रुपये और दो सौ वालों की १५ रुपये। पचास वालों की १५ रुपये बढ़ती तो ठीक होता, लेकिन बड़े की ज्यादा बढ़ायी और छोटे की छोटी ही रखी। यह कांग्रेस सरकार समाजवाद का नारा लगाती है, लेकिन समाजवाद की तरफ जरा भी नहीं चलती। अगर सरकार इस संकटकालीन परिस्थिति में जो छोटे-छोटे कर्मचारी और मजदूर हैं उनको रोटी और कपड़ा नहीं दे सकेगी इतनी बड़ी महंगाई में वह सरकार टिक नहीं सकती। उस सरकार को कोई अच्छा नहीं कह सकता। उधर से दो तीन माननीय सदस्य बोले। सही बात बोल जाते हैं लेकिन फिर हेर-फेर कर हमारे ऊपर रख देते हैं। आज जिम्मेदारी किस की है ? जिम्मेदारी हमारी नहीं है। शासन उनके हाथ में है, कमेटी उनके हाथ में है, अधिकारी और कर्मचारी उनकी तरफ देखते हैं। अगर वह इस असमानता को दूर नहीं करेंगे, तनख्वाह का ठीक बटवारा नहीं करेंगे तो उनकी सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। ज्यादा दिन तक यह कथनी चलेगी नहीं जब तक इस कथनी को करनी में नहीं बदलेंगे। अगर तनख्वाह का बटवारा कर दें, सौ और एक हजार के बीच में कर दें तो हम मानेंगे कि वह समाजवाद की तरफ चल रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

जब तक भाषण समाप्त नहीं होता तब तक बीच में प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री लखीसिंह—

पुलिस डिपार्टमेंट है। उसमें एस० पी०, डी० आई० जी० और आई० जी० की तनख्वाह बढ़ाई है, छोटे कर्मचारियों की नहीं बढ़ायी। इस प्रस्ताव पर दोनों तरफ से आवाज आ रही है और श्रीमन्, आप भी कह रहे हैं कि यह जो बहस चल रही है इसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेजना चाहिये, अगर इतने पर भी प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ तो अन्त में यही होगा.....

श्री जगन्नाथ राव—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विवादान्त प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं शायद विरोधी दल के मुख्य सचेतक कोई परामर्श कर रहे हैं। अगर उस समय तक यह विवाद चल जाय तो अच्छा है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो यह प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उसमें कोई दो रायों का प्रश्न नहीं हो सकता है। वेतन बढ़ाना और वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों पर विचार करना और अपने सचिवालय के तमाम लोगों को पैसा बढ़ाकर देना अनुचित नहीं है। मेरे ऐसे सोचने वाले, हमारी पार्टी के लोग इस राय से कोई विपरीत नहीं हैं। हम चाहते हैं और हम सरकार से यह मांग भी करते हैं कि इनके वेतन पर आप अगर आवश्यक समझें तो पुनर्विचार करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के लोग कोई दो रायें नहीं रखना चाहते और जब दो रायें नहीं रखना चाहते तो किस तरह से रिसोर्सेज आयें, किस तरह से पैसा प्राप्त किया जाय, किस तरह से उतनी रकम जो तनख्वाहों को मीट करने के लिये पूरी हों, इस पर भी अगर हम दोनों पक्ष एक राय से गम्भीरतापूर्वक विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां हम सर्वसाधारण सदस्य इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पैसा बढ़ना चाहिये, तनख्वाह बढ़नी चाहिये वहां एक पक्ष अगर रिसोर्सेज की बात दूसरे पक्ष के सामने प्रस्तुत करता है तो वहां पर मतभेद, छोटा मतभेद नहीं, बड़ा मतभेद खड़ा हो जाता है। श्रीमन्, आपको तजुर्बा है कि अगर रिसोर्सेज को बढ़ाया जाय, अगर यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दें तो मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित साथियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस आमदनी से अधिक पैसा लाने के लिये भी हमारी और आपकी राय एक जगह होनी चाहिये। एक विचार होना चाहिये। गम्भीरतापूर्वक हम अच्छी तरह से समझ लें कि यह पैसा कहां से लाया जाय, किन स्रोतों से लाया जाय, कैसे फराहम किया जाय और कैसे हम मुत्तफिक राय से अपने सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकें।

कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सोचने के दृष्टिकोण में फर्क है। मैं उनके विचारने की शक्ति पर हमला करना उचित नहीं समझता। कांग्रेस आज प्रतिज्ञाबद्ध है, वचनबद्ध है। अगर समाजवादी रामसुन्दर जी को इसमें शुबहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका दृष्टिकोण बड़ा संकुचित सा मालूम पड़ता है और उनके सोचने की शक्ति दिन प्रति दिन क्षीण होती चली जा रही है। आप पार्टी का लेबिल लगा लें कि हम बड़े भयंकर समाजवादी हैं और हमको कह दें कि नर्म समाजवादी हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि असली समाजवादी ये इधर बैठे हुये हैं। एक था शंख और एक था ढपोर शंख। शंख कहे एक तो ढपोर शंख कहे डेढ़ और दो। इससे पूरा पड़ने वाला नहीं है। अगर पैसा बढ़ाना है तो इस तरफ भी तवज्जह देनी होगी कि पैसा कहां से लाया जाय। लेकिन अगर सरकार कोई कार्यक्रम पैसा बढ़ाने का लाये तो आप मुखालिफत करें और मोर्चाबन्दी करें और सरकार को लांछन लगायें हमला करें तो यह पैसा कहां से आये? "टका धर्म, टका कर्म टकैव परम पदम्।" आपको पैसा प्राप्त कराने के लिये भी उतना ही सहयोग देना चाहिये जितना दबाव डाल रहे हैं सचिवालय के या अन्य कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ाने में। हम सभी चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह बढ़ें। तो फाइनेंसेज को बढ़ाने के लिये.....

श्री अधिष्ठाता--

मिश्रा जी, अभी आप भाषण करेंगे तो बाद में कर लीजियेगा। आप कृपया इस वक्त स्थान ग्रहण करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

मैं बता दूं मिश्रा जी को कि जितना रुपया इस काम के लिये जरूरी होगा, लेजिस्लेचर के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के संबंध में, वह घबरायें नहीं, हम उनको दे देंगे।

मेरठ-गाजियाबाद के निकट उतरे पाकिस्तानी छतरीधारी सैनिकों के पुलिस द्वारा न पकड़े जाने के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

अब ४ बज चुके हैं। माननीया मुख्य मन्त्री जी ने एक सूचना दी थी, मेरठ और गाजियाबाद के पास लगभग १०० पाकिस्तानी पैराट्रूपर्स उतारे गये हैं। उस सम्बन्ध में टम्बेश्वर प्रसाद जी ने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया था जो कि स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन क्या स्थिति है उससे वह सदन को अवगत करा दें, उसके लिए यह समय रखा गया है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय गृह मन्त्री नहीं हैं और अन्य मन्त्रियों में से कोई उपस्थित नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

गृह मन्त्री हों या न हों, जब मुख्य मन्त्री मौजूद हैं तो ऐसी स्थिति में आप यह आपत्ति नहीं उठा सकते।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मुझे सूचना मिली है कि माननीया मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था उसे कौंसिल में कंट्राडिक्ट किया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री जी अगर यहां नहीं हैं तो अच्छा ही है और यह अधिक अच्छा होगा यदि माननीया मुख्य मन्त्री ही उनका कार्य सम्भाल लें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

काउन्सिल में क्या कहा गया है उसका नोटिस यह सदन नहीं लेता है। मैंने माननीया मुख्य मन्त्री को बुलाया है वे अपना वक्तव्य दें।

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

यह सही है कि यहां पर काउन्सिल में जो कहा जाता है उसका नोटिस नहीं लिया जाता है, मगर मेरी इत्तला यह है कि जो बात वहां कही गयी है उसको वहां कंट्राडिक्ट नहीं किया गया है।

कल मैंने कहा था कि हम लोगों के पास यह सूचना आयी है कि मेरठ और गाजियाबाद के बीच कुछ पैराट्रूपर्स, जो १०० से कम हैं, उतरे हैं। यह इन्फार्मेशन हमें लोकल सोसज से आयी थी। हमारा कर्तव्य है कि जिस भी सोर्स से ऐसी सूचना आये हम उसकी जांच करायें। हमने इस सूचना पर आवश्यक कार्यवाही की। पुलिस ने तथा नागरिकों ने, सब ने मिल कर उस जगह को इस तरह से घेरा ताकि कोई जगह छूट न जाय। वहां पर एक जगह कुछ लीकेज मिला था, उससे भी कुछ शंका हुई। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, पता लगाने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि वहां कोई आदमी नहीं उतरा है, यह अफवाह थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखभाल कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहती हूं कि रात भर हम लोगों के पास जगह-जगह से सूचनाएं आती रहती हैं। उसका कारण यह है कि हमारे नागरिक आज काफी सतर्क हो रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। जहां कहीं तनिक भी संदेह होता है वे हमको सूचना देते हैं। हमारी पुलिस भी तुरन्त उनकी छानबीन शुरू कर देती है। जहां जरा-सा भी शुबहा होता है, आवश्यक कार्यवाही की जाती है। हम जितना सतर्क हैं, जनता भी उतनी सतर्कता दिखा रही है। जनता की यह सतर्कता सराहनीय है, परन्तु कुछ परेशानी भी हो रही है, दो चार दिन क बाद कुछ बैलेन्स हो जायगा। कल लखनऊ में भी, जैसी कि खबर आप सब ने पढ़ी होगी, एक गलत खबर उड़ी। जहां तक मेरठ का प्रश्न है, जितनी खबर अब तक है और जो पता चला है उसके अनुसार कोई आदमी पकड़ा नहीं गया है, और शायद यह इन्फार्मेशन सही न भी हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

मैं एक प्रश्न वैरिफिकेशन के रूप में पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्य मन्त्री सदन को इस बात से अवगत करायेंगी कि अब तक इस प्रदेश में पाकिस्तान से आये हुये कितने लोग पकड़े गये हैं जिनका वीसा समाप्त हो गया या जो पाकिस्तान के नागरिक हैं या जो रुके हुए हैं या चुपचाप छुपकर आये हैं? ऐसे कितने लोग हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस वक्त अलग-अलग तो बता नहीं सकूंगी। अन्दाज जरूर है पर पूरी फिगर्स नहीं दे सकूंगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह वक्तव्य जो था वह पाकिस्तानी पैराट्रुपर्स के उतरने के बारे में था और मुख्य मन्त्री ने जो यह वक्तव्य दिया है वह भी उसी से सम्बन्धित था और आप इस बात को जानते हैं कि यह सुरक्षा का प्रश्न है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो स्पष्टीकरण चाहते हैं, वह पूछिए।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

माननीया मुख्य मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है उस सिलसिले में जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी जानकारी पैराट्रुपर्स के प्राप्ति की पहले से है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ऐसी कोई नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री इस १०० की संख्या को देखते हुए कि १०० ऐसी संख्या नहीं जो नगण्य हो, यह बतायेंगी कि इस १०० की संख्या की सूचना का आधार क्या था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आप अपने मन से यह सन्देह निकाल दीजिए कि कोई जानकारी छिपाई जाती है। बहुत सी बातें हैं, जो हम न कहें वह अच्छा है। सौ की संख्या समझना चाहें तो मेरे कमरे में आ जायं तो अच्छा है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरठ के सम्बन्ध में तो उन्होंने अवगत करा दिया और कुछ सन्देह भी है वह अफवाह गलत थी। पर आज सुबह अखबारों में हमने देखा कि सहारनपुर के बारे में भी लिखा गया था।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

मैंने अभी आप से कहा आज रात भर टेलीफोन आते रहे हैं, कई जिलों से आये हैं, सबके नाम मैं गिनाना नहीं चाहती हूं, जैसे मेरठ का कल मैंने गिना दिया बाद में वह गलत निकली, तो जहां से भी अफवाहें आ रही हैं वहां जाकर हम चेक करेंगे और अगर कहीं पकड़े जायेंगे, खबर सही निकलेगी तो जरूर इन्फार्मेशन मैं दूंगी।

श्री अधिष्ठाता--

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) बहुत सीमित प्रश्न था और उस पर बहुत साफ वक्तव्य माननीया मुख्य मन्त्री का आ गया, इसके बाद स्पष्टीकरण के लिए जो प्रश्न पूछे गये उनका स्पष्टीकरण भी हो गया। तो अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो मामला पेश है यह सुरक्षा से सम्बन्धित है, इसके ऊपर इधर से या उधर से जो प्रश्न हो रहे हैं उनमें कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो सुरक्षा के हित में न हों....

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीया मुख्य मन्त्री जो खास तौर से इस बारे में सजग हैं और सभी सदस्य इसके प्रति सजग हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात से पूरी तसल्ली है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है और इन सब बातों के लिए सरकार का पूरा साथ देने के लिए तैयार है?

(उत्तर के लिए मुख्य मन्त्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

जो खबर निकली मेरठ की या गाजियाबाद के पास की या आज सहारनपुर की और किन्हीं किन्हीं छोटे अखबारों में देहरादून की भी है, लखनऊ में कल कुछ आदमी पकड़े गये, पता नहीं कैसे उसको लेकर हंगामा मच गया, तो क्या माननीया मुख्य मन्त्री ने कोई योजना बनायी है जिससे जो इस तरह की रयूमर मांगरिंग हो जाती है, उसकी भी रोकथाम हो सके?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आपने आज ही अखबारों में देखा होगा कि जो लखनऊ की बातें थीं उनका कंट्राडिक्शन आ गया है, इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट बराबर ऐसी गलत खबरों का कंट्राडिक्शन दे रहा है। लेकिन जब तक कोई पक्का पता न हो तब तक हम कंट्राडिक्शन भी नहीं दे सकते। इसमें थोड़ा समय लगता है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

इतनी बड़ी घटना के बावजूद क्या माननीय गृह मन्त्री या माननीया मुख्य मन्त्री स्वयं उस एरिया में गयीं और क्या उन्होंने जाकर स्वयं कोई जानकारी की?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हमारी कैबिनेट के एक मेम्बर खुद वहां जाकर सब जांच करके आये हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैंने तो बिल्कुल माननीय गृह मन्त्री या मुख्य मन्त्री के लिए पूछा था....

श्री अधिष्ठाता---

किसी भी प्रश्न का उत्तर यहां वह पूरी जांच पड़ताल के बाद ही देंगी, जितने आप चिन्तित हैं उतनी ही वह भी इसके लिए चिन्तित होंगी।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

मैं माननीया मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उनसे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा ओवर कांशश हैं, जैसे आपने कहा कि अभी तक कोई पैराट्रूपर्स मिले नहीं हैं, तो क्या यह सही है कि किस तरीके से खबरें आ रही हैं, कहीं पर क्या पैराट्रूपर्स आये हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

इसका उत्तर तो वह दे चुकीं।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---

जो खबर पहले माननीया मुख्य मन्त्री जी ने सदन में दी थी और अब पता चला कि वह सही नहीं है, तो इस पहली खबर के देने से जो नुकसान हुआ है और लोगों में बैचैनी फैली है और उसकी वजह से जो तनाव बढ़ा है, क्या सरकार को इस बात का एहसास है ?

श्री अधिष्ठाता---

यह तो आप का सुझाव है। हालात का स्पष्टीकरण हो चुका है। महज ५ मिनट के लिए मुख्य मन्त्री को स्थिति से सदन को अवगत कराना था। अब मैं किसी प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैंने कल कहा था कि जो हमारी स्थिति सेनाओं की हो उससे कम से कम २ मर्तबा, जब तक सदन चल रहा है, हमको अवगत कराया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

वह आपका सुझाव था और उन्होंने सदन को अवगत कराया है। अगर सदन चलता रहे तो उसे समय-समय पर अवगत कराना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं।

विधान मंडल सचिवालयों के वेतन-क्रमों को पुनः निर्धारित करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त समिति के गठन के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे यह छिपा नहीं है कि आज इस देश पर कितना भयंकर बोझ आ गया है और इस प्रदेश के ऊपर भी वह बोझ है। इतने बर्बर दुश्मन के मुकाबले में प्रदेश को और देश को पूरे तरीके से तन-मन-धन जुटा कर इस देश की रक्षा करनी है। यह भी, श्रीमन्, आपसे छिपा नहीं है कि आज कामन मैन में इतनी क्षमता बाकी नहीं बची कि उसके ऊपर कोई कर का बोझ बढ़ाया जाय। इसलिये यह पैसा आक्रमण के समय में और इन कर्मचारियों के वेतन के लिये कहां से आवेगा, इसे गम्भीरतापूर्वक हम सब को सोचना है। इस प्रदेश के साधन अत्यन्त सीमित हैं और यह पाकिस्तान का मोर्चा इस देश को लेना है और महंगाई की वजह से कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना भी बहुत जरूरी हो गया है। इस लिये इन हाफ-हार्टेड मेजर्स से काम चलनेवाला नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं कि सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना हमारा और इस सदन का प्रमुख कर्त्तव्य है और इस ओर हम सब को विशेष ध्यान देना है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

जे० पी० मिश्रा जी कहते हैं कि रिसोर्सेज कहां से आवेंगे, लेकिन यह भूल गये कि ५,००० रु० तक तनख्वाहें हैं, वे कम होनी जरूरी हैं।

श्री जे० पी० मिश्र---

मैं तो एक समाजवादी के नाते छोटे कर्मचारियों की बात कह रहा हूं। १०० रुपये कम से कम वेतन की बात मैं सरकार के सामने काफी दिनों से दोहराता चला आ रहा हूं। १०० रुपये से किसी कर्मचारी की तनख्वाह कम न हो, इस पर भी हमको और आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना है। इस पहलू पर वेतन अभिनवीकरण समिति मे विचार कम हुआ है, बल्कि विचार किया भी नहीं गया है। जितने कर्मचारी इस प्रदेश में १०० रुपये से कम तनख्वाह पाते हैं, उनकी बड़ी दुखभरी कहानी है। पी० ए० सी० का कांस्टेबिल, जो भारतवर्ष की सीमा पर जान की बाजी लगाये हुए है, उसको ४५ रुपये का स्टार्ट मिलता है। गम्भीर है परिस्थिति। जिन जवानों की जिन्दगी आज देश की रक्षा में लगी हुई है उनकी तनख्वाह का स्केल ४५ रुपये से शुरू है। यह बात बड़ी दुखदायी है हमको और आपको इस पहलू से विचार करना है।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय सदस्य को मालूम है कि अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सचिवालय पर कितना खर्च होगा?

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र---

इसका जवाब सरकार देगी। आपसे तो ज्यादा पढ़ा-लिखा ही हूं, कम नहीं हूं। मैं तो एक समाजवादी की दृष्टि से कह रहा था। मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से माननीय पंत जी के उन विचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने डिवीजन के कमिश्नरों के बारे में व्यक्त किये थे। यह आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोग अपने खानदान के बढ़ाने के ही चक्कर में रहते ह। यही कारण है कि आज ४-६ कमिश्नर्स के स्थान पर ६-७ गुने कमिश्नर्स बढ़ गये हैं, जितना भी वेतन बढ़ाया गया है वह भी हायर रैंक्स का ही बढ़ाया गया है, लोअर रैंक्स का कोई वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है, वेतन समिति ने भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने इस कमेटी में भी उन्हीं लोगों को रख दिया, इसीलिये उन्होंने अपने खानदान को बढ़ा लिया और अपने खानदान वालों की तनख्वाहों को बढ़ा लिया और जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी उन लोगों का प्रतिनिधित्व ही इस कमेटी से गायब कर दिया। मोटी तनख्वाह पाने वाले लोगों ने अपनी तनख्वाहों को और अपने खानदान को बढ़ा लिया है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे छोटे कर्मचारी पाकिस्तान के युद्ध के बाद इस नाइंसाफी को सहन न कर सकेंगे। मैं माननीय विरोधी दल के लोगों से भी कहूंगा कि जब पैसे का सवाल आये तो वे सरकार का साथ दें। मैं समझता हूं कि फिर कोई बात ऐसी नहीं होगी कि नीचे के कर्मचारियों का वेतन न बढे।

माननीय विरोधी दल के नेताओं का संपर्क पार्लियामेंट से भी है और पार्लियामेंट कुछ ऐसे नियम और कानून बनाती है जिससे इस देश और प्रदेश का हित होता है। इसलिये मेरा कहना है कि जब तक बैंकों का नेशनेलाइजेशन नहीं होगा तब तक हम नीचे वाले लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। आप केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि बैंकों, शुगर मिलों और टैक्सटाइल मिल्स का राष्ट्रीयकरण कर लें। कांग्रेस पार्टी के सदस्य लोग इस बात को बार बार उठा चुके हैं, आप भी पार्लियामेंट में इस चीज को उठवायें।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैंने कांग्रेस पक्ष और इधर के लोगों से बात की है अब ज्यादा इस पर लोग नहीं बोलना चाहते हैं। मैं उधर सरकार की तरफ भी कह आया हूं कि अब बहस समाप्त की जाय और प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अभी तो दोनों तरफ के लोग विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अभी चलने दिया जाय ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

अधिष्ठाता महोदय, यह राम सुन्दर जी का प्रस्ताव, जैसा उनका नाम सुन्दर है वैसा ही यह प्रस्ताव सुन्दर है । मैं इसका समर्थन करता हूं और चाहूंगा कि यह सरकार हमारे जो यहां के कर्मचारी हैं उन पर ध्यान देते हुये हमारी बात जरा आप ध्यान से सुनें । मैं पहले आपसे यह कहूंगा कि इस वक्त जो हमारे देश की आज परिस्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुये, उसकी गम्भीरता को समझते हुये मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर ज्यादा बल दे और जितने भी फाइनेंसेज हैं उनको पहले उधर डाइवर्ट करे और हमारा खयाल बाद में करे । आगे मुझे कहना है कि तड़पता देख कर इनको सरकार को रहम आना चाहिये ।

यह जो सरकारी कर्मचारी सामने नजर आते हैं और सदन के आस-पास के जो यह गरीब कर्मचारी हैं मैं उनकी तरफ आप का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि हालत इनकी क्या है :-

"कफस की खोल दी तीली मगर कस कस के पर बांधे
मौत से बचना हमें अब दास्ताने जिन्दगी "

मैं अब अंग्रेजी में कह सकता हूं कि·

They are poor but they are honest
Victim of the political stunt.

First we love them, then we left them
And then they lost their honest name.

Then they run away to home
For to hide their grief and shame.

There they made another stunt
And then they lost their name again.

See them working in the House,
In the House and also gay.

All M.L.As. and M.L.Cs. come to pass time of day,
See the little old world of ours, where our legislators,

Drinking the sharbat which we get but can never forgive
In the House arms they flatter like the bird with broken wings

First we left them then we leave them for they have not got a decent pay.

See them in the splendid mansion entertaining with the past.
While the life they have ruined.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रेमसिंह]

Entertains a sordid guest see me in the Legislature
Making laws to put down crime while the victim
of his mistakes trails their way through mud and shine.

Sitting on the chair in the evening they say farewell, Oh
M.L.As. and M.L.C.s

There is a scream of House, good Heavens.
What is it you are doing then.

We told them to get up and go;
Perspiration from their shirts we go for;

The thought that he was tired.
But the employees got up and said.

It is the same the whole world over,
It is the poor that gets the blame.

It is the right that gets the pleasure.
Is it not a pitiable shame.;

यह तो मेरी कविता हो गयी। अब मैं अपनी कुछ बात कहूंगा।

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आज हमारे मुल्क पर एक मुसीबत आ गयी है। अगर हमारे खून की भी आवश्यकता हो तो मैं खून देने को तैयार हूं। आज हमारे दुश्मनों ने या इन बदमाश लोगों ने हमको बदनाम कर रखा है कि हिन्दुस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन मैं आज कहे देता हूं कि अगर हमारे खून की भी जरूरत पड़ेगी तो वह भी हम देने को तैयार हैं। श्रीमन्, मैं पहला शख्स हूंगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय प्रेम सिंह जी, आप अपने भाषण को सीमित रखें सचिवालय के सम्बन्ध में।

श्री प्रेमसिंह---

श्रीमन्, हां मैं बहक गया था क्योंकि मुझे बार्डर का जोश सवार हो गया था। दूसरे मिलिट्री के घायल जवानों को भी देख कर जोश सवार हो गया था। मुझे भी अगर वहां पर जाने का मौका मिले तो मैं बता दूं कि हिन्दुस्तान में भी ऐसे ऐसे जवान मौजूद हैं। मैं फिर आपकी सेवा में अंग्रेजी के चन्द शब्द पढ़े देता हूं---

"You have not done enough,
You have never done enough so long

As it is still possible that you have
Something of value to contribute.

तो मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे फाइनैन्स के कर्मचारियों को जो बजट के मोटे मोटे पोथे बनाते हैं, उनको आनरेरिया दिया जाता है उसी तरह से यहां के काम करने वालों को भी, जो मेहनत करते हैं, आनरेरियम दिया जाय।

अब मैं सैक्रेटरी की पोस्ट के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग सब नाराज हो जाते ह और नाराजी भी ठीक ही है। इतनी जिम्मेदारी के साथ सुबह से शाम तक उनको काम करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि चाहे हमारी तनख्वाह कम कर दी जाय लेकिन उनकी तनख्वाह को जरूर बढ़ाया जाय।

Who share our love for administration but think
That they are the source of discontent.

तो मैं चाहूंगा कि उन (कर्मचारियों) को इतनी तो तनख्वाह देनी चाहिये जिससे वे अपना गुजारा कर सकें ।

अगर हमारा फंकशनिंग ठीक नहीं होगा तो हम अपने असली मकसद को नहीं पहुंच सकेंगे ।

"Understand the administration of the Government, and not the administrator,
Appreciate the creation and not the creator.

But I want to understand the creator and not the creation. So love, sacrifice and co-operation have helped the Government to prosecute all their work since the formation of the Government present and the past.

इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं ।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, यह प्रस्ताव बिल्कुल अधूरा है और जो रिपोर्ट वेतन अभिनवीकरण समिति की प्रकाशित हुई है उसके अनुसार, अगर हम देखें तो आज प्रदेश के जितने भी विभाग हैं, उनके जो निम्नस्तर के कर्मचारी हैं उन सब को इस रिपोर्ट से शिकायत है। बहुत से विभाग के कर्मचारियों से मुझे मिलने का मौका मिला, बहुत से लोगों ने स्मृति-पत्र दिये जिनमें सब की यही शिकायत है कि जो उनकी वेतन की दरें नियत की गयी हैं वे सामयिक नहीं हैं और जो वेतन उनको इस समय मिल रहा है उससे भी कम वेतन इस रिपोर्ट के अनुसार हो जाता है। यह ठीक है कि अन्त में जो उनको मिलेगा उसकी दरें थोड़ी बहुत बढ़ायी गयी हैं लेकिन वेतन की शुरूआत घटा दी गयी है और यह हर तरह के कर्मचारियों के लिये किया गया है। नतीजा यह है कि जो वेतन इस समय मिल रहा है किसी किसी को उससे भी कम मिलेगा। आज महंगाई के समय में जबकि उनको मौजूदा वेतन से ज्यादा मिलना चाहिये जिससे वे अपने परिवार का भरणपोषण कर सकते, लेकिन बजाय उसमें बढ़ोत्तरी होने के और कम हो गया, इससे असंतोष स्वाभाविक है। लेकिन हम उन सब कर्मचारियों को बधाई देंगे कि पाकिस्तान के इस आक्रमण के समय उनके दिलों में जो असंतोष की लहर पैदा हो गयी थी उस असंतोष की लहर को दबा करके उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया है कि ऐसे मौके पर वे अपनी उन मांगों के लिये दबाव न डाल करके सरकार को संकट के समय पूरे तरीके से सहयोग देंगे और जरूरत पड़ जायगी तो अपने वेतन में से कटौती करके पैसा सुरक्षा कोष में देंगे । इस तरह का आश्वासन जब हम को उन कर्मचारियों से मिलता है तो पता चलता है कि हमारे मुल्क के अन्दर कितनी जान है और मुल्क क लिये लोग सब कुछ त्यागने को तैयार हैं, तब हमारा यह फर्ज हो जाता है कि सरकार एक ऐसी समिति बनाये जो कि सभी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर फिर से विचार करे। इसके साथ साथ जो ऊपर के कर्मचारी हैं, जैसा कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि उनको काफी अच्छी तनख्वाहें मिल रही है। लेकिन जो टेक्निकल सर्विसेज हैं या जो विशेषज्ञ हैं, चाहे डाक्टर हों अथवा इंजीनियर, उनके वेतन-क्रमों की दर कम है। जिस अनुपात से पी० सी० एस० व आई० ए० एस० की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं अगर वह अनुपात उतना न हो कर उससे कम भी होता तो उनका काम चल सकता था, लेकिन नीचे के कर्मचारियों को जिनको कुछ राहत मिलनी चाहिये थी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे और कोई ऐसी कमेटी नियुक्त करे जिसमें हर तबके के प्रतिनिधि हों। विशेषज्ञों के प्रतिनिधि, ऊपर की सर्विसेज के प्रतिनिधि, निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधि, माननीय सदन के प्रतिनिधि उस समिति के अन्दर हों और वे सब चीजों पर पुनर्विचार करें और अपनी रिपोर्ट दें ताकि लोगों के अन्दर जो असंतोष है वह दूर हो सके और मुल्क का काम सही ढंग से चल सके।

[श्री मुरलीधर कुरील]

इन शब्दों के साथ मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव पूर्ण नहीं है। इसको वापस ले लेना चाहिये और सरकार स्वयं अपनी तरफ से एक पूर्णरूपेण, समस्त अधिकार रखने वाली समिति को नियुक्त करे जो इन सब मसलों पर विचार करे

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)

मिलीटरी आपरेशंस के बारे में आज की न्यूज गांडेय जी बतलाने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता--

इन न्यूज को आप जानना चाहते हैं तो सदन के बाहर ले लें और मैं समझता हूं कि आपकी जिज्ञासा को वह पूर्ण कर देंगे।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को देखा और देखकर आश्चर्य हुआ कि आया यह हमारी सरकार डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट है या ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के स्केलों को कम करने तथा उनके स्केलों में भिन्नता के सम्बन्ध में विचार करने के लिए ऐसे उच्चाधिकारियों को नियुक्त किया गया जो आई० ए० एस० और पी० सी० एस० ग्रेड के लोग हैं। ब्रिटिश टाइम में आई० सी० एस० और पी० सी० एस० ग्रेड के लोगों के कार्य का मुख्य उद्देश्य, जो उनसे सम्बन्धित टूरिंग ऐक्ट से स्पष्ट होता है, यह था कि वह देश की जनता पर अधिकार व प्रभाव जमाये रखें और अंग्रेजों के प्रति उसको वफादार बनाये रखने में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। उसी तरह से आज डेमोक्रेटिक युग में भी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० बने हुये हैं, बड़े दुख की बात है तथा उन्हीं के हाथ में हजारों कर्मचारियों के वेतन के निर्णय का पूर्ण अधिकार दिया गया है। हां, यह अच्छा होता कि उस कमेटी में हर विभाग के अपने अपने सदस्य होते ताकि वह अपने विभाग या अपनी संस्था के विचारों को रखते तो सम्भवतः ऐसी गलती न होती।

मान्यवर कमेटी का मुख्य उद्देश्य तथा उसका सब से बड़ा लक्ष्य यह था कि समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित किया जाय और जो विभिन्न स्केल्स हैं इनको मिनिमाइज किया जाय। लेकिन अन्त में उनकी रिपोर्ट में इस लक्ष्य के विपरीत दिखाई पड़ा। समान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता दिखाई पड़ रही है। इसी तरीके से विधान सभा और विधान परिषद् के कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में अन्य सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता है अगर कार्यक्षमता की दृष्टि से आंका जाय तो रिपोर्ट में बहुत भिन्नता है जो बिलकुल गलत है। विधान सभा के कर्मचारी २४ घंटे काम करते हैं, जब तक कि हाउस चलता रहता है कभी कभी ११ बजे रात तक, वह बड़ी मेहनत और मशक्कत से काम करते रहते हैं। जहां तक उनकी योग्यता का सम्बन्ध है वे अध्यक्ष महोदय को परामर्श देते हैं। मैं समझता हूं कि इस सदन से सम्बन्धित जो नियम और प्रक्रियायें हैं उनको यहां के कर्मचारी ही समझ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० जिनका वेतन अधिक है अगर उनको यहां बिठा दिया जाय तो सम्भवतः वह फेल हो जायंगे। उनको इस विभाग के कर्मचारियों के बराबर इम्तहान में बिठा कर देख लिया जाय, इससे ज्यादा और क्या चैलेंज दिया जाय। इस विभाग के कर्मचारियों की कार्यकुशलता का और विवरण क्या हो सकता है? चूंकि इस कमेटी में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० लोग रखे गये इसलिए उनमें ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न हुई। यह मेरा निजी मत है और अन्य माननीय सदस्यों का भी मत है कि ऐसे कर्मचारियों को जिन में देश के कार्य को ईमानदारी से चलाने की क्षमता है और जिनमें देश के कार्य को करने की लगन है, उनका वेतन अधिक होना चाहिए।

नियोजन का युग है और अगर प्लानिंग विभाग की तरफ भी देखा जाय तो मैं नहीं समझता कि अगर प्रजातांत्रिक ढंग से चलने वाली यह सरकार है तो उसने उन व्यक्तियों की तरफ अपना ध्यान क्यों नहीं दिया जो कि निम्न स्तर के कर्मचारी हैं। प्लानिंग के अन्दर ही पंचायत मंत्री भी होते हैं और इस नियोजन के युग में जबकि नियोजन के ही आधार पर जो देश की उन्नति करने का संकल्प किया गया है उसको पूरा करने में पंचायत मंत्रियों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन उसी स्तर पर काम करने वाला जो विलेज लेविल वर्कर है, उसकी और पंचायत मंत्री की तनख्वाह में जमीन आसमान का अन्तर है। आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी को यह अवगत करा देना उचित समझता हूं कि जब सन् १९४९ में पंचायत मंत्री नियुक्त हुये थे तो सरकार द्वारा यह स्पष्ट निदेश था कि उनको यह ५० या ६० रुपये जो दिये जा रहे हैं यह केवल उनका पाकेट एक्सपेंस है। यानी पंचायत मंत्रियों को यह धन पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन अब तो नियोजन के युग में जब कि आप गांवों की उन्नति करना चाहते हैं, सही माने में उनको शिक्षित करना चाहते हैं और ग्रामों में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इन मल्टी परपज कर्मचारियों के लिये यह बहुत आवश्यक है कि उन को उचित वेतन दिया जाय। इस पर सरकार को विचार करना चाहिये था परन्तु दुःख है कि सरकार ने पंचायत मंत्रियों के वेतन के लिये कोई निदेश उस वेतन अभिनवीकरण समिति को नहीं दिया था।

मैं समझता हूं कि इस समाजवादी सरकार में नियोजन के कार्य को सही रूप में चलाने की क्षमता नहीं है क्योंकि यह सरकार ब्यूरोक्रेसी के चंगुल में फंस गई है जिसमें बड़े बड़े कर्मचारी आई० सी० एस०, आई० पी० एस० या पी० सी० एस० हैं। प्रान्तीय सरकार की कौन कहे, केन्द्रीय सरकार भी ब्यूरोक्रेसी के इशारे पर चल रही है उसका एक नमूना मैं आप के सामने प्रमाण के रूप में देना चाहता हूं। अभी हाल ही में हरिजनों के कल्याण व उत्थान के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की एक लूकर कमेटी हरिजनों की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दशा जानने के लिये आयी थी लेकिन मुझे दुख है कि ८ अगस्त, १९६५ के अखबारों द्वारा मुझे मालूम हुआ है कि इस प्रदेश की धोबी जाति को हरिजनों की सूची से निकालने का निश्चय किया है जिनकी उत्तर प्रदेश में करीब ९ लाख की आबादी है। यह सीधी राजनीतिक चाल है और यह रिपोर्ट अब केन्द्रीय सरकार के समक्ष पेश होने वाली है। जैसा कि सब को विदित है इस समय उत्तर प्रदेश की एक पार्लियामेंट की, तथा ५ विधान सभा की सामान्य सीटें कम हुई हैं। अब चूंकि सामान्य सीटों की संख्या को पूरा करना है इसलिये हरिजनों की सीटों को कम करने का दांव पेंच अपनाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रजातांत्रिक युग में प्रजातांत्रिक ढंग पर चलने वाली सरकार की समस्त शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में पहुंच गयी है जो बिना सामाजिक, राजनैतिक नेताओं से परामर्श किये हुए अपने आप ही प्रत्येक काम कर रही है। इससे प्रजातंत्र पर बड़ा भारी आघात पड़ने वाला है। इसलिये सरकार से मैं अनुरोध करता हूं कि प्रजातंत्र को बचाने के लिये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो कार्यशैली है, उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण कमेटी ने विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ पक्षपात किया है, उस पर पुनर्विचार किया जाय।

जैसा कि माननीय जे० पी० मिश्र ने कहा है कि इसके लिये धन की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि १ हजार रुपया वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन पर विचार करने के लिये इस कमेटी को अधिकार ही नहीं देना था। अब इसके सुधार के लिये मैं सरकार से आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि छोटे कर्मचारियों के वेतन में या प्रस्तुत प्रस्ताव के अन्दर जिन कर्मचारियों की बात चल रही है, एक हज़ार से ऊपर पाने वाले अफसरों की बढ़ोतरी रोककर, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। इस तरह सरकार को अन्य प्रकार से साधन जुटाने की आवश्यकता न होगी तथा कर्मचारियों के लिये अधिक कल्याणकारी होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय [जिला आजमगढ़]—

अधिष्ठाता महोदय, हम रे इस प्रस्ताव पर लगभग सभी दलों के विधान सभा के माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है और दलों के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी दिल से इसका समर्थन किया है।

श्री नवलकिशोर—

आप के इस प्रस्ताव में मैंने एक सुझाव रखा था यदि आप उस को स्वीकार कर लें तो आप का उद्देश्य हल हो सकता है। एक ज्वाइंट कमेटी बन जाय यह आपने कहा है और कौंसिल भी उस में साथ मिल कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले और उस की रिपोर्ट आजाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हमारे पास दो संशोधन हैं। एक संशोधन जगन्नाथ राव जी का है और दूसरा माननीय नवलकिशोर जी का है। जो ये दो संशोधन हैं ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार से इन अभागे सचिवालय के कर्मचारियों को लाभ हो सके, उनको किसीप्र कार से तात्कालिक सहूलियत मिल सके, इस प्रकार के संशोधन को मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं उसका अनुगमन हो और उस को स्वीकार करते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पक्ष के माननीय नवलकिशोर जो कांग्रेस दल के मंत्री हैं, श्री रामनारायण जी जो सचेतक हैं इन लोगों की राय आचुकी है, श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी एवं नवल किशोर जी जो प्राक्कलन समिति के चेयरमैन रह चुके हैं उसके नाते भी सरकार को उनकी राय माननी चाहिये तथा और दूसरे समझदार सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में राय जाहिर कर दी। ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे एवं किसी दल का कोई नेता नहीं बचा जिसने अपनी राय न जाहिर की हो। सब ने कहा कि सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये। नेता विरोधी दल ने अपनी राय जाहिर की है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। प्रसोपा के नेता बलवन्तसिंह जी ने भी अपनी राय जाहिर की है। इस सदन में हर पक्ष की ओर से इसका समर्थन हुआ है कि यह प्रस्ताव उचित है। केवल एक ऐसे इस सदन में सम्मानित सदस्य मिले जिन्होंने इसका विरोध किया। वे श्री कुरील जी हैं। अब मैं उनको क्या समझाऊं। कोई आदमी समझ कर भी नासमझी की बात करे और समझकर भी अनजान बने तो उसके लिये दुनियां में कोई दवा नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि हमारे प्रस्ताव का इस सदन में सभी विचारविदों ने पूरा समर्थन किया है। अतः प्रस्ताव पर फिर से जोर देता हूं। समाजवादी सिद्धान्तों की ओर ध्यान रखा जाता है और प्रस्ताव में हम अपने विचारों को जोड़ना चाहते हैं, किन्तु हमारी सरकार सुनती नहीं है। माननीय हरी सिंह जी इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं। उनको पूरी छूट मिली हुई है कि वह इस सदन में जो चाहें आक्षेप करें इसी प्रकार मिश्रा जी नहीं हैं। आजकल उन को भी छूट मिली हुई कि जिसके लिए चाहें जो शब्द प्रयोग करें, उसके लिये कोई बाधा नहीं है। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग (व्यवधान) मैं कैसे कहूं कि हरीसिंह समाजवाद को नहीं जानते हैं, मिश्रा जी नहीं जानते हैं। अगर कहूंगा तो उनके प्रति अन्याय होगा। लेकिन एक मोटी बात है कि जब तक समाज में आमदनी छोटे और बड़े के समानान्तर में लाओगे नहीं तब तक समाजवाद होने वाला नहीं है।

मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, केवल गांधी जी की बात याद दिलाना चाहता हूं जिन्होंने कहा था कि जिस देश में करोड़ों आदमी बहुत कम पैसा पावें और कुछ मुट्ठी भर ज्यादा पावें तो वह समाजवादी देश कभी हो नहीं सकता। यह बात सही है कि इस वक्त जो हम समाजवाद का नाम लेते हैं यह केवल आप के लिए हवाई बात हो सकती है, लेकिन आप अपने को समाजवादी कई वर्षों से कहते हैं, आप के हाथ में शासन की बागडोर भी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखेंगे?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जी हां।

श्री अधिष्ठाता—

तो अगले दिन इसको जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १३ सितम्बर, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१० सितम्बर, १९६५।

विधान परिषद

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १६ और १७ के उत्तर नीचे पृष्ठ ४२८ पर)

आगरा नगर में चल रही चिट फन्ड फाइनेन्स व लकी ड्रा कम्पनियों का पूर्ण विवरण

कम्पनी का नाम व पूरा पता	प्रोपराइटर का नाम व पता	रजिस्टर्ड है / नहीं है
१—कृष्णा सेविंग स्कीम (लकी प्राइज्ड स्कीम) कालामहल, आगरा।	सर्वश्री तेजमल पुत्र राम चन्द्र, निवासी रोशन मोहल्ला, थाना कतवाली आगरा रामदेव, पुत्र गोविन्द राम निवासी काजी गली कालामहल, आगरा।	रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन नं० ३६८४, कलकत्ता जुलाई, २१, १९६५।
२—ताज होम फाइनेन्सिंग इन्डस्ट्रीज सुभाष पार्क के सामने गांधी रोड, आगरा।	सर्वश्री आर० एस० बोरा व रमेश चन्द्र कपूर।	रजिस्टर्ड है।
३—जय प्रिय फाइनेन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कोआपरेशन, छीपी टोला, आगरा	श्री गोकुल चन्दर्जन ..	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
४—क्षत्रपाल होम सोसाइटी फाइनेन्सिंग कम्पनी, जय हिन्द होटल, सदर बाजार, आगरा।	श्री क्षत्रपाल ..	रजिस्टर्ड नं० ५०६६३।
५—आगरा फाइनेन्स एन्ड चिट फन्ड फाइनेन्स लिमिटेड बरेसी नं० २ आगरा।	सर्व श्री डा० लक्ष्मीनारायन गोकलारी व प्रेम किशन गोकलारी	रजिस्टर्ड नं० २९७१३
६—जीवन ज्योति इन्सटालमेन्ट ट्रेड कम्पनी नन्नू बाजार, ताज गंज आगरा।	श्री राम कवकड़ पुत्र श्री नारायन सिंह	रजिस्टर्ड नं० २६०६
७—बसंत फाइनेंसिंग व चिट फन्ड कम्पनी प्रा० लिमिटेड नन्द सिनेमा के पास।	बीषान बद्रीनाथ	रजिस्टर्ड
८—अमर दीप ट्रेडिंग कम्पनी (लकी गिफ्ट स्कीम) पीपल मन्डी आगरा।	सर्वश्री अर्जुनदास पुत्र श्री पोकर दास निवासी पीपल मन्डी आगरा व नानक चन्द पुत्र नाहरमल निवासी कालामहल, छत्ता, आगरा।	रजिस्टर्ड नहीं है।
९—कश्मीर स्कीम सेविंग पूल कमेटी, काजी गली, कालामहल, आगरा। (लकी प्राइज्ड स्कीम)	सर्वश्री दानामल पुत्र टिल्लूमल व श्री चन्द, पुत्र हंसराज, निवासी, कालामहल, थाना छत्ता, आगरा।	रजिस्टर्ड नहीं है।

कम्पनी का नाम व पूरा पता	प्रोप्राइटर का नाम व पता	रजिस्टर्ड है/ नहीं है
१०—के० के० प्राइज्ड इन्सटालमेन्ट ७/६ लेन गोशाला, बेलनगंज, आगरा।	श्री नत्थी लाल जैन, पुत्र किरोड़ीमल जैन, निवासी लेन गोशाला, आगरा।	रजिस्टर्ड नहीं है।
११—मिडवे फाइनेन्स ऐंड चिट फंड बेलनगंज, आगरा।	श्री बल्देवराज आनन्द, पुत्र लाला चुन्नीलाल आनन्द, निवासी बेलनगंज, आगरा।	रजिस्टर्ड नहीं है।
१२—राजा रेडियो, ५०८ रेडियो मार्केट, आगरा।	सर्वश्री आर० एन० कृषी व आर० के० सिंघल।	,,
१३—आहूजा रेडियो, रेडियो मार्केट, आगरा।	सर्वश्री अशोक आहूजा व टीकम दास।	,,
१४—कमल फाइनेन्स, फुल्लटी बाजार, आगरा।	श्री हरीहर प्रसाद, पुत्र वासुदेव प्रसाद।	,,
१५—लक्ष्मी फाइनेन्सर, काली बाड़ी रोड, चित्रा सिनेमा, आगरा।	सर्वश्री बद्रीनाथ व रतनलाल	,,
१६—फंड्स कोआपरेशन छीपी, सब्जी मन्डी, आगरा।	श्री भानुकुमार जैन	,,
१७—शारदा डिस्ट्रीब्यूटिंग कं०, छीपी टोला, आगरा।	श्री विश्वेश्वरदयाल जैन	,,
१८—बंसल फाइनेन्सिंग रेडियो कम्पनी, ताजगंज, आगरा।	श्री हरीशचन्द बंसल	,,
१९—बंसल ट्रांजिस्टर सर्विस कम्पनी, शहजादी मन्डी, आगरा।	श्री हरीशचन्द बंसल	,,
२०—शक्ति ट्रेडर्स, शहजादी मन्डी, आगरा।	श्री राम परमानन्द, पुत्र श्री मालिक राम अरोड़ा, बालूगंज, आगरा।	,,
२१—मित्तल फाइनेंन्सिंग कम्पनी, आगरा।	सर्वश्री जगदीश पंडित व गोपाल दास।	,,
२२—गुडलक सेल्स कोआपरेशन, बंसावन गली, कालामहल, आगरा।	श्री मुरारी, पुत्र तोताराम सिंघी, निवासी बंसावन गली, काला महल, आगरा।	प्रोपराइटर आगरा से बाहर है अतः निश्चित नहीं किया जा सका।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

बलिया जिले के राजकीय अनुदान प्राप्त इंटर कालेजों एवं हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सूची तथा उनमे से किन-किन संस्थाओं में अध्यापकों का वेतन बाकी हैं।

क्रमांक	संस्था का नाम			कितने महीनों का वेतन बाकी है
	इन्टर कालेजों की सूची			
१	कुंवर सिंह इन्टर कालेज, बलिया	..	..	
२	आर० एस० किसान इन्टर कालेज, दुबहर	..	..	तीन माह
३	सेवा संघ इन्टर कालेज, सोहांव	..	..	
४	टाउन इन्टर कालेज, बलिया ..	..	..	
५	के० जी० एस० जे० इन्टर कालेज, रसरा	..	..	
६	मर्चेन्ट्स इन्टर कालेज, चितवडा गांव	..	..	
७	पी० एन० इन्टर कालेज दुबे छपरा	..	..	६ माह
८	जी० एम० इन्टर कालेज, बिल्थरा रोड	..	..	
९	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बिल्थरा रोड	..	..	
१०	नरहरि बाबा इन्टर कालेज, कर्ण छपरा	..	..	३ माह
११	पचरुखा देवी इन्टर कालेज, गायघाट	..	..	५ माह
१२	रतसर इन्टर कालेज रतसर, बलिया	..	..	
१३	बांसडीह इन्टर कालेज, बांसडीह	..	..	
१४	मनियर इन्टर कालेज, मनियर ..	..	..	
१५	द्वाबा राष्ट्रीय इन्टर कालेज, बेरिया	..	..	
१६	महाबीर सिंह इन्टर कालेज, बादिलपुर, हल्दी	..	..	५ माह
१७	महात्मा गांधी इन्टर कालेज, दलनु , छपरा	..	..	४ माह
१८	श्रीनाथ इन्टर कालेज, गढ़मलपुर, सुल्लाई	..	..	३ माह
१९	राष्ट्रीय इन्टर कालेज, संघापुर, बनहरा	..	..	४ माह
२०	राष्ट्रीय इन्टर कालेज, करम्बर	..	..	४ माह
२१	गांधी इन्टर कालेज, सिकन्दरपुर	..	..	
२२	आर० के० इन्टर कालेज, भीमपुरा	..	..	
२३	रेवती इन्टर कालेज, रेवती ..	..	..	८ माह
२४	बंशी बाजार इन्टर कालेज, बंशी बाजार, नवानगर		..	
२५	जे० वी० इन्टर कालेज, गुडवार	..	..	
२६	राम शरण इन्टर कालेज, शिवपुर, बसन्तपुर	..	..	
२७	नेहरू इन्टर कालेज, रतनपुरा ..	..	..	३ माह
२८	जनता इन्टर कालेज, नगरा ..	..	..	
२९	श्री गांधी महाविद्यालय इन्टर कालेज, मलयनगर, मलय		..	४ माह
३०	चैनराम बाबा इन्टर कालेज, सहतवार	..	..	९ माह
३१	सुदिष्ट बागा इन्टर कालेज सुदिष्टपुरी, रानीगंज		..	
३२	गांधी हरिजन इन्टर कालेज, सन्दवा	..	..	५ माह

क्रमांक	संस्था का नाम	कितने महीनों का वेतन बाकी है
	हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सूची	
१	एल० डी० ह्यर सेन्डरी स्कूल, बलिया	
२	शिव प्रसाद नरहेजी हायर सेकेन्डरी स्कूल, सन्तनगर ..	
३	के० एन० के० एस० हायर सेकेन्डरी स्कूल छितौनी, छाता ..	सात माह
४	मुरारपट्टी हा० से० स्कूल, मुरारपट्टी, लालगंज ..	
५	आदर्श हायर से० स्कूल, शिवान कलां	आठ माह
६	अन्नू राय हा० से० स्कूल, चौरा	पांच माह
७	परशुराम हा० से० स्कूल पकवाइनार	चार माह
८	सिद्दीकिया हा० से० स्कूल, कोटवारी	
९	बच्चू राम हीरा लाल हा० से० स्कूल, छाता	
१०	परम हंस हा० से० स्कूल, मझावली, आमघाट	
११	सुभाष हा० से० स्कूल, ताड़ी बड़ागांव	पांच माह
१२	हा० से० स्कल, सुखपुर	
	केवल जू० हा० स्कूल तक अनुदान प्राप्त	
१३	हा० से० स्कूल, नीरूपुर	
१४	शहीद मंगल पांडेय, हा० से० स्कूल, नंगवा	४ माह
१५	आदर्श हा० से० स्कूल, मंझगवा	
१६	नरहेजी हा० से० स्कूल, नरहेरसड़ा	४ माह
१७	भदांव हा० से० स्कूल, थलईपुर	५ माह
१८	राम दहिन सिंह हा० से० स्कूल, आमघाट	
१९	पी० बी० हा० से० स्कूल, सीताकुंड	
२०	द यानन्द हा० से० स्कूल, इटैली, रतनपुर	६ माह
२१	राजकुमार हा० से० स्कूल, कारों	
२२	आदर्श हा० से० स्कूल, नरही चौरा	
२३	हा० से० स्कूल, बहुआरा	
२४	हा० से० स्कूल, सुकूरपुरा, खडसरा	
२५	अमरनाथ आदर्श हा० से० स्कूल, खजुरी	तीन माह

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३९ पर)

१—पीपनार
२—बरनपुर
३—रसूलपुर
४—बरहेता
५—खिजिरपुर
६—रीस्ती
७—कुनवती
८—पचे पट्टी
९—अताउल्लापुर
१०—बजरवां
११—बरहपुर नसरतपुर समरौल
१२—नाधुपुर
१३—मगारी
१४—दीलीप राय पट्टी
१५—मकदूमपुर
१६—विराराय पट्टी
१७—जगदीशपुर
१८—गौरा
१९—कमेरी
२०—आलमपुर
२१—मुहम्मद तकी
२२—चक फातमा उर्फ बलुवा
२३—रामपुर कोतवा
२४—उतरसवा
२५—ककरवाल
२६—इब्राहीमपुर उर्फ तुल्ला
२७—सजमपुर
२८—खानपुर
२९—मुड़वर
३०—हीरानन्दपुर
३१—सजमपुर
३२—बबुरा
३३—भरतपुर
३४—आसपुर
३५—बैरामपुर
३६—मुहम्मदपुर
३७—बिसुनपुर धुरविन
३८—चुरामनपुर
३९—मेटारी
४०—टड़वा टप्पा जलालाबाद
४१—खरउरा
४२—छतरां
४३—सेकुरपुरा
४४—ओड़लाई
४५—घनश्यामपुर
४६—जगमलजोत
४७—बद्धपुर
४८—मठकोड़िया
४९—छोटकपुर
५०—जलालपुर
५१—पहाड़पुर
५२—करारा
५३—धरमारपुर
५४—इसमाइलपुर
५५—चिनौना कलां
५६—मझौली
५७—सरायं बगहा
५८—सियौरा
५९—नगरिया
६०—तलियानी
६१—मुजाड़ी
६२—मसौना
६३—बहादुर चक
६४—दर्जी चक
६५—माधो चक
६६—हकदला
६७—अतसौरा
६८—जोजनपुर
६९—गोविन्दपुर
७०—तड़वा
७१—किनारा नदी
७२—खरहरा नदी
७३—खाराजी सीर
७४—सराय कुशां
७५—बुजुर्ग
७६—सराय धीर मोहन कलां

७७--सराय धीर मोहन गोकुल
७८--खरकजोत
७९--धरना
८०--पात्हनटारी
८१--चक खान मुहम्मद
८२--कोडो
८३--मठमौनी चक
८४--परसोत्तम चक
८५--सीहाबारी
८६--धरमांगतपुर
८७--रायपट्टी
८८--देवरिया
८९--आराजी कुंवरजो
९०--शिवसिंह चक
९१--घुरेपुर
९२--नसरतपुर
९३--चक मुतालिब
९४--बहरामपुर
९५--करीमुल्लापुर
९६--बहलोलपुर
९७--कोठया सवास
९८--मुस्तफा चक
९९--आराजी माफी परसौली
१००--वलुवा मु० तिलसड़ा
१०१--वसाही
१०२--कोठया
१०३--कुकराहा गोकुल सिंह
१०४--मोहब्बतपुर
१०५--परसावन
१०६--सवास

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० १४३ एल०ए०- १९६५--८६२।

सत्यमेव जयते